रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/98 REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3— उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3— Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 12, 1998/आश्विन 20, 1920
No. 391] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 1998/ASVINA 20, 1920

महानिदेशालय (रक्षोपाय) का कार्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1998

विषय : स्लैबस्टॉक फोम और पॉलीयूरेथेन फोम मैटर्सेज के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले 3000-4000 अणुभार के फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीअल के आयात के संबंध में रक्षोपाय जांच—अंतिम निष्कर्ष

सा.का.नि. 613 (अ).—कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1973 और कस्टम के टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 को ध्यान में रखते हुए

(i) प्रक्रिया :—(i) स्लैबस्टॉक फोम और पॉलीयूरेथेन फोम मैट्रसेज के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले 3000-4000 अणुभार के फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीअल (जिसे इसमें आगे एफ एस पी कहा गया है) के भारत में आयात के संबंध में रक्षोपाय जांच प्रारंभ किए जाने का नोटिस 26-2-1998 को जारी किया गया था और भारत के राजपत्र, असाधारण में 3-3-1998 को प्रकाशित हुआ था। नोटिस की एक प्रति निम्नानुसार सभी ज्ञात पक्षकारों को भी भेजी गई थी :—

घरेलू उत्पादक

1. मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एम पी एल), चेन्नई।
2. मैसर्स स्पिक आर्गेनिक्स लिमिटेड (एस ओ आर एल), चेन्नई।

आयातक

1. आगोश पोलीफोम प्राइवेट लिमिटेड, चण्डीगढ़
2. अरविंद इण्टरनेशनल लिमिटेड, कलकत्ता
3. बनमोर फोम प्राइवेट, मुरैना, मध्य प्रदेश
4. कोजी फोम प्राइवेट लिमिटेड, पालधर, थाना
5. डी पी फोम प्राइवेट लिमिटेड, पांडिचेरी
6. डूरा फोम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, दादरा नगर हवेली
7. डायना फोम प्राइवेट लिमिटेड, उड़ीसा
8. देवी पोलीयूरेथेन प्राइवेट लिमिटेड, जिला-नासिक
9. एनके फोम प्राइवेट लिमिटेड, मेरठ
10. फेदर फोम इण्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा
11. फोम होम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मिड़क तलोजा
12. फेदर फोम इण्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, सिलवासा
13. जॉय फोम प्राइवेट लिमिटेड, रानीपेट
14. जुही फोम प्राइवेट लिमिटेड, पंजाब
15. कर्लोन लिमिटेड, भुवनेश्वर
16. कमल फोम, पांडिचेरी
17. एम. आर. फोम्स, हैदराबाद
18. मल्टीपाइन फोम्स प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता
19. माडर्न फोम उद्योग, लुधियाना
20. एन यू फोम्स इंडस्ट्रीज, अहमदाबाद
21. नात्पन फोम मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिला-मेहसाना
22. पनामा पोलीप्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, बुलंदशहर
23. पल्लवी फोम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, दादरी रोड, यू. पी.
24. पोलीफोम, चिंटूपुड़ा

25. प्रभात पॉलीयूरेथेन प्राइवेट लिमिटेड, पांडिचेरी
26. प्रताप पॉलीयूरेथेन प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता
27. पी. यू. फोम प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता
28. राज लेदर क्लाथ इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सोनीपत
29. शीला फोम प्राइवेट लिमिटेड, साहिबाबाद
30. तिरुपति फोम लिमिटेड, मेहसाना
31. तिरुपति फोम लिमिटेड, तालुक कालोल

निर्यातक

1. आर्को केमिकल (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
2. मैसर्स आर्को केमिकल्स, यू एस ए
3. असाही देनका कोगियो के. के., जापान
4. असाही ग्लास कंपनी लिमिटेड, सिंगापुर
5. डॉव केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
6. हेम ए जी, जर्मनी
7. शेल केमिकल्स एण्ड शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (प्राइवेट) लिमिटेड, सिंगापुर
8. मैसर्स योकांग लिमिटेड, सियोल

(ii) नोटिस की एक प्रति, निर्यातक देशों की सरकारों को भी उनके नई दिल्ली स्थित दूतावासों के माध्यम से भेजी गई थी।

(iii) उसी दिन सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों, आयातकों और निर्यातकों को प्रश्नावलियों भी भेजी गई थीं और उनसे 13 अप्रैल, 1998 तक अपने उत्तर भेज देने के लिए कहा गया था। अपने उत्तर भैजने के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध निम्नलिखित तीन पक्षकारों ने किया था :—

— मैसर्स शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
— मैसर्स डॉव केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
— मैसर्स असाही ग्लास कंपनी लिमिटेड, जापान

उनके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए और जांच शीघ्रता से पूरा करने की आवश्यकता को देखते हुए 24 अप्रैल, 1998 तक अवधि बढ़ा दी गई और पक्षकारों को तदनुसार सूचित कर दिया गया।

(iv) मैसर्स सील्ड एयर (एस) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर और मेसर्स बेयर ए जी कंपनी ने इच्छुक पक्षकार के रूप में विचार किए जाने का अनुरोध किया जिसे मान लिया गया।

(v) दिनांक 26 फरवरी, 1998 के नोटिस और प्रश्नावलियों के उत्तर निम्नलिखित पक्षकारों से प्राप्त हुए हैं :—

(क) घरेलू उत्पादक

1. मैसर्स मनाली पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
2. मैसर्स स्पिक आर्गेनिक्स लिमिटेड

(ख) आयातक

1. मैसर्स बनमोर फोम (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली
2. मैसर्स भारत फोम उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, फरीदाबाद
3. मैसर्स डी. पी. फोम प्राइवेट लिमिटेड, पांडिचेरी
4. मैसर्स जॉय फोम प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई
5. मैसर्स कर्लान लिमिटेड, बंगलौर
6. मैसर्स मद्रास पॉलीमोल्ड्स, चेन्नई
7. मैसर्स पॉलीयूरेथेन एसासिएशन आफ इंडिया, चेन्नइ
8. मैसर्स शीला फोम प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद
9. मैसर्स साफ्ट फोम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश
10. मैसर्स [illegible] प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद

(ग) निर्यातक

1. मैसर्स आर्को केमिकल (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
2. मैसर्स असाही ग्लास कंपनी लिमिटेड, जापान (सिंगापुर शाखा)
3. मैसर्स डॉव केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) लिमिटेड, सिंगापुर
4. मैसर्स सील्ड एयर (एस) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
5. मैसर्स शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (प्राइवेट) लिमिटेड, सिंगापुर

(vi) जांच के लिए आवश्यक समझी गई सूचना का सत्यापन किया गया और इस कार्य के लिए अधिकारियों के एक दल ने मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, चैन्नई, मैसर्स स्पिक आर्गेनिक्स लिमिटेड, चैन्नई और मैसर्स शीला फोम प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद और मैसर्स भारत फोम उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, फरीदाबाद के परिसरों का दौरा किया। सत्यापन का परिणाम संबंधित पक्षकारों को भेज दिया गया।

(vii) दिनांक 6-8-98 को एक सार्वजनिक सुनवाई भी की गई जिसके लिए नोटिस सभी इच्छुक पक्षकारों को दिनांक 6-7-98 को भेज दिया गया था। पक्षकारों से कहा गया कि वे सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को लिखित में प्रस्तुत करें ताकि वह सूचना महानिदेशक के कार्यालय में 13 अगस्त, 98 तक पहुंच जाए और अन्य पक्षकारों के लिखित प्रस्तुतीकरण की प्रतियां वे महानिदेशक के कार्यालय से 14 अगस्त, 98 को ले लें। इस संबंध में किसी प्रकार का खंडन यदि कोई हो, 26 अगस्त, 1998 तक महानिदेशालय के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

(ii) घरेलू उद्योग के विचार

घरेलू उत्पादकों ने निम्नलिखित मुख्य मुद्दे उठाए हैं :—

1. एम पी एल और एस ओ आर एल दोनों अनुसंधान और विकास केन्द्र सहित क्रमशः आई एस ओ 9001 और 9002 प्रत्यायित कंपनियां हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं।
2. इनके उत्पाद, इनकी श्रेणी के लिए निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।
3. वे अपने ग्राहकों से उत्पाद की श्रेष्ठता और सेवाओं के बारे में उनके अनुभव के संबंध में नियमित तौर पर ''फीडबैक'' एकत्र करते हैं।

4. बहुराष्ट्रीय एवं छोटे ग्राहकों ने भी उनके उत्पादों और उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणता की प्रशंसा की है।

5. उन्होंने 3000 अणुभार के फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक का विनिर्माण किया है जो 3000 और 4000 के बीच अणुभार वाले इसी प्रकार के एफ एस पी के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। 3000, 3500 और 4000 अणुभार के अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद लगभग इसी प्रकार के अनुप्रयोग के लिए उपलब्ध हैं।

6. बहुराष्ट्रीय प्रचालकों ने विभिन्न शहरों में डीलर नियुक्त किए हैं और उनसे उपलब्ध उत्पाद तथा घरेलू उत्पाद उसी विशिष्ट और अणुभार के अनुरूप हैं।

7. इस संबंध में क्षति का कारण कच्चे माल की ऊंची लागत, सीमाशुल्क का निम्न स्तर, बढ़ा हुआ आयात, निर्यातकों से कम ब्याज तथा स्वदेशी उत्पादों पर बिक्री कर एवं चुंगी है।

8. वे होमोपॉलीअल और हैट्रोपॉलीअल दोनों का विनिर्माण करते हैं और हेट्रोपॉलीअल उत्पाद सभी ग्राहकों को उपलब्ध कराया गया है।

9. बिक्री के बहुत निम्न स्तर, स्टॉक के उच्च स्तर और अवरुद्ध कार्यशील पूंजी के उच्चतर स्तर के कारण पॉलीअल संयंत्र वित्त वर्ष 1997-98 के प्रारंभ में बंद हो गए थे।

10. उन्होंने 1990 में इन परियोजनाओं के प्रारंभ होने के समय से इस प्रकार की समस्या का सामना कभी नहीं किया। उनके अधिकांश ग्राहक कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई सेवाओं के बारे में और परोक्ष रूप से पी यू उद्योग को जमीन से ऊपर उठाने में की गई सेवाओं के बारे में भली-भांति जानते हैं।

11. मनाली पैट्रोकैमिकल्स और स्पिक आर्गेनिक्स लिमिटेड दोनों स्पिक समूह की कंपनी हैं। एम पी एल की स्थापना ऑटोकेम की प्रौद्योगिकी के साथ हुई थी और वे इसी प्रकार के संयंत्र लावेरा, फ्रांस में प्रचलित कर रहे थे और मूल इंजीनियरी कार्य फ्रांस की टेक्निप द्वारा किया गया था एवं विस्तृत इंजीनियरी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा निष्पादित की गई थी। एस ओ आर अल को इटली के "एनीकेम" प्रौद्योगिकी के आधार पर निगमित किया गया था। विस्तृत इंजीनियरी, उडे, इंडिया द्वारा की गई थी। पॉलीअल प्रौद्योगिकी के आयात के लिए संविदा वर्ष 1983 में की गई थी और ए आर सी डी के आगमन के बाद प्रौद्योगिकी को उन्नत किया गया। इसके आधार पर पहला संयंत्र 1984 में टेक्सास में बनाया गया। इसके बाद के संयंत्र इसी प्रौद्योगिकी के अनुसार इण्डोनेशिया, कोरिया और फ्रांस में बनाए गए। रिएक्टर ट्रांसफर सिस्टम और इंस्ट्रुमेंटेशन का आकार उन संयंत्रों के समान हैं जो कोरिया में बनाए गए हैं सिवाय एम पी एल संयंत्र के, जिसमें 2 नियंत्रण (ट्रेन) पॉलीअल संयंत्र लगे हैं जबकि कोरिया में बने संयंत्र में 3 नियंत्रण (ट्रेन) लगे हैं।

12. संयंत्रों का चालन और गारंटी परीक्षण चक्र वर्ष 1990 में पूरा किया गया। पी ओ संयंत्रों की उनकी रक्षोपाय शुल्क (एस जी डी) के आवेदन में दिखाई गई क्षमता उनकी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित क्षमता के अनुसार थी। एम पी एल संयंत्र 7500 एम टी प्रतिवर्ष की क्षमता के लिए बनाया गया था भले ही उनके पास 6000 एम टी प्रतिवर्ष की क्षमता का लाइसेंस था। जब आगे चलकर न्यूनतम आर्थिक क्षमता बढ़ गई और लाइसेंस के लिए अपेक्षाओं को भी हटा लिया गया, उन्होंने संयंत्र का पंजीकरण प्रत्येक 25000 एम टी प्रतिवर्ष की क्षमता के लिए करवाया था। गारंटी-परीक्षण-चक्र के दौरान, प्रचालन की मानक स्थितियों के अंदर भी संयंत्रों ने 136 प्रतिशत अर्थात् 7500 एम टी प्रतिवर्ष से अधिक प्राप्त किया। प्रचालन के प्रथम वर्ष के बाद उन्होंने अवरोधों को दूर करके संयंत्रों की क्षमता को और अधिक बढ़ा दिया था और संयंत्र की "आन स्ट्रीम" दक्षता से पता चलता है कि संयंत्रों की क्षमता एम पी एल में लगभग 10000 एम टी प्रतिवर्ष और एस ओ आर एल में 8500 एम टी प्रतिवर्ष है। पी ओ संयंत्र की क्षमता, डिजाइन के अनुसार और गारंटी-निष्पादन-परीक्षण में किए गए सत्यापन के अनुसार प्रत्येक 15000 एम टी प्रतिवर्ष है। सहायक उपयोगिता संयंत्र अधिक उच्च क्षमता के हैं और दूसरे पी ओ संयंत्र को आसानी से सहायता कर सकते हैं। पी ओ संयंत्र की क्षमता उपयोगिता केवल 8900-10000 एम टी प्रतिवर्ष है और उत्पादन को 15000 एम टी प्रतिवर्ष की क्षमता तक आसानी से बढ़ाया जा सकता है बशर्ते इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त बाजार उपलब्ध हों। इसे देश की मांग को पूरा करने के लिए अल्प निवेश से थोड़े समय के अंदर और भी बढ़ाया जा सकता है।

13. जब वर्ष 1990 के अंत में एफ एस पी शुरू हुआ तो एम पी एल और एस ओ आर एल ने फील्ड परीक्षण के लिए अपने वाणिज्यिक और तकनीकी अधिकारियों को भेजा और अधिक समस्या के बिना अधिकांश ग्राहकों द्वारा उत्पाद स्वीकार कर लिया गया। सहयोगी कंपनियों द्वारा दी गई सलाह के कारण और एथिलीन आक्साइड की बहुत कम उपलब्धता के कारण दोनों कंपनियों ने पहले होमोपॉलीअल शुरू किया। 1992 में हेट्रोपॉलीअल भी शुरू किया गया। हेट्रोपॉलीअल का औसत उत्पादन, पॉलीअल्स के कुल उत्पादन का 35 प्रतिशत था। उन्होंने हेटो ग्रेड को केवल उन्हीं ग्राहकों को बेचा जो केवल इस ग्रेड विशेष को लगातार चाहते थे।

14. उनके तकनीकी स्टाफ ने ग्राहकों के स्थान पर से निर्मितियों का परिष्करण किया और उसके बाद विशिष्ट प्रकार की मदद मांगे जाने पर उनके पास गए। जब कभी उनके पास मामले भेजे गए, उन्होंने अधिकांश मामलों को देखा। उनके पास दिल्ली और मुंबई में तकनीकी सहायक सेवा कार्मिक उपलब्ध हैं जो ग्राहकों के अनुरोध पर निरंतर ध्यान देते हैं और जब कभी विशेष प्रयास की आवश्यकता हुई, उत्पादन के विकास में लगे उनके वैज्ञानिक उसी दिन उनकी समस्याओं को हल करने के लिए पहुंचे गए।

15. उनके पास इन क्षेत्रों में 50 से अधिक छोटे और मझौले ग्राहक थे जो सत्पाद और साथ ही साथ तकनीकी सहायक सेवा के लिए उन पर पूर्णतया निर्भर थे क्योंकि उनकी मांग अल्प मात्रा में थी और कुल खपत 100 कि. ग्रा. प्रतिमाह से 5 मी. टन प्रतिमाह के बीच थी। अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनकी मांग को

पूरा करने के लिए इच्छुक नहीं थी क्योंकि इस प्रकार के छोटे ग्राहकों को विकसित करने और उनकी मांग को पूरा करने में लगे समय और प्रयास बहुमुखी थे जब तुलनात्मक रूप से एफ एस पी की सीधी आसान बाजार थी जिसमें उन्हें अपने अस्तित्व से दूर रखा गया।

16. एफ एस पी के ग्राहकों द्वारा 1991-92 से वर्षवार क्रमिक रूप से प्रयुक्त हो रही बढ़ती मात्रा, उनके उत्पाद की स्वीकार्यता और पी यू उद्योग को कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता का एक स्पष्ट प्रमाण है। उनका 1990-91 से बाजार हिस्सा लगभग 100% था जो गिरकर वर्तमान स्तर अर्थात् 40 प्रतिशत से भी कम पर आ गया। गत 4 वर्षों में कुछ बड़े फोम विनिर्माताओं के बजार हिस्से में क्रमिक रूप से गिरावट आई अर्थात् 100 प्रतिशत (1995-96) से कम होकर 70 प्रतिशत (1996-97) और 25 प्रतिशत (1997-98) से कम होकर वर्तमान स्तर अर्थात् केवल 7 प्रतिशत (1998-जून, 98) हो गया ये बड़े फोम निर्माता 70 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सा बनते हैं।

17. फोम निर्माता 1991 से स्वदेशी एफ एस पी का इस्तेमाल कर रहे थे। 1996-97 से उन्होंने स्वदेशी एफ एस पी के स्थान पर आयातित एफ एस पी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया । हेट्रो अथवा होमोपॉलीअल की महसूस की गई गुणता अथवा उपलब्धता की समस्या निश्चित तौर पर इसका कारण नहीं है क्योंकि कंपनियों ने पहले ही काफी मात्रा में इसकी बिक्री की थी बल्कि कीमत और कीमतों से संबंधित मुद्दा इसका कारण हो सकता है।

18. दिसंबर, 1996 से उत्पादन परिदृश्य काफी नाजुक हो गया, जब स्वदेशी प्रोपीलीन की कीमतें अप्रत्याशित रूप से लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाने लगीं और इसी दौरान पॉलीअलों पर सीमा शुल्क में 30 प्रतिशत की गिरावट आई।

19. नवंबर, 1996 से अप्रैल, 1997 तक उत्पादन की लागत में वृद्धि होने से कंपनी को निवेश-लागत के स्तर से नीचे कीमत गिराने से रोक दिया और सस्ते आयात ने संपूर्ण बाजार पर अधिकार कर लिया।

20. एम पी एल ने प्रेपीलीन की आपूर्ति के लिए एम आर एल के साथ 10 वर्ष की दीर्घकालीन संविदा की है। यह संविदा एल पी जी की कीमत के आधार पर है और प्रोपीलीन की कीमत निकालने के लिए केवल काल्पनिक संसाधन लागत जोड़ी गई है। भारत सरकार ने एल पी जी की कीमत सितंबर, 1993 से माहवार निश्चित की है और इस कीमत में जैसे-जैसे परिवर्तन होता है, प्रोपीलीन की कीमत में भी माहवार परिवर्तन होता है। 1993 में एम आर एल में आग लगने की घटना से उन्हें कुड्डालूर पत्तन पर अस्थायी रूप से प्रोपीलीन आयात टर्मिनल बनाने के लिए सोचने पर विवश होना पड़ा। चेन्नई, मुंबई और तूतीकोरिन महापत्तनों पर प्रोपीलीन आयात करने की सुविधा नहीं है और वे खतरनाक कार्गो शिपमेंट को स्थान देने के लिए पत्तन क्षेत्र के अंदर भीड़-भाड़ होने के कारण तथा जगह की कमी के कारण ऐसे टर्मिनल बनाने के इच्छुक भी नहीं थे। अब उनके पास प्रोपीलीन की भण्डारण-क्षमता 1500 एम टी है। एम आर एल, पूर्ण उत्पादन स्तर पर कंपनियों की 70 प्रतिशत मांग की आपूर्ति आसानी से कर सकता है और शेष 30 प्रतिशत का आयात किया जाएगा। कुड्डालूर टर्मिनल के जरिए प्रोपीलन की उतराई लागत लगभग 3 रु० प्रति कि०ग्रा० थी जो कि हैंडलिंग पद्धति के कारण पूर्ण विकसित टर्मिनल पर लगने वाली लागत की अपेक्षा अधिक थी। उन्होंने अंतर को पूरा करने और लागत को कम रखने के दृष्टिकोण से एस बी एम सुविधा के साथ प्रणाली को और अधिक उन्नत करने का निर्णय लिया।

21. अब एम पी एल के साथ टेक्निप ने चीन, थाईलैण्ड और ताईवान में एम पी एल को आदर्श मानकर संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

22. स्वदेशी एफ एस पी और आयातित एफ एस पी के सभी गुणता मापदण्ड समाने थे। एफ एस पी, यद्यपि बैचवार तैयार किया जाता है, भण्डारण टैंक में जाता है। पी ओ फोम के विनिर्माण की प्रौद्योगिकी छोटे और बड़े संयंत्रों में समान थी।

23. यद्यपि एफ एस पी की उत्पादन लागत, आवेदन करते समय ऊंची थी फिर भी यदि एस जी डी के प्रयोजन के लिए संपूर्ण वर्ष 1997-98 के लिए एफ एस पी के उत्पादन की संपरीक्षित लागत को ध्यान में रखने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि यह संपूर्ण वर्ष के लिए उत्पादन की वास्तविक लागत थी।

24. आवेदन में दर्शाए गए आयात आंकड़े पूर्ण नहीं थे क्योंकि आई सी डी दिल्ली और कांडला के आयात आंकडे शामिल नहीं किए गए थे।

25. यद्यपि, उन्होंने शेयर होल्डरों के हितों की देखरेख के लिए भिन्न-भिन्न इक्विटी स्तरों के कारण एम पी एल और एस ओ आर एल के लिए भिन्न-भिन्न रक्षेपाय शुल्क की मांग की थी फिर भी भारित औसत रक्षोपाय शुल्क की सिफरिश की जा सकती है जिससे प्रचालन सरल हो जाएगा।

26. 1993-94 की अवधि के दौरान रसायनों की उच्च लागत, पी यू उत्पादों पर उच्च सीमा शुल्क टैरिफ और उच्च उत्पाद शुल्क के बावजुद उद्योग में आश्चर्यजनक दर से वृद्धि हुई। यह वृद्धि 1994-95 और 1995-96 के दौरान पॉलीअल की बहुत अधिक अंतर्राष्ट्रीय कीमत अर्थात् 1850 अमरीकी डालर पी एम टी (भारत में 81 रु० प्रति कि०ग्रा०) और 2800 अमरीकी डालर प्रति मी०टन० की दर पर टी डी आई के बावजूद काफी थी। वर्तमान में पॉलीअल 980 अमरीकी डालर प्रति मी०टन की दर पर (भारत में 61 रु० प्रति कि०ग्रा०) और टी डी आई, 1700 अमरीकी डालर प्रति मी०टन (भारत में 100 रु० प्रति कि०ग्रा०) की दर से बिक रहा है। यदि पी यू उद्योग ऐसी उच्च लागत एवं भारी कर और शुल्क ढांचे के साथ इतनी तेज गति से बढ़ सकता है तो आज यह उद्योग बढ़ने में समर्थ क्यों नहीं है।

27. इससे पहले पी यू फोम की कीमत 250 रु० प्रति कि०ग्रा० थी जो गिरकर 150 रु० प्रति कि०ग्रा० के स्तर पर आ गई है।

कीमतें, अत्यधिक उत्पादन के कारण और संभवत: अपना बाजार बढ़ाने के लिए विभिन्न फोनम निर्माताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण गिर रही हैं, न कि इस कारण कि बाजार, पहले से ही निम्न लागत को आत्मसात करने में समर्थ नहीं है। इस उद्योग और बाजार ने पहले निविष्ट की अधिक उच्चतर लागत को आत्सात किया था।

28. पॉलीअलों का उत्पादन एम आर एल में आग लगने की दुर्घटना के कारण अप्रैल, 1993 के दौरान बाधित हुआ। इसलिए एम पी एल ने कुड्डालूर में प्रोपीलीन के लिए आयात सुविधा का कार्यान्वयन किया। तब से कंपनी से पॉलीअल की आपूर्ति किसी भी समय कम नहीं रही और आपूर्ति कभी भी बंद नहीं हुई और वह भी मैसर्स शीला ग्रुप को।

29. जहां तक पॉलीअलों के संसाधनीयता के बारे में फोम निर्माताओं की टिप्पणी का संबंध है, यह सत्य है कि फोम निर्माताओं द्वारा इससे पहले इस्तेमाल किए जा रहे होमो पॉलीअलों की तुलना में हेट्रों पॉलीअलों को संसाधित करना, एथिलीन आक्साइड (ई ओ) पदार्थ और कतिपय उत्प्रेरकों की थोड़ी सी कम आवश्यकता के कारण आसान है। वे 1992 से हेट्रो पॉलीअलों की बिक्री कर रहे थे और 35 प्रतिशत उत्पादित मात्रा हेट्रोग्रेड की थी।

30. फोम निर्माताओं के लिए कीमत मुख्य मुद्दा थी और उनके क्रय निर्णय के बारे में पूर्ववर्ती निर्णय इस कारण था कि जब स्वदेशी पॉलीअल की कीमत दिसंबर, 96 से लगभग 5-6 रु० अधिक थी तो बाजार धीरे-धीरे पूर्णतया बंद हो गया। विभिन्न व्यवसाय ग्रुपों द्वारा मात्रा उठाने में नाटकीय रूप से गिरावट आई और आयात बहुत शीघ्रता से बढ़ गया। जून, 1997 में हुए विचार-विमर्श, जिसमें बहुत विशेष कीमतों का प्रस्ताव किया गया था, के बाद भी "आफटेक" में वृद्धि नहीं हुई।

31. प्रोपीलीन की कीमतों में कमी और 4 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क संबंधी मुद्दे, आवेदन दाखिल किए जाने के बाद की अवधि में उठाए गए हैं। 4 प्रतिशत का विशेष अतिरिक्त शुल्क एम पी एल/एस ओ आर एल के लिए वास्तविक मदद का नहीं है क्योंकि अधिकांश पॉलीअल इस समय डी ई पी बी स्कीम के अंतर्गत आयातित किए जाते हैं। इसके अलावा आयात किसी ऐसे ट्रेडर के माध्यम से किया जाता है जो दमन या पांडिचेरी में होता है जहां पर कि बिक्री कर या तो निम्न होता है अथवा बिल्कुल नहीं होता है।

32. उन्होंने संयंत्रों की क्षमता के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और उनके पास देश की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पी ओ संयंत्र और पॉलीअल संयंत्र की पर्याप्त क्षमता है।

33. इस उद्योग की न्यूनतम आर्थिक क्षमता 1989 से पहले 12000 एम टी पी ओ/पॉलीअल संयंत्र थी और अकेले पॉलीअल संयंत्र के लिए कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं था। लाइसेंसिंग प्रक्रिया के आसान हो जाने के बाद अब उन्हें पी ओ के 25000 एम टी, पी जी के 12000 एम टी और पॉलीअल के 25000 एम टी के लिए पंजीकृत किया गया था। तथापि, अब उसमें उपलब्ध क्षमता इस प्रकार है :—

	एम पी एल (एम टी)	एस ओ आर टी (एम टी)
प्रोपीलीन आक्साइड	15000	15000
प्रोपीलीन ग्लाइकोल	7815	7500
पॉलीअल	10000	8000

34. एकाधिकार, गलत बाजार प्रथा और कीमतों में परिवर्तन के आरोप में उन्होंने बताया कि एम पी एल और एस ओ आर एल दोनों के एक ही ग्रुप के होने के बावजूद वे बाजार को पूर्णतया खो चुके थे और बाजार हिस्सा कम होकर 40 प्रतिशत हो गया। बड़े खरीदारों ने अपना बाजार हिस्सा 100 प्रतिशत से कम करके 7 प्रतिशत कर दिया। यदि वे कीमतों में हेर-फेर कर सकते और बाजार में परिवर्तन ला सकते तो उन्हें नकद हानि उठाने के बजाए लाभ हुआ होता।

35. इस टिप्पणी के बारे में कि ताईवान, थाईलैण्ड और चीन में एम पी एल/एस ओ आर एल प्रौद्योगिकी पर स्थापित संयंत्र, कम टैरिफ वातावरण में प्रतियोगी हो सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं? एम पी एल/एस ओ आर एल ने बताया कि प्रोपीलीन की कीमतें, देयताओं की लागत, स्थानीय कर और शुल्क उन देशों की अपेक्षा भारत में बहुत अधिक है। इसके अलावा उन स्थानों पर लगे संयंत्र अपेक्षाकृत बड़े पेट्रोकेमिकल परिसर के भाग के रूप में प्रचलित किए जाते हैं और उपयोगी संरचना तथा कच्चे माल केवल परिवर्तन दर पर उन्हें प्राप्त होता है।

36. शेल ने उल्लेख किया है कि सिंगापुर के उत्पादों को 10 दिन के अंदर मुंबई में और 15 दिन के अन्दर दिल्ली में उतारा जा सकता है और यह तथ्य मेसर्स डॉव (डी ओ डब्ल्यू) द्वारा किए गए दावे के विपरीत है कि नौयात्रा समय 45 दिनों का है।

37. प्रयोक्ताओं से कहा जा सकता है कि वे क्रेडिट अवधि को स्वीकार करने से अथवा डालर सुरक्षा लेने से अपनी अस्वीकृति के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करें।

III. प्रयोक्ताओं/आयातकों के दृष्टिकोण

एफ एस पी के आयातकों/प्रयोक्ताओं ने निम्नलिखित मुख्य मुद्दे उठाए हैं:—

1. एम पी एल और एस ओ आर एल द्वारा विनिर्मित एफ एस पी की गुणता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं थी।

2. स्पिक (एस पी आई सी) ग्रुप द्वारा बी बी पेट्रो की खरीद और उसे एस ओ आर एल के रूप में नया नाम देने के बाद एम पी एल और एस ओ आर एल दोनों एक ही छतरी के नीचे आ गए हैं और उन्होंने एकाधिकारवाद की प्रवृत्ति अपनाई है। उनकी

शर्तें मनमाने ढंग से परिवर्तित कर दी गई और उन्होंने व्यवसाय-छूट(ट्रेड डिस्काउंट) वापस ले ली जिसे पहले ऑफर किया गया था। कीमतें भी बिना कोई कारण बताए परिवर्तित कर दी गईं।

3. पॉलीयूरेथेन फोम विनिर्माताओं को घरेलू उत्पादकों द्वारा आपूत दोषपूर्ण पॉलीअल के कारण गंभीर हानि उठानी पड़ी और घरेलू उत्पादकों ने गुणता शिकायत को अस्वीकार करके शिकायत गैर-जिम्मेदाराना ढंग से व्यवहार किया और आपूर्ति को पूरी तरह से ठप करने की धमकी देकर दोनों उद्यमों से बिल की राशि की मांग की। घरेलू उत्पादक गुणता शिकायतों को पूर्णतया नजरअंदाज करते रहे हैं और तकनीकी तौर पर या अन्यथा तौर पर शिकयतों को दूर करना अस्वीकार करते रहे हैं। कोई स्थापित उद्यम ऐसी स्थिति का सामना नहीं कर सकता जब दो घरेलू विनिर्माता, जो अब एक ही ग्रुप के हैं, माल की आपूर्ति को अस्वीकार कर दें और उद्योग को निस्तार-धन मिलने तक रोक रखें। अतः पॉलीयूरेथेन विनिर्माताओं को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क स्थापित करना पड़ा भले ही आयातित माल की कीमतें स्वदेशी कीमतों की अपेक्षा थोड़ी अधिक हों। उन्होंने एफ एस पी की कुछ मात्रा, बेहतर शर्तों और आश्वस्त गुणता आपूर्ति पर आयातित करना पसंद किया।

4. घरेलू उत्पादक, अपने संयंत्रों के अस्तित्व में आने के 8 वर्षों के दौरान उनका मूल्यह्रास भी न बचा पाए तो वे मांगे गए रक्षोपाय शुल्क को दो वर्ष की अल्प अवधि में टर्न एराउण्ड पचालन में कैसे समर्थ हो पाते। दोनों यूनिटों का प्रबंधन एक ही ग्रुप द्वारा किए जाने के बाद भी भिन्न-भिन्न रक्षोपाय शुल्क की मांग की गई है जिससे यूनिटों की प्रबंधन दक्षता परिलक्षित होती है।

5. अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन उद्योग को उत्कृष्ट सेवा और नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराते है। उनके द्वारा प्रस्तावित ब्याज दर आर बी आई द्वारा मानिटरित "लाइबर" दरों के समान थी। विगत 15/20 वर्षों में यहां तक कि एम पी एल और एस ओ आर एल द्वारा उत्पादन प्रारंभ किए जाने से पहले ही 19/120 दिनों की क्रेडिट होती थी।

6. एक प्रमुख कठिनाई घरेलू उत्पादकों से अनिश्चित आपूर्ति की थी जिससे उनका उत्पादन प्रभावित हुआ। उन्हें आयातित पॉलीअल के मामले में भारी भरकम आयात औपचारिकताओं के होने के बावजूद उस प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। आयातित एफ एस पी की बेहतर गुणता के कारण विनिर्मित पॉलीयूरेथेन फोम की गुणता श्रेष्ठ थी।

7. घरेलू उत्पादकों द्वारा विनिर्मित पॉलीअल होमो-पॉलीअल था और उसके लिए फोम उत्पादन हेतु काफी अधिक मात्रा में उत्प्रेरक स्तरों की आवश्यकता थी जो कि खर्चीले होते हैं। फोम ब्लॉकों के केन्द्र की ब्राउनिंग, स्थानीय पॉलीअल में लगाए गए ऐण्टी स्कोर्चिंग एजेन्ट के अनुपयुक्त स्तर के कारण होते है। दोनों कंपनियां, यद्यपि एक ही ग्रुप के स्वामित्व में हैं, पॉलीअल के विनिर्माण के लिए भिन्न-भिन्न प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करती हैं जिसके लिए निर्मितियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। चूंकि वे जब कोई ऑर्डर देते हैं तो विपणन व्यवस्था एक ही होने के कारण उनका नियंत्रण इस बात पर नहीं होता कि किस माल की आपूर्ति की जाएगी।

8. आयात के लिए कीमत विचारणीय विषय नहीं था क्योंकि आज की आयातित पॉलीअल की कीमतें स्वदेशी पॉलीअल की कीमतों से अधिक हैं। विश्वभर में पॉलीअल विनिर्माताओं ने पॉलीयूरेथेन फोम उद्योग के लिए पर्याप्त तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई। विनिर्माण में होने वाली कठिनाइयों के मामले में कच्चे माल के विनिर्माताओं के पास उपलब्ध सूचना और अनुभव का वे उपयोग कर सकते थे। प्रायः उच्च अर्हता प्राप्त तकनीकी प्रतिनिधि उनकी कठिनाइयों के बारे में पथ प्रदर्शन के लिए उनके उत्पादन यूनिटों में जाते थे। ऐसी कोई तकनीकी सहायता घरेलू विनिर्माताओं से उपलब्ध नहीं थी और न ही उनके पास अनुसंधान एवं विकास की पर्याप्त सुविधाएं थीं जिससे उत्पाद का सही-सही मूल्यांकन किया जा सके अथवा परीक्षण उत्पादन भी किया जा सके।

9. घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन क्षमता के दिए गए आंकड़े गलत और भ्रामक प्रतीत होते हैं। यह संभवतः सभी प्रकार के पॉलीअलों के लिए है न कि अकेले एफ एस पी के लिए। वर्तमान क्षमता, भारतीय बाजार में वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है।

10. स्वदेशी पॉलीअल की उच्चतर कीमत का कारण उनके कच्चे माल अर्थात् प्रोपीलीन की ऊंची कीमत का होना है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों का एकाधिकार है। घरेलू उत्पादक, पत्तनों पर सुविधाओं को सृजित करके अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माताओं से सस्ता कच्चा माल खरीदने के लिए अपनी योजना बनाने में सफल नहीं हुए हैं।

11. विशिष्ट पॉलीअल घरेलू उत्पादकों के पास उपलब्ध नहीं होते।

12. घरेलू उत्पादकों की उत्पादन लागत यूनिटो के आकार के कारण अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकों की अपेक्षा अधिक है।

13. पॉलीयूरेथेन उद्योग, उन रबरयुक्त क्वायर विनिर्माताओं और बहुत से लघु रबर फोम विनिर्माताओं से बहुत कड़ी प्रतियोगिता का सामना कर रहे हैं, जो कई राज्यों में उत्पाद शुल्क से छूट तथा बिक्री कर से छूट दोनों का लाभ ले रहे हैं। एफ एस पी पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण उद्योग के लिए हानिकर होगा।

14. वे आयात के बजाए स्थानीय निविष्टि के खपत की धारणा से पूर्णतया सहमत थे और आयात की कठिनाइयो से बचने के लिए कुछ धन भी देने के लिए तैयार थे। यह संभव था बशर्ते गुणता और आपूर्ति सुनिश्चित होती।

15. इसके अलावा कुछ प्रयोक्ताओं/आयोजकों ने निम्नलिखित अतिरिक्त मुद्दे उठाए हैं :—

(क) मैसर्स शीला फोम प्राइवेट लिमिटेड

(i) एक ओर पी पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से पी यू फोम उद्योग को गंभीर क्षति होगी क्योंकि इससे उत्पाद की लागत में वृद्धि होगी और एकाधिकारवाद की पद्धति बनेगी जोकि न केवल पी यू उद्योग के लिए हानिकारक होगी बल्कि एम पी एल/एस ओ आर एल के लिए भी हानिकर होगी।

(ii) भारत में पी यू फोम की खपत, अन्य उत्पादों जैसे क्वायर फोम और रबर फोम की तुलना में बहुत कम थी क्योंकि पी यू फोम पर लगाए जाने वाले उच्च और शुल्क चीन जैसे राष्ट्रों की तुलना में अधिक थे, भारत में प्रतिव्यक्ति आधार पर पी यू फोम की केवल 1.20वें स्तर की खपत होती है।

(iii) पी यू फोम का बिक्री मूल्य लागत मूल्य से कम था। अन्य किसी उपभोक्ता वस्तुओं की तरह पी यू फोम की कीमतों और उसके उत्पादों में विगत वर्षों में गिरावट आई है।

(iv) वर्ष 1998-99 के बजट में क्वायर फोम पर 5 प्रतिशत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाया गया था जिसे थोड़े समय के बाद वापस ले लिया गया।

(v) चूंकि प्रोपीलीन की कीमतें 24000 रु. पी एम टी से कम होकर 15000 रु. पी एम टी हो गई हैं इसलिए किसी प्रकार के रक्षोपाय शुल्क की आवश्यकता नहीं हैं, आयात पर 4 प्रतिशत एस ए डी लगाया गया है और अमरीकी डालर की विनिमय दर 37 रु. प्रति अमरीकी डालर से बढ़कर 43 रु. प्रति अमरीकी डालर हो गयी है।

(vi) यह उनके हित में है कि स्थानीय आपूर्तिकर्ता उपलब्ध हों क्योंकि आयात संबंधी कठिनाइयां और मुद्रा में उतार-चढ़ाव काफी कम होता है। एम पी एल/एस ओ आर एल से एफ एस पी की आपूर्ति की कोई गारंटी नहीं हैं और उन्हें भी आयात जारी रखना पड़ेगा।

(vii) स्थानीय एफ एस पी का संसाधन, मानक आयातित एफ एस पी की तुलना में एक कठिन कार्य था।

(ख) मैसर्स जी. जे. फोम

(i) घरेलू एफ एस पी और आयातित एफ एस पी की गुणता में अंतर है।

(ii) भिन्न-भिन्न गुणता का फोम स्वदेशी एफ एस पी के भिन्न-भिन्न बैचों से उत्पादित होता है। स्वदेशी एफ एस पी की गुणता संगत नहीं हैं।

(iii) उन्होंने स्वदेशी एफ एस पी के संसाधन में कठिनाई महसूस की और यह कठिनाई अपेक्षाकृत बड़े संयंत्रों में अधिक महसूस की गई।

(iv) पी यू फोम आयात योग्य है किन्तु वस्तुत: आयात नहीं किया गया।

(v) अब प्रोपीलीन की कीमतें नीचे गिर गई हैं।

(ग) मैसर्स यू फोम प्राइवेट लिमिटेड :

(i) उन्हें यू बी पेट्रो द्वारा आपूर्ति पॉलीअल की खराब गुणता के कारण अपरिगणनीय हानि उठानी पड़ी है और उनका आंतरिक स्क्रीन तथा उत्प्रेरक के अनियमित संतुलन पर कोई नियंत्रण नहीं था जो कि सामान्यत: किसी मानक पॉलीअल आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध होता है।

(ii) एम पी एल/एस ओ आर एल के पास बाजारें की बहुत बड़ी राशि बकाया है और वह भी कुछ परस्पर संबंधित कंपनियों से जिन्होंने काफी बड़ी रकम के बकाया रहते चलाने का प्रबंध किया है और उन्हें फिर भी आपूर्ति की जा रही है तथा आपूर्ति पर विशेष क्रेडिट सुविधाएं हैं।

(iii) अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से पॉलीअलों का आयात जारी रहना चाहिए और स्थानीय कंपनियों को बेहतर दक्षता एवं रोकड़ प्रबंधन के साथ प्रतियोगिता करनी होगी तथा उद्योग पर अतिरिक्त सेवी का बोझ नहीं डालना होगा।

(घ) मैसर्स गिरूपति फोम लिमिटेड

(i) कच्चे माल की कीमत में वृद्धि होने से, तैयार उत्पाद की कीमतें प्रभावित होंगी और पी यू फोम, इस तरह के उत्पादों के लिए पी यू फोम पर लगाए जाने वाले अधिक शुल्क और कर के कारण अप्रतियोगी हो जाएगा।

(ii) गत 4-5 वर्षों के दौरान फोम उद्योग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि इस उद्योग की वृद्धि के लिए नुकसानदेह होगी।

(iii) उन्होंने एम पी एल/एस ओ आर एल से अपनी आवश्यकता का 90 प्रतिशत एफ एस पी खरीदा। उन्होंने पॉलीअल की गुणता में बैच-दर-बैच अन्तर अनुभव किया जिससे मशीन का लगातार उत्पादन प्रभावित होता है।

(iv) शुल्क में कमी के कारण आयात में वृद्धि हुई है।

(v) एम पी एल/एस ओ आर एल पहले से ही अनेक लाभ ले रहे हैं जैसे कच्चे माल की प्रतियोगी कीमतें, बढ़ी हुई शुल्क सुरक्षा आदि।

(ङ) मैसर्स भारत फोम उद्योग प्राइवेट लिमिटेड :

(i) पी यू उद्योग को कच्चे माल पर शुल्क लगाए जाने के अधीन नहीं रखा जाना चाहिए।

(च) मैसर्स एम एच पॉलीमर्स :

(i) पी यू फोम, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित है और कीमतों में वृद्धि नहीं की जा सकती।

(ii) लघु उद्योग छूट, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत पी यू फोम पर लागू नहीं होती।

(iii) उन्हें स्थानीय पॉलीअल के संसाधन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना होता है क्योंकि गुणता अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं थी।

(vi) रक्षोपाय शुल्क लगाने से पी यू फोम की लागत में वृद्धि होगी और अप्रतियोगी हो जाने के कारण उन्हें उत्पादन में कटौती करने को विवश होना पड़ेगा जिसका परिणाम बेरोजगारी और सरकार को राजस्व की हानि होगी।

(v) दोनों आवेदक एक ही प्रबंधन के अंतर्गत हैं और एकाधिकार प्राप्त उत्पादक हैं।

(छ) मैसर्स जैन एण्ड जैना फोम्स प्राइवेट लिमिटेड :

(i) 1991 से पूर्व, जब एम पी एल और यू बी पेट्रो ने पॉलीअलों का विनिर्माण शुरू किया था, वे पॉलीअलों का आयात कर रहे थे। 1991 के बाद उन्होंने दोनों कंपनियों से प्रतियोगी कीमतों पर माल खरीदना शुरू किया क्योंकि दोनों ने भिन्न-भिन्न प्रबंधन के अंतर्गत होने के कारण आकर्षक स्कीमों का ऑफर दिया अर्थात् मात्रा में छूट, नकद छूट, वार्षिक लक्ष्य में छूट और नब्बे दिनों के लिए क्रेडिट सुविधा। यह प्रथा दोनों कंपनियो द्वारा आपूर्त घटिया गुणता वाले माल के बावजूद 1995-96 तक जारी रही।

(ii) एम पी एल और एस ओ आर एल हेट्रो पॉलीअलों की आपूर्ति करने में समर्थ नहीं है और उनकी यह दलील कि वे ऐसे ग्राहकों को हेट्रोपॉलीअल की आपूर्ति करते हैं जो उसकी लगातार आपूर्ति चाहते हैं, गलत हैं।

(iii) स्वदेशी उद्योग को आयात शुल्क की उच्च दरों के कारण ही सक्षम बनाया गया।

(iv) एम पी एल द्वारा यू बी पेट्रो की खरीद के बाद उन्होंने एकाधिकारवादी प्रवृत्ति के कारण नीतिगत निदेश देना शुरू कर दिया, सभी लाभों और बिक्री संवधर्न स्कीमों को परिवर्तित कर दिया/वापस ले लिया। आयात केवल गत डेढ़ वर्ष से शुरू हुआ।

(ज) पॉलीयूरेथेन एसोसिएशन आफ इंडिया :

(i) पॉलीयूरेथेन एसोसिएशन आफ इंडिया (पी यू ए आई), पॉलीयूरेथन उद्योगों के विभिन्न हितों की देखभाल करने के लिए एक पंजीकृत सोसाइटी है। भारत में पॉलीयूरेथेन उत्पादन ने पर्याप्त प्रगति की है और वर्तमान उत्पादन 50000 एम टी प्रति वर्ष से अधिक है।

(ii) भारत में पी यू/स्लैबस्टॉक फोम, भारत सरकार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित है। तथापि, सामान्य छूट सं. (1) (लघु उद्योग छूट), उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत प्रयोज्य नहीं है।

(iii) स्लैब स्टॉक-उद्योग-उत्पादन स्तर, 1985 से 1992 तक 9,000 से 10,000 एम टी प्रति वर्ष के स्तरों पर वस्तुत: ठहर गया था।

(iv) पी यू फोम, बाजार के बड़े खण्ड (सेगमेंट) में कपास (कॉटन), रबर और रबर युक्त क्वायर से प्रतियोगिता करता है।

(v) पी यू फोम को लग्जरी आइटम के रूप में वर्गीकृत किया गया था और कच्चे माल एवं फोम दोनों को बहुत भारी शुल्क के अधीन रखा गया था।

(vi) गद्दे (मैट्रेसेज) और तकिए (पिलो) में पी यू फोम का प्रयोग होने से दुर्लभ कपास (काटन) को निर्यात क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया।

(vii) रबरयुक्त क्वायर फोम जैसे उत्पादों पर उत्पाद शुल्क से पूर्णत: छूट प्राप्त है और पी यू उद्योग को इन उत्पादों के मुकाबले विषम प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है।

(viii) उद्योग के अंदर तथा स्थानापन्न उत्पादों में भी कड़ी प्रतिस्पर्द्धा है और वृद्धि कायम रखने के लिए पी यू फोम के मूल्य बरकरार रखने की तत्काल आवश्यकता है।

(ix) रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण इस उद्योग के लिए हानिकार होगा और इससे देश में एकाधिकार उत्पादक को ही मदद मिलेगी जो आबद्ध बाजार का शोषण करेंगे।

(x) आवेदक, घरेलू उद्योग के लिए गंभीर क्षति सिद्ध करने में असफल रहे हैं।

(xi) आवेदक पहले से ही 35 प्रतिशत सीमाशुल्क लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

(xii) आवेदनोपरांत गतिविधियां

क. प्रोपीलीन मूल्य में कमी

ख. 4 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क का अधिरोपण

ग. भारतीय रुपए के मुकाबले में अमरीकी डालर में 18 प्रतिशत तक मूल्य वृद्धि से आवेदकों को प्रतिस्पर्द्धा का अतिरिक्त अवसर मिला है और इससे शुल्क के अधिरोपण के लिए उनका मामला और कमजोर हो गया है।

(iv) निर्यातकों/निर्यातक देशों के विचार

एफ एस पी के निर्यातकों ने निम्नलिखित मुख्य: मुद्दे उठाए हैं :—

(क) मैसर्स शील्ड एयर (एस) प्रा. लि., सिंगापुर

1. कार्यवाही में वह एक इच्छुक पक्षकार थी।

2. वह इन्स्टापेक केमिकल बी का उत्पादन और भारत को निर्यात कर रही थी जिसकी एच एस टैरिफ श्रेणी घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित स्लैबस्टॉक पॉलीअल के समान थी किन्तु वह न तो एफ एस पी जैसी है और न ही सीधी उसकी प्रतिस्पर्द्धा में है।

3. यद्यपि दोनों ही पदार्थों में पॉलीअल है फिर भी इन्स्टापेक केमिकल बी निम्नलिखित रूप में एफ एस पी से भिन्न है :—

(i) पॉलीअल का भिन्न अणुभार

(ii) भिन्न रसायन योगज

(iii) इन्स्टापेक केमिकल ए के साथ अद्वितीय अभिक्रिया

4. इन्स्टापेक केमिकल बी और एफ एस पी प्रत्यक्षत: प्रतियोगी वस्तुएं नहीं हैं, क्योंकि इसका अंत्य उपयोगी अद्वितीय है। इसका उपयोग रक्षा इलेक्ट्रानिक्स, एवयानिक्स, कम्प्यूटर पेरीफेरल, विमान कल-पुर्जे आदि जैसी वस्तुओं की पैकिंग के लिए सुरक्षात्मक फोम इन-हाउस के उत्पादन के लिए किया जाता है न कि मैट्रेसेज अथवा फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक के लिए।

5. भारत के लिए इन्स्टापेक केमीकल बी के निर्यात और एफ एस पी के भारतीय उत्पादकों के लिए गंभीर क्षति अथवा उसके खतरे के बीच कोई कारण-संबंध नहीं हैं।

6. भारत के लिए निर्यातित इन्स्टापेक केमीकल बी को रक्षोपाय के क्षेत्र से बाहर कर देना चाहिए।

(ख) आसही ग्लास कं. लि., सिंगापुर

1. एफ एस पी के सी आई एफ मूल्य इस प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा (एम टी)	सी आई एफ (डालर प्रति एम टी)
1995	151	1474
1996	302	1307
1997	1192	1141

2. आयात शुल्क में वृद्धि अथवा रक्षोपाय शुल्क के कार्यान्वयन से घरेलू उत्पादकों को मदद नहीं मिलेगी जिसके निम्नलिखित कारण हैं :—

(i) घरेलू उत्पादकों की स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ii) स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन प्रचालन के आर्थिक स्तर के लिए पर्याप्त नहीं है जिसके फलस्वरूप प्रचलन लागत ऊंची है।

(iii) गुणता और आपूर्ति में असंगति।

(iv) विदेशी आपूर्तिकताओं के मुकाबले में ग्राहकों के लिए बेहतर ऋण शर्तें/सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थता।

(ग) शेल कंपनीज, सिंगापुर

1. उनकी क्षमता 78000 एम टी प्रतिवर्ष है। वह सभी एशिया प्रशान्त देशों और मध्य पूर्व, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बाजारों में आपूर्ति करते हैं। भारत में 1997 में उनकी बिक्री एफ एस पी संयंत्र की कुल क्षमता का मात्र 2.7 प्रतिशत थी अर्थात् उन्होंने भारत के लिए मात्र 2100 एम टी एफ एस पी का निर्यात किया।

2. भारत में 13500 एम टी की क्षमता की तुलना में कुल 25000 एम टी पॉलीअल की खपत हुई। अत: घरेलू मांग घरेलू आपूर्ति से अधिक होने के कारण एफ एस पी का आयात आवश्यक हो गया।

3. उनके द्वारा प्रस्तावित ब्याज दरें और ऋण अवधि सामान्यत: यू एस प्राइम दरों के अनुसार और 90 दिन के ऋण आधर पर थी।

4. स्थानीय मूल्य स्तर और शर्तों के संगत मूल्यों पर अपने उत्पाद ग्राहकों को प्रदान करना उनकी बिक्री नीति थी। शेल इंडिया प्रा. लि. एक पंजीकृत भारतीय कंपनी है जो शेल को केवल विपणन सहायता प्रदान करती है। यह आरोप कि शेल भारत में बिक्री के लिए निराशोन्मत थी और भारत में मूल्यों में भारी कमी प्रारंभ कर दी, गलत था।

5. शेल से उनका एफ एस पी का आयात भारतीय एफ एस पी बाजार का एक छोटा हिस्सा मात्र है जो खपत में वृद्धि के साथ बढ़ रहा है।

6. भारत में आयात शुल्क सर्वाधिक था। अन्य देशों के स्थानीय उत्पादक जहां आयात शुल्क काफी कम है, भारी मात्रा में एफ एस पी के आयात के बावजूद अपने आपको बनाए रख सके। भारत में एफ एस पी की प्रति व्यक्ति खपत न्यूनतम है और ऊंची आयात शुल्क से खपत बढ़ने में कोई सहायता नहीं मिली।

7. 1997 में भारतीय रुपए की तुलना में अमरीकी डालर में 12 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि के कारण शुल्क में कमी के बावजूद आयात अपेक्षाकृत मंहगा हो गया है।

8. एम पी एल और एस ओ आर एल में पॉलीअल की कुल क्षमता 13500 एम टी प्रतिवर्ष है। 80 प्रतिशत के स्तर पर उत्पादन 10,800 एम टी प्रतिवर्ष है। पॉलीअल की अखिल भारतीय मांग लगभग 33000 एम टी प्रतिवर्ष है जिसमें से एफ एस पी की मांग 12,000 एम टी प्रतिवर्ष है। यह स्पष्ट है कि पॉलीअल का आयात घरेलू उत्पादन में कमी के कारण आवश्यक हुआ।

9. भारत में पॉलीअल की घरेलू खपत औसतन 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ रही है। एम पी एल/एस ओ आर एल के पास अनुसंधान एवं विकास में 30 व्यक्ति हैं जो पी यू व्यवस्था और अन्य पॉलीअल ग्रेडों के विकास के लिए जापान की मित्सुई और अनेक अन्य कंपनियों के साथ कार्य कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में फलैक्सिबल स्लैब/फोम व्यवसाय की उपेक्षा हुई।

10. एम पी एल/एस ओ आर एल ने हेट्रो- पॉलीअल के रूप में मात्र 35 प्रतिशत एफ एस पी की आपूर्ति की है। उनकी ओर से यह आपूर्ति निरुद्ध है और वे बाजार मांग पूरी नहीं कर सकते हैं। शेल केमिकल्स ने हेट्रोपॉलीअल की ही आपूर्ति की है।

11. शेल से आपूर्ति 1996 के मध्य से ही प्रारंभ हुई थी और उन्होंने पॉलीअल के हेट्रो ग्रेड की ही बिक्री की जो फलैक्सिबल स्लैब स्टॉक फोम के उत्पादन में ही प्रयुक्त होता है।

12. एम पी एल और एस ओ आर एल एक ही व्यवसाय समूह के हिस्से हैं। रक्षोपाय शुल्क की वसूली एम आर टी पी अधिनियम, 1969 के विपरीत होगी क्योंकि यह एकाधिकारवाद को प्रोत्साहन देने के बराबर होगा और तब वह बाजार में अपनी प्रबल स्थिति का दोहन करेगा जिससे ग्राहक को हानि होगी और उसे उत्पाद के लिए काफी ऊंची कीमत देनी होगी।

13. एम पी एल और एस ओ आर एल अल्प सूचना पर माल की आपूर्ति कर सकती है जबकि आयात के मामले में सिंगापुर जैसे काफी नजदीक आयात स्त्रोत से भी बिक्री पूर्ण होने में 45 से 60 दिन का समय लगता है।

14. एफ एस पी पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से अन्य स्थानापन्न उत्पादों से प्रतिस्पर्द्धा करने में अपनी समस्याओं के कारण फोम विभिन्न उत्पादक दयनीय स्थिति में पहुंच जाएंगे।

15. किसी शुल्क का अधिरोपण फोम उत्पादकों को वहन करना होगा तथा एम पी एल/एस ओ आर एल फोम उत्पादकों के लिए अपनी पूर्ण क्षमता की बिक्री पूर्णत: एकतरफा शर्तों पर करेंगे।

16. एम पी एल/एस ओ आर एल ने स्वीकार किया है कि मूल्य में अधिक कमी को रोकने और स्थिर करने और दूसरे शब्दों में प्रतिस्पर्द्धा को रोकने और एकाधिकार के लिए यू बी पेट्रोकेमीकल्स (एस ओ आर एल के रूप में पुन: नामित) का अधिग्रहण किया था।

17. रक्षोपाय शुल्क प्रावधान अनुचित लागत प्रबंधन के लिए सुरक्षा नहीं है।

18. जहां तक प्रोपीलीन की उपलब्धता का संबंध है, एम पी एल/एस ओ आर एल अपने को प्रतियोगी बनाने के लिए संविदात्मक कच्चे माल की व्यवस्था सुनिश्चित करने में असफल रहे हैं।

19. ऐसा प्रतीत होता है कि एम पी एल/एस ओ आर एल की अब भी अपनी विद्यमान इकाईयों के विस्तार की कोई योजना नहीं है और 1500 प्रोपीलीन का आयात उनके लिए अत्यधिक था। प्रतियोगी शर्तों पर भारी मात्रा में प्रोपीलीन के आयात की उनकी योजना व्यावहारिक प्रतीत नहीं होती क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मात्रा आपूर्ति के लिए काफी कम समझी जाती है। उन्हें प्रोपीलिन के आयात के लिए प्रयास करने के बजाए एम आर एल के साथ आपूर्ति संबंधी अपने मुद्दे का समाधान करना चाहिए।

20. ज्ञात हुआ है कि इस समस्या का अब समाधान कर लिया गया है और एम पी एल/एस ओ आर एल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी मूल्यों पर एम आर एल से अपनी प्रोपीलिन आवश्यकता का काफी बड़ा हिस्सा प्राप्त होगा। इस तरह रक्षोपाय शुल्क के लिए उनके अनुरोध में उल्लिखित मुख्य कारण समाप्त हो गया है।

21. अक्तूबर, 1997 से आयात शुल्क में लगभग 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और भारतीय रुपए के मूल्य में 19 प्रतिशत की निवल गिरावट आई है जिससे एम पी एल/एस ओ आर एल द्वारा उल्लिखित अवधि की तुलना में आयात लगभग 30 प्रतिशत मंहगा हुआ है। इस तरह रक्षोपाय शुल्क के माध्यम से मांगी गई क्षतिपूर्ति अब मान्य नहीं है।

22. भारत में एम पी एल/एस ओ आर एल के लिए प्रदत्त सुरक्षा एशिया प्रशान्त क्षेत्र में किसी अन्य को प्रदत्त सुरक्षा से काफी अधिक है।

23. एम पी एल/एस ओ आर एल द्वारा दो भिन्न रक्षोपाय शुल्क की मांग डब्ल्यू टी ओ करार के प्रावधानों, कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और रक्षोपाय शुल्क नियमावली, 1997 के प्रावधानों के विपरीत है। इन नियमों में बिना किसी भेदभाव के एक समान रक्षोपाय शुल्क की व्यवस्था है। रक्षोपाय शुल्क का आशय शेयर धारकों के लिए गारंटीशुदा प्रतिफल नहीं है।

24. रक्षोपाय शुल्क की वसूली से कोई सार्वजनिक हित पूरा नहीं होगा जोकि रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार के तहत एक अनिवार्य अपेक्षा है।

25. शेल द्वारा आपूर्त सभी पॉलीअल ब्याज मुक्त ऋण पर थी। प्रत्येक मामले में ब्याज जारी यू एस प्रायम दर (आर बी आई विनियमों के अनुसार) पर था जो औसतन लगभग 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। ऋण लदान-पत्र की तारीख अर्थात् लदान पत्तन से माल चलने की तारीख से प्रारंभ होता है। तथापि, सस्ते ऋण का यह आभास निम्नलिखित दो कारणों से भ्रामक है जैसा कि एम पी एल/एस ओ आर एल द्वारा विरोध किया गया है :

(क) माल के सी आई एफ मूल्य (सीमा शुल्क जमा सी बी डी) के लगभग 65 प्रतिशत का भुगतान सीमाशुल्क के भुगतान के समय किया जाता है। हमारे माल के मामले में यह शिपमेंट के 15 दिनों के अंदर है।

(ख) आपूर्तिकर्ता के लिए सी आई एफ के भुगतान हेतु आयातक के लिए विनिमय दर जोखिम सदैव रहता है अर्थात् जब सी आई एफ का भुगतान देय होता है रुपए/डालर की दर परिवर्तित हो सकती है। आयातक या तो जोखिम उठाएं अथवा बैंकों से "फारवार्ड कवर" लें। लागत भिन्न-भिन्न होती है किन्तु 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज का अर्थ है कि सी आई एफ अंश के लिए ऋण की निवल लागत लगभग 16 प्रतिशत है।

शेल केमीकल्स के निर्यात साख पत्र के बिल्कुल विपरीत है जिसकी स्वयं की संसाधन लागत है तथा एल/सी के प्रारंभ के समय लाभ राशि (जो सी आई एफ मूल्य के 25 और 100 प्रतिशत के बीच रहती है) अवरुद्ध हो जाती है। संशोधन के लिए समय देने और आपूर्ति लीड समय देने से यह लाभ राशि औसतन 45 दिन के लिए अवरुद्ध हो जाती है। अत: यह कहना जरूरी नहीं है कि ग्राहकों के लिए यह एक अतिरिक्त कार्यशील पूंजी भार है।

26. एम पी एल/एस ओ आर एल की समस्याएँ स्थायी स्वरूप की हैं क्योंकि उनका आकार गैर-किफायती है।

(घ) डॉव केमीकल पैसीफिक (सिंगापुर) प्रा. लि.

1. उनका भारत में एक ही एजेंट है अर्थात् डॉव केमीकल इंटरनेशनल लि., मुम्बई तथा भारत में एफ एस पी की बिक्री के लिए कोई अतिरिक्त एजेंट, उप-एजेंट अथवा वितरकों की नियुक्ति नहीं की गई है।

2. एम पी एल और एस ओ आर एल एक ही समूह के स्वामित्व में हैं जो एफ एस पी का एकमात्र घरेलू आपूर्तिकर्ता है। उनका एकाधिकार है जिससे वे प्रयोक्ताओं की कीमत पर बाजार में अपनी शर्तें थोपते हैं और जोड़-तोड़ करते हैं। एफ एस पी की बिक्री में कमी जैसा कि एम पी एल/एस ओ आर एल ने दावा किया है, आयातित पॉलीअल से अनुचित प्रतिस्पर्द्धा का परिणाम नहीं है अपितु उनके उत्पाद बाजार प्रबंधन पद्धति एवं गैर-प्रतियोगी विनिर्माण क्षमता का परिणाम है।

3. प्रोपीलीन आक्साइड (पी ओ) अथवा एथिलीन आक्साइड (ई ओ) के साथ उसके संयोजन के प्रयोग के आधार पर विभिन्न अणुभार के पॉलीअल के विनिर्माण के अलावा एफ एस पी में भी होमो पॉलीअल (केवल पी ओ) अथवा हेट्रो पॉलीअल (ई ओ/पी ओ का संयोजन) का निर्माण संभव है। यह नोट करना उचित होगा कि आयात किया जा रहा अधिकांश पॉलीअल हेट्रोपॉलीअल है जबकि एम पीएल/एसओ आर एल द्वारा उत्पादित पॉलीअल होमोपॉलीअल है। फ्लैक्सिबल स्लैब स्टॉक फोम उत्पादक सामान्यत: हेट्रो-पॉलीअल को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यह होमो-पॉलीअल की तुलना में बेहतर मशीन संसाधनीयता इष्टतम उत्प्रेरक अपेक्षाएं प्रदान करता है। उनकी बिक्री का 95 प्रतिशत हेट्रो-पॉलीअल का है।

4. 1994-95 के लिए एम पी एल के मामले में एफ एस पी की बिक्री 4518 एम टी और एस ओ आर एल के मामले में 4072 एम टी दर्शाई गई है जो तथ्यात्मक रूप से गलत है और पॉलीएयर पॉलीअल की कुल बिक्री दर्शाती है। वर्ष 1994-95 के लिए एफ एस पी की वास्तविक बिक्री एम पी एल के मामले में 3328 एम टी और एस ओ आर एल के मामले में 2609 एम टी है जैसा कि संक्षिप्त विवरण में उल्लेख किया गया है।

5. शुल्क में 1994-95 में 65 प्रतिशत से कमी करके 1996-97 में 32 प्रतिशत करने से आयातित हेट्रोपॉलीअल और अधिक वहनीय हो जाएगा। आयात में कोई भारी वृद्धि नहीं हुई है बल्कि स्थानीय मांग में वृद्धि के आधार पर आयात में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है जो 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है तथा एम पी एल/एस ओ आर एल द्वारा संवर्द्धित होमो पॉलीअल प्रौद्योगिकी की कीमत पर हेट्रोपॉलीअल प्रौद्योगिकी के लिए कुछ अंतरण भी है।

6. प्रमुख पॉलीअल उत्पादक अनुसंधान और विकास में निवेश करके उत्पाद निष्पादन में निरंतर सुधार करते हैं।

7. जुलाई—नवंबर 1997 के दौरान एम पी एल/एस ओ आर एल के पॉलीअल की बढ़ी हुई बिक्री यह दर्शाती है कि एम पी एल/एस ओ आर एल को रुपए के 10 प्रतिशत अवमूल्यन और आयात शुल्क में 3 प्रतिशत तक वृद्धि से पहले ही काफी लाभ हुआ है।

8. भारत में पॉलीअल की कुल मांग 25000 एम टी प्रतिवर्ष है जिसमें से फ्लैक्सिबल स्लैब स्टॉक फोम उत्पादकों अर्थात् एफ एस पी के लिए 11500 एम टी की आवश्यकता है। सभी पॉलीअलों के लिए 13500 एम टी की घरेलू क्षमता पर्याप्त नहीं है।

9. उन्होंने वर्ष 1997-98 (अप्रैल—अगस्त) के लिए 3850 एम टी आयात का अनुमान लगाया है जबकि आवेदकों ने 2514 एम टी का अनुमान लगाया था।

10. आयात शुल्क में कमी और आयात में वृद्धि से 1996-97 तक एम पी एल/एस ओ आर एल की एफ एस की बिक्री को प्रभावित नहीं किया।

11. भारतीय ग्राहकों को दी जा रही ब्याज दरें और ऋण अवधि ब्याज की यू एस प्राइम दर पर है। एफ एस पी के लिए डॉव द्वारा दी गई ऋण अवधि लदान-पत्र की तारीख से 90 दिन है जिसमें से 40-45 दिन पारगमन और निकासी में गुजर जाते हैं। घरेलू उत्पादक भी 30-45 दिन का ऋण देते हैं। इसके अतिरिक्त क्रेताओं के लिए पेश ऋण केवल सी आई एफ के लिए है और शुल्क एवं हैंडलिंग प्रभारों आदि जैस अन्य खर्चों के लिए नहीं है।

12. प्रतियोगी मूल्यों पर कच्चे माल की खरीद में निस्सहायता का दावा एम पी एल/एस ओ आर एल के लिए असंगत है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में आसानी से पहुंचा जा सकता है।

13. एम पी एल/एस ओ आर एल द्वारा स्थापित इकाईयां अंतर्राष्ट्रीय आकार के संयंत्रों का मुकाबला करने के लिए अत्यधिक छोटे हैं क्योंकि कच्चे माल की ऊंची लागत के साथ छोटी इकाईयों की उत्पादन लागत, विश्वस्तरीय सुविधाओं की तुलना में लगभग दो गुणा अधिक होती है।

14. आवेदकों द्वारा अनुबंध III में दिए गए क्षमता उपयोग संबंधी आंकड़े भ्रामक हैं ओर उनके प्रकाशित आंकड़ों से असंगत हैं। अत: सावधानी पूर्वक संवीक्षा की आवश्यकता है।

15. भारत में एफ एस पी की मूल्य निर्धारण प्रवृत्ति स्थायी रूप से प्रशांत क्षेत्र में लागू मूल्यों के बराबर अथवा अधिक रही है। अत: डंपिंग का आरोप निराधार है। इसके अतिरिक्त, पॉलीअल की आगत लागत घरेलू उत्पादित पॉलीअल से सामान्यत: अधिक रही है और ग्राहकों ने बेहतर उत्पाद और सेवाओं के लिए आयातित पॉलीअल के लिए प्रीमियम के भुगतान को प्राथमिकता दी है।

16. डॉव ने कुछ कानूनी अनुदेश भी प्रस्तुत किए हैं कि घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है। बढ़े हुए आयात और क्षति के बीच कोई कारण-संबंध नहीं है और रक्षोपाय शुल्क की वसूली से एकाधिकार को प्रोत्साहन मिलेगा।

17. अपने प्रत्युत्तर पेश करने के पश्चात् बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आवेदकों द्वारा एम आर एल को भुगतान किए गए प्रोपीलीन के मूल्य के संबंध में परिवर्तन हुआ है क्योंकि भारत सरकार ने रिफाइनरियों द्वारा बेचे गए अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादकों के मूल्य विनियंत्रित कर दिए हैं तथा अमरीकी डालर की तुलना में रुपए में लगभग 18 प्रतिशत अवमूल्यन तथा वित्त (सं. 2) विधेयक, 1998 द्वारा 1-6-98 से विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क के अधिरोपण के कारण आयात में कमी हुई है। प्रोपीलीन के मूल्यों के बारे में आवेदकों और एम आर एल के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद का आवेदकों के कक्ष में समाधान कर लिया गया है।

18. उपर्युक्त परिवर्तनों के कारण आवेदकों द्वारा मांगी गई 569 अमरीकी डालर और 233 अमरीकी डालर की रक्षोपाय शुल्क के मुकाबले में उन्हें प्रति मी. टन एफ एस पी के लिए लगभग 497 अमरीकी डालर का लाभ हुआ है। ये सभी तीनों परिवर्तन आवेदकों द्वारा दिए गए आवेदनों के मूलाधार हैं। चूंकि सरकार द्वारा शुरू किए गए नीतिगत परिवर्तनों के कारण आवेदकों की सभी शिकायतों का पहले ही समाधान कर लिया गया है तथा वृहद आर्थिक कारकों के कारण भी आवेदन निष्फल हो गया है और उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

19. कोई भारी वृद्धि नहीं हुई है किंतु पिछले कुछ समय में आयात में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है।

20. भारत में पॉलीअल पर आयात शुल्क की दर संपूर्ण एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक है अत: आवेदकों को पहले से ही पर्याप्त शुल्क सुरक्षा प्राप्त है।

21. आवेदकों को अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाए कि उनके संयंत्र उनके द्वारा बताई गई क्षमता से काफी अधिक क्षमता के लिए डिजाइन किए गए हैं।

22. दो इकाईयों में नियोजित इक्विटी पूंजी की भिन्न-भिन्न राशियों के आधार पर दो भिन्न कानूनी सत्ताओं (एम पी एल एवं एम ओ आर एल) के लिए आवेदकों द्वारा रक्षोपाय शुल्क की दो भिन्न राशियों की मांग पूर्णत: गलत है और रक्षोपाय शुल्क नियमावली, 1997 के प्रावधानों के विपरीत है।

23. रक्षोपाय शुल्क नियमावली, 1997 में यह व्यवस्था है कि ये आपातकालीन उपाय हैं और इनका उपयोग असाधारण मामलों में किफायत से तभी किया जाएगा जब आयात में भारी वृद्धि के कारण गंभीर खतरा और अपूरणीय क्षति हो जिससे घरेलू उद्योग को समग्र क्षति पहुंचे। वर्तमान मामले में, ये आपातकालीन उपाय लागू करने के लिए रक्षोपाय शुल्क नियमावली में उल्लिखित तीनों पूर्वशर्तों में से एक भी पूरी नहीं होती है।

24. आवेदक बढ़े हुए आयात और आवेदकों के लिए तथाकथित क्षति के बीच किसी कारण-संबंध के बारे में वस्तुपरक प्रमाण देने में असफल रहे हैं।

25. दोनों ही आवेदक साझा स्वामित्व में हैं और प्रश्नगत उत्पाद के एकाधिकार उत्पादक हैं। यदि भारत सरकार रक्षोपाय शुल्क वसूल करती है तो यह एम आर टी पी अधिनियम,, 1969 के प्रावधानों तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विपरीत होगा क्योंकि इससे बाजार से प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी।

26. आवेदकों द्वारा अमरीकी डालरों में मांगी गई रक्षोपाय शुल्क रक्षोपाय शुल्क नियमावली, 1997 के नियम 12 के साथ पठित धारा 8ख के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तथा यह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के भी विपरीत होगा।

(ङ) मैसर्स ए आर सी ओ केमिकल्स (सिंगापुर) प्रा. लि.

1. भारत के लिए पेश किए मूल्य एशिया क्षेत्र में पेश मूल्यों के अनुरूप हैं तथा भारत के लिए किसी विशेष मूल्य की पेशकश नहीं की जा रही है।

2. भारत में 35 प्रतिशत आयात शुल्क इस क्षेत्र में सर्वाधिक है।

3. भारत, इस क्षेत्र में न्यूनतम पी एस पी खपत वाले देशों में से है। आयातित एफ एस पी को समाहित करने के लिए भारतीय बाजार काफी बड़ा है और इसके विस्तार की काफी संभावनाएं हैं जिससे घरेलू उत्पादकों और आयातकों दोनों का लाभ होगा बशर्ते आयात कर अन्य देशों के आयात कर के समान हो।

4. ए आर सी ओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भारतीय बाजार को नवनीत उत्पाद और प्रौद्योगिकी प्रदान करेंगे बशर्ते आयात शुल्क अन्य देशों के आयात शुल्क के समान हो।

5. रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से भारतीय ग्राहकों के लिए उपलब्ध खरीद विकल्प कम होंगे क्योंकि ये आवेदक भारत में एकमात्र उत्पादक हैं।

6. इन आवेदकों को 40 प्रतिशत से अधिक का शुल्क का लाभ और अमरीकी डालर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन का लाभ पहले से ही मिल रहा है।

7. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत के विपरीत होगा अत: इसका अधिरोपण नहीं किया जाना चाहिए।

(च) बेयर ए जी

1. इनके द्वारा निर्यातित उत्पाद जांच के अधीन उत्पाद से बिल्कुल भिन्न है और जांच अवधि के दौरान उन्होंने जर्मनी से भारत के लिए एफ एस पी का निर्यात नहीं किया है।

(छ) जापानी दूतावास

रक्षोपाय आपवादिक परिस्थितियों के लिए एक आपातकालीन उपाय है जिसे सख्त आवश्यकता होने पर ही कार्यान्वित किया जा सकता है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट हो जाता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के समय से पिछले तीन वर्षों में विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों में मात्र 15 रक्षोपाय जांच शुरू की गई हैं। जापान उस स्थिति से बहुत चिन्तित है जिसमें भारत सरकार ने 5 महीनों में 5 रक्षोपाय जांच शुरू की हैं।

(V) महानिदेशक का निष्कर्ष

1. मैंने मामले के रिकार्डों तथा घरेलू उत्पादकों, प्रयोक्ताओं/आयातकों, निर्यातकों और निर्यातक सरकारों द्वारा दिए गए उत्तरों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है। विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध तथा उनसे उत्पन्न मुद्दों पर निम्नलिखित निष्कर्षों में यथोचित स्थान पर विचार किया गया है।

2. जांच के अधीन उत्पाद

जांच के अधीन उत्पाद 3000-4000 अणुभार का फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीअल (एफ एस पी) है जिसका उपयोग स्लैबस्टॉक फोम और पॉलीयूरेथेन फोम मेट्रेसेज के विनिर्माण में किया जाता है।

एफ एस पी रासायनिक तौर पर पॉलीएथर, चिपचिपा रंगहीन द्रव है जिसका निर्माण तरल उत्प्रेरक का प्रयोग करके पॉलीहाइड्रिक अम्स (स्टार्टर्स) के प्रोपेक्सीलेशन इथोक्सीलेशन के जरिए किया जाता है। जब स्टार्टर के रूप में ग्लिसरीन जैसे ट्रिओल का प्रयोग किया जाता है और अणुभार 3000-4000 तक किया जाता है तो उसके परिणामस्वरूप स्लैबस्टॉक फ्लैक्सिबल ग्रेड का पॉलीअल उत्पाद पैदा होता है। फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीयूरेथेन फोम के उत्पादन के लिए फ्लैक्सिबल पॉलीअल की टालूइन डाई-आयसोसियानेट(टी डी आई) के साथ अभिक्रिया की जाती है। पॉलीयूरेथेन के निर्माण और फोम के गुणधर्म के नियंत्रण के लिए अभिक्रिया मिश्रण में अल्पमात्रा में उत्प्रेरक और सर्फैक्टेंट्स का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित विभिन्न अनुप्रयोगों के उपयोग के लिए 10 एवं 40 कि.ग्रा./घन. मी. के बीच विभिन्न घनत्व की फोम का उत्पादन किया जाता है।

क. सीट कुशन

ख. पॉलीयूरेथेन बेडिंग

ग. निचली कार्पेट चद्दर

घ. वस्त्र

ङ विभिन्न आवरणों, आदि के लिए विविध अनुप्रयोग।

एफ एस पी का विनिर्माण होमोपॉलीअल और हेट्रोपॉलीअल के रूप में किया जाता है। पॉलीअल आधारित प्रोपीलिन आक्साइड (पी ओ) को होमोपॉलीअल तथा एथिलीन आक्साइड युक्त मिश्रण को हेट्रोपालोअल के तौर पर जाना जाता है। फोम उत्पादकों द्वारा होमोपॉलीअल और हेट्रोपॉलीअल दोनों का बारीबारी से उपयोग किया जाता है।

कुछ पक्षकारों ने यह दावा किया है कि रेफिजरेटर और थर्मोवेयर इंसुलेशन, ढांचा अनुप्रयोग, स्प्रे आदि के लिए सख्त फोम, आटोमोटिव और मोटरसाइकिल सीट के लिए फ्लैक्सिबल मोल्डेड फोम तथा फुटवीयर के लिए इलास्टोमर्स के विनिर्माण में प्रयोग के लिए इन्टापेक केमीकल बी और पॉलीएथर पॉलीअल जैसे कुछ विशेष पॉलीअल न तो फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीअल जैसे हैं और न ही प्रत्यक्ष प्रतियोगी हैं। अणुभार प्रमुख भिन्न कारक हैं। तथापि वर्तमान जांच में 3000 ओर 4000 के बीच अणुभार के फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीअल ही शामिल हैं अन्य नहीं। अत: विशेष पॉलीअल इस जांच में शामिल नहीं हैं। पहचान में आसानी के लिए कुछ ज्ञात निर्माताओं/निर्यातकों के प्रतियोगी उत्पादों की सूची नीचे दी गई है:—

निर्माता	ग्रेड	
एम पी एल	ईएमपीईवाईओएल	एफ 3000/3002
एस ओ आर एल	एस ओ आर एल	एफ 3000/3010
बेयर	डीईएसएमओपीएचईएन	7186 बी
डॉव	वीओआरओसीओएल	3010
ए आर सी ओ		5613/5603

उपर्युक्त सूची सांकेतिक मात्र है और किसी भी रूप में वर्तमान जांच के क्षेत्र पर नि:शेष अथवा बाध्यकर नहीं है।

एफ एस पी कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष सं. 3907.20 के तहत तथा संगत वस्तु विवरण पर आधारित भारतीय व्यापार वर्गीकरण के 39072000 के तहत वर्गीकृत है। उपर्युक्त वर्गीकरण केवल सुविधा के लिए दर्शाया गया है और किसी भी रूप में जांच के अधीन उत्पाद अर्थात् 3000-4000 के बीच अणुभार के फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिअल के कवरेज के क्षेत्र को बाधित नहीं करता।

3. घरेलू उद्योग

मनाली पेट्रोकेमीकल्स लि., चेन्नई और स्पिक आर्गेनिक्स लि., चेन्नई द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं जो फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पालीअल के एकमात्र घरेलू उत्पादक हैं और जो फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिअल के एकल घरेलू उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए यह समझा जाता है कि यह आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया है।

4. वर्दित आयात

भारत में जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड और सं. रा. अमेरीका से एफ एस पी का आयात किया जाता है। एफ एस पी पर 1994-95 में 65 प्रतिशत, 1995-96 में 40 प्रतिशत, 1996-97 और 1997-98 में सितम्बर तक 32 प्रतिशत और अक्तूबर, 1997 से 35 प्रतिशत आयात शुल्क लगा। घरेलू उत्पादकों ने बताया है कि इस अवधि में एफ एस पी का आयात 1994-95 में 103 एम टी, 1995-96 में 502 एम टी, 1996-97 में 1020 एम टी और अप्रैल-अगस्त, 1997 में 2515 एम टी था।

आवेदकों ने दावा किया है कि आयात आंकड़े आंशिक डाटा मात्र हैं क्योंकि कांडला और आई सी डी, दिल्ली से किए गए आयात के डाटा सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। इसलिए वास्तविक आयात अधिक हो सकता है। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक (डी जी सी आई एस) ने संख्या 39072000 के अंतर्गत "अन्य पॉलीएथर्स" के डाटा संकलित किए हैं जिसमें सभी पॉलीअल के आयात डाटा शामिल हैं। संख्या 39072000 के तहत डी जी सी आई एस के आयात डाटा 1994—95—3613 एम टी, 1995—96—5120 एम टी, 1996-97—7124 एम टी और 1997-98 (अप्रैल - अगस्त) 4998 एम टी है। शेल ने बताया है कि 1996-97 में उन्होंने भारत के लिए 2100 एम टी एफ एस पी का निर्यात किया है। डॉव ने अनुमान लगाया है कि भारत में कुल आयात 1994-95 में 1800 एम टी, 1995-96 में 2700 एम टी, 1996-97 में 3350 एम टी और अप्रैल-अगस्त, 1997 में 3850 एम टी था। डॉव का अनुमान अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है और इसलिए ये निष्कर्ष डॉव द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात आंकड़ों पर आधारित है।

यथानुपात आधार पर आयात 1994-95 की तुलना में 1995-96 में 50 प्रतिशत, 1995-96 की तुलना में 1996-97 में 20 प्रतिशत और 1996-97 की तुलना में अप्रैल-अगस्त, 1997 में 175.8 प्रतिशत बढ़ा है। 1994-95 की तुलना में आयात यथानुपात आधार पर अप्रैल-अगस्त, 1997 में 413.3 प्रतिशत बढ़ा। इस दौरान एफ एस पी का घरेलू उत्पादन 1994-95 में 5762 एम टी, 1995-96 में 6831 एम टी, 1996-97 में 7050 एम टी तथा अप्रैल-अगस्त में 1122 एम टी था। तुलनात्मक संदर्भ में 1994-95, 1995-96, 1996-97 और 1997-98 (अप्रैल-अगस्त) में आयात घरेलू उत्पादन का 31.2 प्रतिशत, 39.5 प्रतिशत, 47.5 प्रतिशत और 343.1 प्रतिशत था। निम्नलिखित तालिका-1 में उपर्युक्त अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन और आयात के समग्र और तुलनात्मक आंकड़े दिए गए हैं:—

तालिका - 1

वर्ष	घरेलू उत्पादन एम टी	आयात एम टी	घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में आयात
1994-95	5762	1800	31.2
1995-96	6831	2700	39.5
1996-97	7050	3350	47.5
1997-98	1122	3850	343.1

अप्रैल - अगस्त

इस प्रकार कुल मिलाकर और घरेलू उत्पादन की तुलना में आयात बढ़ा है।

5. घरेलू मांग और आपूर्ति में अंतर

दावा किया गया है कि एफ एस पी का घरेलू बाजार 10.12 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और कि एफ एस पी की घरेलू मांग लगभग 11500 एम टी प्रतिवर्ष है और कि सख्त/मोल्डेड/अर्द्ध सख्त पॉलीअल की मांग 13500 एम टी है। इस तरह पॉलीअल की कुल मांग 25000 एम टी प्रतिवर्ष है जबकि घरेलू उत्पादक प्रति वर्ष लगभग 13500 एम टी की ही पूर्ति कर सकते हैं और इस तरह घरेलू उत्पादन और आपूर्ति में अंतर है जिसे घरेलू उत्पादक पूरा नहीं कर सकते। इस अंतर को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक है।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान एफ एस पी की प्रत्यक्ष घरेलू खपत (घरेलू बिक्री जमा आयात) 1994-95 में 7737 एम टी, 1995-96 में 9200 एम टी और 1996-97 में 10483 एम टी थी। 1997-98 (अप्रैल-अगस्त) में प्रत्यक्ष खपत 4507 एम टी थी जो यथानुपात आधार पर 1997-98 के लिए लगभग 10817 एम टी प्रतिवर्ष बनती है। 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान घरेलू उत्पादन 5762 एम टी, 6831 एम टी और 7050 एम टी था। तथापि, 1997-98 (अप्रैल-अगस्त) में उत्पादन गिरकर 1122 एम टी हो गया।

घरेलू उत्पादकों ने अपने आवेदन में अपनी स्थापित क्षमता एम पी एल के लिए 6000 एम टी प्रतिवर्ष और एस ओ आर एल के लिए 7500 एम टी प्रतिवर्ष तथा कुल स्थापित क्षमता 13500 एम टी प्रतिवर्ष बताई है। इस स्थापित क्षमता के साथ घरेलू उत्पादकों के पास एफ एम पी की समग्र घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता थी जो 1994-95 में 7737 एम टी से बढ़कर 1996-97 में लगभग 10483 एम टी और पूर्ण 1997-98 के लिए (यथानुपात आधार पर परिगणित) लगभग 10813 एम टी हो गई। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि घरेलू उत्पादकों ने यह बताया है कि वे पॉलीअल के सभी ग्रेडों का अर्थात् एफ एस पी, सख्त पॉलीअल आदि का उत्पादन करते है और सभी ग्रेडों के लिए उनका वर्तमान उत्पादन स्तर कुल मिलाकर लगभग 8000 एम टी में से लगभग 7000 एम टी एफ एस पी का उत्पादन हुआ। इसलिए अन्य पॉलीअल का उत्पादन लगभग 1000 एम टी अथवा कुल पॉलीअल उत्पादन का लगभग 12.5 प्रतिशत है। इस तरह

घरेलू क्षमता के एक बड़े भाग का उपयोग एफ एस पी के उत्पादन के लिए किया जा रहा है। इसलिए 13500 एम टी प्रतिवर्ष की क्षमता में से एफ एस पी की लगभग 11500 एम टी की अनुमानित मांग ही पूरी कर सकते हैं।

तथापि घरेलू उत्पादकों ने दावा किया है कि उनकी संयुक्त क्षमता 18000 एम टी प्रतिवर्ष अर्थात् एम पी एल के लिए 10000 एम टी प्रतिवर्ष और एस ओ आर एल के लिए 8000 एम टी प्रतिवर्ष है। कुछ पक्षकारों ने घरेलू उत्पादकों के इस दावे को चुनौती दी है और उन्होंने इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाणों की जांच का अनुरोध किया है। घरेलू उत्पादकों ने स्पष्ट किया है कि जब 1989-90 में इस संयंत्र का निर्माण किया गया था, एम पी एल को 7500 एम टी प्रतिवर्ष उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया था। यद्यपि इसकी लाइसेंसशुदा क्षमता 6000 एम टी प्रतिवर्ष थी। गोपनीय आधार पर उन्होंने इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। एम पी एल संयंत्र ने गारंटी चक्र के दौरान 136 प्रतिशत अर्थात् 7500 एम टी प्रतिवर्ष उत्पादन दर्ज किया था उन्होंने आगे बताया है कि प्रथम वर्ष के प्रचालन के पश्चात् खामियों को दूर करके उन्होंने संयंत्र की क्षमता बढ़ा दी है और संयंत्र की आन-स्ट्रीम कुशलता यह दर्शाती है कि एम पी एल संयंत्र की क्षमता लगभग 10000 एम टी प्रतिवर्ष और एस ओ आर एल की क्षमता 8500 एम टी प्रतिवर्ष है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि अगले दो वर्षों में रिजिड सिस्टम और कोल्ड क्योर सिस्टम में उनका हिस्सा 4000 एम टी से अधिक होने की उम्मीद नहीं है इससे उन्हें एफ एस पी की मांग को पूरी करने के लिए आसान उत्पादन स्तर मिलेगा। घरेलू उत्पादकों ने यह भी उल्लेख किया है कि डिजाइन और गारंटी निष्पादन परीक्षण में यथा प्रमाणित पी ओ संयंत्र की क्षमता प्रत्येक 15000 एम टी प्रतिवर्ष है। बॉयलर, कूलिंग टावर, कच्चा और तैयार उत्पाद भंडारण, अपजल शोधन संयंत्र तथा बहि:स्राव को 6 से 7 कि. मी. दूर समुद्र में फेंकने के लिए लंबी दूरी की महंगी पाइप लाइन की क्षमता काफी अधिक है तथा एक और पी ओ संयंत्र की आसानी से सहायता कर सकती है। पी ओ संयंत्र का क्षमता उपयोग इस समय केवल 8900-10,000 एम टी प्रतिवर्ष है और यदि पूर्ति के लिए पर्याप्त बाजार उपलब्ध हो तो उत्पादन 15000 एम टी प्रतिवर्ष की गारंटी क्षमता तक आसानी से बढ़ाया जा सकता है यदि देश की मांग की पूर्ति के लिए उच्चतर संयंत्र भार कारक पर संयंत्र के विस्तार और संचालन के लिए कंपनी को अवसर प्रदान किया जाए तो अल्प समय में और कारोबार अनुपात के लिए आकर्षक निवेश के साथ मामूली निवेश से इसे और बढ़ाया जा सकता है।

उन्होंने यह भी बताया है कि यह आवेदन, एस आई ए दस्तावेज और तुलन-पत्र के अनुसार मूल पंजीकृत क्षमता के आधार पर किया गया था किन्तु डिजाइन के अनुसार तथा किए गए गारंटी परीक्षण चक्र के अनुसार इन संयंत्रों की क्षमता काफी अधिक है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 1995-96 में घरेलू उत्पादकों का स्टॉक 402 एम टी और 1996-97 में स्टॉक 373 एम टी था। तथापि 1997-98 के प्रथम पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त) में उनका स्टॉक बढ़कर 846 एम टी अर्थात् 19.9 प्रतिशत क्षमता उपयोग से उनके द्वारा उत्पादित 1122 एम टी मात्रा का लगभग 75 प्रतिशत हो गया।

स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू उत्पादक होमोपॉलीअल और हैट्रोपॉलीअल दोनों का विनिर्माण कर रहे हैं और अपने ग्राहकों के लिए हेट्रोपॉलीअल की आपूर्ति कर रहे हैं। एम पी एल के मामले में ग्रेड एफ-3002 और एस ओ आर एल के मामले में ग्रेड एफ-3010 हेट्रोपॉलीअल हैं। तथापि कंपनियों ने अपने सहयोगियों के परामर्श के आधार पर तथा आंशिक रूप से एथीलिन आक्साइड की बहुत कम उपलब्धता के कारण सर्वप्रथम होमोपॉलीअल प्रस्तुत किया जो केवल प्रोपीलीन आक्साइड पर आधारित है। 1992 में उन्होंने हेट्रोपॉलीअल प्रस्तुत किया। तथापि, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कोल्ड क्योर उत्पादों के लिए ई ओ के संरक्षण के मद्देनजर उन्होंने हेट्रोपॉलीअल की बिक्री केवल उन्हीं ग्राहकों को की जो केवल इसी विशेष ग्रेड को चाहते थे तथा उन ग्राहकों के लिए होमोपॉलीअल की आपूर्ति की जो निरंतर बिना किसी परिवर्तन के एक ही ग्रेड की निरंतर पुन: आपूर्ति चाहते थे। घरेलू उत्पादकों ने उल्लेख किया है कि एथीलिन आक्साइड के कारण हेट्रोपॉलीअल का संसाधन आसान है और कुछ कम निश्चित उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। 1993 के बाद एथीलिन की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है और वे हेट्रोपॉलीअल की आदेशित मात्रा की पूर्ति कर रहे हैं। उनके द्वारा उत्पादित मात्रा का 35 प्रतिशत हेट्रोपॉलीअल है। यदि क्रेता चाहे तो इस समय उनके पास समग्र मांग को पूरा करने की क्षमता और योग्यता है।

इसलिए यह मानने का कोई आधार नहीं है कि घरेलू उत्पादकों के पास एफ एस पी की घरेलू मांग को पूरी करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है और आयात इसलिए आवश्यक हुए क्योंकि घरेलू उत्पादक एफ एस पी की घरेलू मांग पूरी करने की स्थिति में नहीं थे।

6. घरेलू उत्पादकों की अकुशलता

बताया गया है कि घरेलू उत्पादक प्रोपीलीन की आपूर्ति के लिए एम आर एल के साथ दीर्घकालीन करार करने में असफल रहे तथा वे स्वयं की गलतियों के लिए भारतीय ग्राहकों को दंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त किसी व्यवसायी विशेषत: पेट्रोकेमिकल संयंत्रों के लिए इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों पर निर्भर करे कि उनके पास संविदात्मक कच्चे माल की व्यवस्था है जो उन्हें प्रतियोगी बनाएगा। एम पी एल/एस ओ आर एल ऐसा नहीं कर सके। जुआ खेलने की इच्छा से उन्होंने एम पी एल में निवेश जारी रखने का निर्णय लिया। इतना ही नहीं एम पी एल एक कदम और आगे बढ़ी जब उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद भी उसने यू बी पेट्रोकेमीकल्स (एस ओ आर एल) का अधिग्रहण किया।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू उत्पादक एफ एस पी के विनिर्माण में प्रयुक्त प्रमुख कच्चा माल प्रोपीलीन मुख्यत: मद्रास रिफाइनरीज लि. (एम आर एल) से प्राप्त करते हैं और कुछ मात्रा का आयात किया जाता है। एम पी एल/एस ओ आर एल दोनों ने प्रोपीलीन की आपूर्ति के लिए एम आर एम के साथ 10 वर्ष का करार किया है तथा उन्होंने एम आर एल के साथ किए गए करार की प्रति गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की है। प्रोपीलीन एल पी जी से पृथक किया जाता है। यह संविदा प्रोपीलीन का मूल्य पूरा करने के लिए काल्पनिक संसाधन लागत के साथ एल पी जी के मूल्य पर आधारित है। सितम्बर 1993 से एल पी जी के मूल्य भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं और माहवार नियत किए जाते हैं तथा प्रोपीलीन के मूल्य एल पी जी की मूल्य प्रवृत्ति का अनुकरण करते हैं।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उत्पादन के समय प्रोपीलीन पर आयात शुल्क काफी अधिक थी और आयातित प्रोपीलीन के आधार पर परियोजना के बारे में सोचना भी किसी के लिए मुश्किल था। मार्च, 1993 में प्रोपीलीन पर आयात शुल्क में कमी की गई। 1993 में उसी समय एम आर एल में अग्नि दुर्घटना ने घरेलू उत्पादकों को प्रोपीलीन

आयात टर्मिनल कुड्डालूर पत्तन पर स्थानांतरित करने पर विचार करने के लिए विवश कर दिया क्योंकि चेन्नई, मुम्बई और तूतीकोरिन महापत्तनों में यह सुविधा नहीं थी तथा भीड़-भाड़ और खतरनाक कार्गों की शिपमेंट समाहित करने के लिए पत्तन में स्थान के अभाव के कारण ऐसी सुविधा स्थापित करने की उनकी इच्छा भी नहीं थी।

अत: यह कहना सही नहीं है कि घरेलू उत्पादक प्रोपीलीन की आपूर्ति के लिए एम आर एल के साथ दीर्घकालीन करार करने में असफल रहे अथवा वे स्वयं की गलतियों के लिए भारतीय ग्राहकों को दंडित करने का प्रयास कर रहे हैं।

घरेलू उत्पादकों की अकुशलता के संबंध में जो दूसरा मुद्दा उठाया गया है वह है उनकी प्रोपीलीन आक्साइड (पी ओ) विनिर्माण क्षमता का आकार जो कथित रूप से आर्थिक तौर पर उचित दर पर पी ओ के उत्पादन की अनुमति नहीं देता तथा कच्चे माल के ऊंचे मूल्य जिससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ी है।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि डिजाइन और गारंटी निष्पादन परीक्षण में यथा प्रमाणित पी ओ संयंत्र की क्षमता प्रत्येक 15000 एम टी प्रतिवर्ष है जबकि पी ओ संयंत्र का क्षमता उपयोग लगभग 8900-10000 एम टी प्रतिवर्ष ही है। यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि घरेलू उत्पादकों की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक क्षमता से काफी अधिक क्षमता के संयंत्र स्थापित करने चाहिए। घरेलू उत्पादकों ने यह भी उल्लेख किया है कि पी ओ एस एम रूट और पी ओ टी बी ए रूट में निवेश की ऊंची लागत के कारण उनके द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी मध्यम क्षमता के संयंत्रों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है तथा टेक्निप ने एम पी एल के साथ एम पी एल को मॉडल मानते हुए चीन, थाईलैंड और ताईवान में संयंत्रों के निर्माण का प्रस्ताव किया है। चीनी संयंत्र में एस ओ आर एल की डिजाइन पर आधारित पॉलीअल संयंत्र भी शामिल होगा। ताईवान और चीन के एक दल ने डिजाइन विनिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए पिछले वर्ष दो बार और इस वर्ष एक बार उनका दौरा किया।

इसके अलावा, इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए कि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का मूल उद्देश्य बढ़े हुए आयात से पेश आई प्रतिस्पर्धा की नई स्थिति का सामना करने के लिए घनात्मक समायोजन हेतु घरेलू उद्योग को समय प्रदान करना है। यदि घरेलू उद्योग पूर्णत: सक्षम और प्रतियोगी होता तो संभवत: सुरक्षा के लिए किसी रक्षोपाय की आवश्यकता नहीं होती। रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की वांछनीयता के संबंध में इस प्रश्न का उत्तर आवश्यक है कि घरेलू उद्योग के घनात्मक समायोजन और प्रतियोगी बनाने की क्या कोई तर्कसंगत संभावना है। यदि उत्तर "हां" है तो घरेलू उद्योग की सुरक्षा की आवश्यकता है।

7. **गुणता और तकनीकी सहायता**

कुछ पक्षकरों ने कहा है कि घरेलू एफ एस पी की गुणता वांछित स्तर की नहीं थी और आयातित एफ एस पो की गुणता बेहतर थी तथा विदेशी आपूर्तिकर्ता उन्हें उत्कृष्ट सेवाओं एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ उपलब्ध करा रहे थे। घरेलू उत्पादकों द्वारा विनिर्मित पॉलीअल के अलावा होमोपॉलीअल था जिसके लिए फोम उत्पादन हेतु काफी अधिक मात्रा में उत्प्रेरक स्तरों की आवश्यकता थी जो कि काफी खर्चीला है। फोम ब्लॉकों के केन्द्र की ब्राउनिंग, घरेलू पॉलीअल में उपलब्ध कराए गए ऐन्टी स्क्रोचिंग एजेंटों के अनुपयुक्त स्तर के कारण होती है। दोनों कंपनियों, यद्यपि एक ही ग्रुप के स्वामित्व की हैं, पॉलीअल के विनिर्माण के लिए भिन्न-भिन्न प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करती हैं और इसके लिए निर्मितियों (फार्मूलेशनों) में परिवर्तन करना अपेक्षित होता है। यद्यपि जब वे आर्डर देते हैं, विपणन व्यवस्था एक समान होने पर भी उनका इस पर कोई नियंत्रण नहीं था कि किस माल की आपूर्ति की जाए।

इस संबंध में यह पाया गया है कि एम पी एल और एस ओ आर एल क्रमश: आई एस ओ 9001 और आई एस ओ 9002 प्रत्याशित कंपनियां हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनका उत्पाद अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि आई एस ओ प्रत्यायन के एक भाग के रूप में वे अपने ग्राहकों से नियमित तौर पर "फीडबैक" एकत्र करते हैं। एम पी एल और आयातित उत्पाद की विशेषता की एक प्रति आवेदकों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत भी की गई है जिससे यह पता चलता है कि उनका उत्पाद आयातित एफ एस पी से पूर्णत: तुलनीय है। घरेलू उत्पादकों ने कहा है कि मुख्य गुणता सीमा को मानिटर करने के लिए वे सांख्यिकीय गुणता नियंत्रण प्रक्रियाओं का पालन करते हैं और रिकार्डों से पता चलता है कि अन्य अंतरराष्ट्रीय उत्पादकों द्वारा प्राप्त डिजाइन-मानदंडों के वह अनुरूप होता है। उनके पास पूर्णत: सुव्यवस्थित अनुप्रयोग प्रयोगशाला और गुणता-नियंत्रण प्रयोगशाला है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी एस आई आर) द्वारा मान्यता प्राप्त है। उनके पास अपनी सहयोगी कंपनी तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड (टी पी एल) की भी प्रयोगशाला सुविधाएं हैं और चेन्नई में एस पी आई सी साइंस फाउण्डेशन की अत्याधुनिक प्रयोगशाला भी है। वहां पर उत्पाद की गुणता, अणुभार वितरण, रंग, हाइड्रोक्सील संख्या के मूल पैरामीटर और अन्य पैरामीटर का परीक्षण मानक परीक्षण पद्धतियों के अनुसार किया जाता है। उनके सहयोगियों (कोलैबोरेटर्स) द्वारा संस्तुत कतिपय विशेष परीक्षणों के सिवाए शेष परीक्षण ए एस टी एम मानकों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है।

घरेलू उत्पादकों ने यह भी कहा है कि उन्होंने सी एफ सी मुक्त फार्मूलेशनों का विकास पूरा किया है और वाणिज्यिक उत्पादन पहले से ही शुरू कर दिया है जिसका अनुमोदन लगभग सभी प्रमुख विनिर्माताओं ने किया है। परिवर्तनीय बाजार में इस्तेमाल के लिए उनके द्वारा तैयार किए गए पॉलीपर पॉलीअलों और फोम के सेलों (cells) को सुदृढ़ करने और खोलने के लिए तैयार किए गए विशिष्ट पॉलीअलों की मित्सुई से जापानी टीम द्वारा प्रशंसा की गई है जिन्होंने भारतीय पी यू उद्योग को दूसरों के द्वारा पहले किए गए योगदान की तुलना में काफी अधिक योगदान किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि वे अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ सहयोग करने की दृष्टि से अध्ययन करते हैं और संयुक्त कार्यक्रम चलाते हैं तथा उनकी प्रयोगशाला में तैयार किए गए उत्पाद बेहतर साबित हुए हैं और उन्हें अन्य अंतरराष्ट्रीय उत्पादों की तुलना में इसका अनुमोदन मिला है। घरेलू उत्पादकों ने आगे यह भी कहा है कि ग्राहकों के स्थानों पर बाजार में उत्पादों के आ जाने पर उनके तकनीकी स्टॉफ ने फार्मूलेशनों को परिष्कृत कर दिया और उसके बाद जब कभी सहायता विशेष मांगी गई, वे ग्राहकों के स्थानों पर गए।

आई एस ओ 9001 प्रक्रिया के अनुसार वे ग्राहकों से "फीडबैग" नियमित रूप से प्राप्त करते रहते हैं और ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित करते हैं और नियमित रूप से उनमें सुधार करते रहते हैं। उन्होंने इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके पास एफ एस पी के 50 से अधिक ऐसे छोटे और मंझोले किस्म के ग्राहक

हैं जो उत्पाद एवं तकनीकी सहायता सेवा दोनों के लिए उन पर पूर्णत: निर्भर हैं क्योंकि उनकी मांग अल्प मात्रा में लगभग 100 कि. ग्रा. से 5 मी. टन प्रतिमाह है। अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनकी मांगों को पूरा करने में इच्छुक नहीं हैं।

यह भी देखा गया है कि फोम उत्पादन प्रक्रम एक जटिल प्रक्रम है और उत्पादित फोम की गुणता विभिन्न पैरामीटरों पर निर्भर करती है। एफ एस पी की गुणता उनमें से एक है तथापि यह मुख्य रूप से फोम निर्माताओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली मशीन की गुणता पर निर्भर करती है। कुछ प्रयोक्ताओं ने 1995 और 1996 या इससे पहले की अवधि में उनके द्वारा की गई गुणता शिकायत का हवाला दिया है। उन्होंने पत्राचार की उन प्रतियों को भी प्रस्तुत किया है जो माल की घटिया गुणता के लिए उनके द्वारा मुआवजे का दावा करने के बारे में हैं। तथापि यह पाया गया है कि ये शिकायतें 1995-96 या इससे पहले की अवधि से संबंधित है, न कि वर्तमान अवधि से। इस संबंध में घरेलू उत्पादकों ने यह कहा है कि कंपनियों के एक ही ग्रुप के अंतर्गत आ जाने के बाद फोम उत्पादकों ने एक कंपनी को दूसरी कंपनी के विरुद्ध रखकर अपना लाभ छोड़ दिया और वे अधिकतम रियायत पाने से छूट गए। अत: उन्होंने इसके समाधान के लिए "गुणता-समस्या" को औजार के रूप में इस्तेमाल किया। लगभग ये सभी शिकायतें संदिग्ध थी।

घरेलू उत्पादकों ने बताया है कि कुछ मामलों का जब विश्लेषण किया तो यह पाया गया कि समस्याएं, रसायनों के उस तापमान जिस पर वह फोमिंग के दौरान भण्डारित किया जाना होता है, से अलग करके देखी जा सकती है तथा गलत फार्मूलेशनों, खराब मशीनरी अथवा अन्य ऐसी समस्या से भी अलग करके देखी जा सकती है जो एम पी एल/एस ओ आर एल उत्पाद के लिए जिम्मेदार नहीं है तथापि वे सतत् व्यापार संबंध को ध्यान में रखकर और ग्राहकों से संबंध बनाए रखने तथा सुदृढ़ रखने की दृष्टि से इस बात की पूरी जानकारी रखते हुए कतिपय दावों को स्वीकार कर लिया कि दावे किसी भी आधार पर मान्य नहीं है।

जहाँ तक बैच-दर-बैच की गुणता में अन्तर का संबंध है, घरेलू उत्पादकों ने कहा है कि संयंत्र से उत्पादित पॉलिअल को एम पी एल में 225 एम टी की क्षमता वाले भण्डारण टैंक में और एस ओ आर एल में 80 एम टी की क्षमता वाले टैंक में डाला जाता है और उसके बाद उसे ड्रमों में पैक किए जाने से पूर्व होमोजनित किया जाता है। अत: संभव नहीं है कि ड्रम दर ड्रम अंतर अथवा बैच-दर-बैच अंतर को नोट किया जा सके।

इस संबंध में यह देखना प्रासंगिक होगा कि एम पी एल और एस ओ आर एल के कुछ ऐसे खरीदारों, जिनका अधिकारियों के एक दल द्वारा सत्यापन किया जाना था, पर एम पी एल/एस ओ आर एल को भुगतान किए जाने के लिए राशि बकाया थी और उनके पास यह दर्शाने के लिए कोई प्रमाण नहीं था कि उन्होंने कोई माल अस्वीकृत कर दिया है या एम पी एल/एस ओ आर एल को वापस कर दिया है। इसी प्रकार एम पी एल और एस ओ आर एल के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी रिकार्डों से यह पता नहीं चला कि उन्होंने उपने खरीदारों से एस ओ आर एल द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान 1.35 एम टी एफ एस पी के सिवाय, कोई माल वापस लिया हो। इसके अलावा प्रमुख फोम उत्पादकों के पास उनके परिसरों में एफ एस पी परीक्षण सुविधाएं भी नहीं थी। शीला फोम और भारत फोम जो अपनी सहायक कंपनियों सहित स्लैबस्टॉक फोम और पी यू फोम मैट्रेसेज के 45 प्रतिशत बाजार हिस्सा थे, के पास ऐसे परीक्षण सुविधाएँ नहीं हैं। एम पी एल/एस ओ आर एल से उनके द्वारा खरीदे गए एफ एस पी के अस्वीकृत किए जाने के बारे में मांग किए जाने पर उन्होंने कोई पत्राचार/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।

पूर्ववर्ती चर्चा को ध्यान में रखते हुए यह समझा जाता है कि एम पी एल/एस ओ आर एल द्वारा उपलब्ध कराई गई गुणता और तकनीकी सहायता सेवा, बढ़े हुए आयात का "कारण" नहीं था।

8. घरेलू उत्पादकों की एकाधिकार—स्थिति—

कुछ पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि दोनों आवेदकों अर्थात् एम पी एल और एस ओ आर एल एक साझा स्वामित्व के अंतर्गत हैं और एकाधिकार उत्पादक हैं। अत: रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम आर टी पी) अधिनियम 1969 के उपबंधों और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 39 में वर्णित है जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि अर्थव्यवस्था के प्रचालन से यह नहीं होना चाहिए कि आर्थिक शक्ति, सामान्य हित के विरुद्ध केंद्रित हो जाए।

इस संबंध में यह देखा गया है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम आर टी पी) अधिनियम, 1969 "गलत व्यवहार" के सिद्धान्तों पर आधारित है न कि निषेध आधारित है। दूसरे शब्दों में यह अधिनियम किसी एकाधिकार को तथ्यत: अवैध घोषित नहीं करता बल्कि एकाधिकार वादी या अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के परिणामस्वरूप हुई क्षति और उससे होने वाले लाभ के संदर्भ में उसके औचित्य के बीच संतुलन लाने का प्रयास है।

एम पी एल और एस ओ आर एल ने अपना उत्पादन 1990 के आसपास शुरू किया। दोनों कंपनियाँ एस पी आई सी (स्पिक) ग्रुप की हैं और उनका एक साझा प्रबंधन है तथा प्रोपीलीन आक्साइड, प्रोपीलीन ग्लाइकॉल और पॉलीअल संयंत्रों का प्रचालन कर रही है। "टिडको" तमिलनाडु राज्य सरकार औद्योगिक विकास निगम, एस ओ आर एल का संयुक्त प्रोमोटर है। यद्यपि एम पी एल और एस ओ आर एल दोनों एक ही ग्रुप की कंपनियाँ है, फिर भी उनका अलग-अलग विधिमान्य अस्तित्व है। यू बी पी पी एल का अधिग्रहण स्पिक ग्रुप द्वारा अगस्त, 1994 के आस-पास किया गया और उनका नया नाम एस ओ एल कर दिया गया। आवेदकों ने दावा किया है कि यू बी पी पी एल के अधिग्रहण के बाद उन्होंने सुसंगत और पारदर्शी मूल्य निर्धारण नीति बनाई है जिससे भारत में सभी खरीदारों को लगभग उसी कीमत पर उत्पाद उपलब्ध होता है।

घरेलू प्रयोक्ता उद्योग का विकास एम पी एल और एस ओ आर एल के साथ हुआ है जिन्होंने घरेलू बाजार को विगत 7-8 वर्षों से आपूर्ति की है। निर्यातकों/आयातकों ने एम पी एल और एस ओ आर एल द्वारा एफ एस पी के घरेलू प्रयोक्ताओं को हुई क्षति के बारे में किसी भी रूप में कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह कहने के सिवाए कुछ नहीं किया है कि एम पी एल और एस ओ आर एल दोनों का घरेलू बाजार के बड़े भाग पर नियंत्रण है। इसके विपरीत, जैसा कि पॉलीयूरेथेन एसोसिएशन आफ इंडिया ने स्वीकार किया है, स्लैबस्टॉक उद्योग का उत्पादन, 1985—1992 के दौरान 9000—10000 एम टी प्रतिवर्ष के स्तर पर वस्तुत: स्थिर हो गया जो कि अब बढ़कर 50,000 एम टी प्रतिवर्ष से अधिक हो गया अर्थात् एम पीएल के आगमन और स्पिक (एस पी आई सी) ग्रुप द्वारा एस ओ आर एल का अधिग्रहण होने के बाद घरेलू उत्पादकों ने काफी वृद्धि की है।

घरेलू उत्पादकों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उन्होंने सुसंगत और पारदर्शी मूल्य निर्धारण नीति बनाई है। 1991 और 1994 के बीच एम पी एल और एस ओ आर एल दोनों पर बाजार से चार महीने से अधिक राशि बकाया थी और उस अवधि के दौरान अधिक उत्पादन तथा देश में अपेक्षाकृत छोटे बाजार के कारण मूल्य स्थिर करने में उन्हें दिक्कतें आ रही थी। जब कंपनियों ने अपना बाजार हिस्सा बढ़ाने का प्रयास किया, क्रेडिट अवधि बढ़ गई। जुलाई-अक्तूबर, 1995 में जब पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ रही थीं और आयातित पी एस पी 100 रु. प्रति कि.ग्रा. से अधिक मूल्य पर आता था, उन्होंने अंधाधुंध रूप से कीमत नहीं बढ़ाई और एक बार इसे लगभग 78 रु. प्रति कि.ग्रा. के संतोषजनक स्तर पर पहुंच जाने पर इसे इसी स्तर पर रखा। उत्पाद की कीमत बाजार में सभी ग्राहकों को ज्ञात थी और उत्पाद से अधिक मात्रा में उठाए जाने के लिए कोई विशेष छूट नहीं दी गई तथा सभी ग्राहकों को लगभग समान माना गया और उन्होंने बाजार-स्थान पर कभी कोई जोड़-तोड़ या पक्षपात नहीं किया । तथापि, उन्होंने बिना किसी विलंब के 45 वें दिन भुगतान करने पर 2.5 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से "शीघ्र भुगतान छूट" दी।

यहाँ यह देखना उचित होगा कि निर्यातकों की काफी अधिक क्षमता में घरेलू उत्पादकों के पास एफ एस पी की लगभग 18000 एम टी की कुल क्षमता है। भारत में एफ एस पी के आयात करने की अनुमति बिना किसी अप्रतिबंध के है। यदि कोई आयात करना चाहता तो वह एफ एस पी का आयात कर सकता था या अपनी मांग को घरेलू रूप से पूरी कर सकता था। अप्रतिबंधित आयात को देखते हुए यह मान लेना सही नहीं होगा कि घरेलू उत्पादकों का कोई एकाधिकार होगा—विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि भारत में एफ एस पी के आयात में 1994-95 से 1997-98 (अप्रैल-अगस्त) की अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि, प्रत्यक्ष खपत के लगभग 25.30 प्रतिशत तक हुई है। कानून भी एकल उत्पादक अथवा एक ही ग्रुप की दो कंपनियों के हितों की अपेक्षा नहीं करता, अकेले उस आधार पर सुरक्षा भी नहीं मिलेगी भले ही वे उचित रूप से सुरक्षा पाने के योग्य हों।

यह देखा गया है कि राक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य एकाधिकार प्रथा को प्रोत्साहित करना नहीं है। इसका विशिष्ट उद्देश्य घरेलू उत्पादकों के हित की सुरक्षा करना है यदि बढ़ा हुआ आयात उनके लिए गंभीर क्षति का कारण या गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न होने का कारण हो, ताकि उन्हें इसका समय दिया जा सके कि वे बढ़े हुए आयात से पेश आई प्रतियोगिता की नई स्थिति से निपटने के लिए घनात्मक समायोजन कर सकें। रक्षोपाय शुल्क एक अस्थायी उपाय है जो केवल उसी सीमा तक अधिरोपित किया जाता है जिस सीमा तक वह क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अलावा कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 जो केंद्रीय सरकार को रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान करता है, संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसमें कानून की वही शक्ति है जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम आर टी पी) अधिनियम 1969 में है। अत: इस संबंध में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने के मामले में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम आर टी पी) अधिनियम, 1969 के उपबंधों अथवा भारत के संविधान में वर्णित राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के उल्लंघन में नहीं है।

9. सार्वजनिक हित

कुछ पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से किसी सार्वजनिक हित का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। बल्कि इसके विपरीत रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से सार्वजनिक हित पर गंभीर रूप से विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अनेक अंत्य प्रयोक्ता उद्योग बंद हो सकते हैं।

इस संबंध में यह देखा गया है कि घरेलू उत्पादकों ने विनिर्दिष्ट तौर पर कहा है कि उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक प्रयास किया है कि अंत्य-प्रयोक्ता उद्योग में वृद्धि हो। उन्होंने पॉलीयूरेथेन एसोसिएशन आफ इंडिया की सह-स्थापना की और ऐसे बहुत छोटे तथा छोटे खरीदारों की सूची प्रस्तुत की है जिन्हें उनके द्वारा सेवा उपलब्ध कराई जाती थी और जिनकी पी एस पी की मांग केवल लगभग 100 कि.ग्रा. प्रति माह से 5 एम टी प्रतिमाह थी।

आगे यह भी देखा गया है कि "सार्वजनिक हित" पद के अंतर्गत अकेले उपभोक्ता-हित नहीं आता। यह एक व्यापक अर्थ वाला पद है जिसकी परिधि में विस्तृत सामुदायिक हित को ध्यान में रखते हुए सामान्य सामाजिक कल्याण आता है। रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से खरीदारों के हाथों में आयातित एफ एस पी की बढ़ी हुई लागत आ सकती है और इसलिए इससे उससे विनिर्मित अंत्य उत्पाद भी प्रभावित हो सकते हैं, रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के उद्देश्य को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होगा। रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का उद्देश्य बढ़े हुए आयात से पेश आई प्रतिस्पर्द्धा की नई स्थिति का सामना करने के लिए घनात्मक समायोजन हेतु घरेलू उद्योग को समय प्रदान करना है। अत: समुचित अवधि के लिए और पर्याप्त सीमा तक रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से ग्राहकों के लिए न केवल प्रतिकूल प्रभाव (यदि कोई हो) कम होगा बल्कि उन्हें अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रतियोगी कीमतों पर व्यापक पसंद का अवसर भी मिलेगा। घरेलू उत्पादक, जिन्होंने बड़े सार्वजनिक निवेश से संयंत्रों की स्थापना की है, बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराते हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मूल्यवान योगदान करते हैं। अत: रक्षोपाय शुल्क, जो घरेलू उत्पादकों को हुए आयात से उत्पन्न प्रतियोगिता की स्थिति में बने रहने के लिए समर्थ रखेगा, एफ एस पी के खरीददारों के तथा एफ एस पी से विनिर्मित उत्पादों के खरीददारों के व्यापक हित में होगा। अत: यह समझा जाता है कि एफ एस पी पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण, सार्वजनिक हित में होगा।

10. अन्य मुद्दे

कुछ पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि भारत में एफ एस पी पर आयात शुल्क क्षेत्र में सबसे अधिक है। तथापि, इस तर्क को रक्षोपाय शुल्क के संदर्भ में असंगत समझा गया है क्योंकि किसी उत्पाद विशेष पर आयात शुल्क का स्तर विभिन्न घटकों पर आधारित होता है जिसमें से कुछ घटक तुलनीय और प्रतियोगी उत्पादों पर आयात शुल्कों के स्तर के होते हैं और निवेशों पर राजस्व वसूली तथा घरेलू उत्पादकों के साथ-साथ प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय उत्पादकों द्वारा उठाई गई हानि पूरा करने की आवश्यकता होती है। अतएव प्रत्येक देश अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आयात शुल्क का स्तर निश्चित करता है जिसे दूसरों के लिए संदर्भ की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। यह भी कहा गया है कि रक्षोपाय शुल्क, आपवादिक परिस्थितियों के लिए एक आपंत उपाय है जिसे केवल सख्त अपेक्षाओं के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा सकता है और भारत ने गत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई 15 जांच में से 5 महीने अंतर्गत 5 जांच शुरू की है।

इस संबंध में यह देखा गया है कि वर्तमान रक्षोपाय जांच, घरेलू रक्षोपाय कानून के अनुसार शुरू की गई है जिसमें इस विषय पर डब्ल्यू टी ओ के उपबंधों का उल्लेख है। टैरिफ और व्यापार सामान्य करार गैट (जी

ए टी टी) के अनुच्छेद xix में उत्पाद विशेष के आयात पर आपात कार्रवाई का वर्णन है और रक्षोपाय करार (ए ओ एस), गैट 1994 को स्पष्ट एवं उसके अनुशासन की संपुष्टि करता है, विशेषकर उसके अनुच्छेद xix को। रक्षोपाय करार (ए ओ एस) के अनुच्छेद 2 में रक्षोपाय के अधिरोपण के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख किया गया है और निर्दिष्ट किया गया है कि यदि बढ़े हुए आयात से, घरेलू उत्पादन के लिए निरपेक्ष हो या आपेक्षिक, प्रतियोगी उत्पादों जैसे अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगी उत्पादों को उत्पादित करने वाले घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति होती है या गंभीर क्षति का खतरा हो तो रक्षोपाय लागू किया जा सकता है। चूंकि वर्तमान मामले में जांच भारतीय रक्षोपाय कानून के उपबंधों, जिसमें डब्ल्यू टी ओ के संगत उपबंधों का उल्लेख है, के अनुसार शुरू की गई है, इसलिए यह समझा जाता है कि इस संबंध में अपेक्षाओं को पूर्णत: पूरा किया गया है।

यह भी कहा गया है कि घरेलू उत्पादकों ने दो यूनिटों के लिए भिन्न-भिन्न राशि के रक्षोपाय शुल्क का दावा किया है और रक्षोपाय शुल्क, इक्विटी पूंजी पर गारंटी शुदा प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में यह देखा गया है कि घरेलू उत्पादकों ने प्रारंभ में दो कंपनियों के लिए रक्षोपाय शुल्क की दो भिन्न-भिन्न राशि के लिए अनुरोध किया था जिसका आधार दो अलग-अलग कंपनियों के लिए उचित बिक्री प्राप्ति की उनकी गणना थी। तथापि उन्होंने आगे चलकर उस उत्पादक का एक मात्र उत्पादक दो कंपनियों के लिए औसत भार आधार पर परिकलित एक समान रक्षोपाय शुल्क का अनुरोध किया।

जहां तक इक्विटी पूंजी पर प्रतिफल का संबंध है, यह देखा गया है कि कस्टम टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली 1997 के नियम 8 के अंतर्गत घरेलू उद्योग के लाभ और हानि एक ऐसे घटक हैं जिससे यह निर्धारित करने के लिए विशिष्ट रूप से मूल्यांकित किया जाना आवश्यक है कि बढ़े हुए आयात से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या गंभीर क्षति होने का खतरा उत्पन्न हुआ है या नहीं। इक्विटी पूंजी पर प्रतिफल कंपनियों द्वारा उठाए गए लाभ या हानि का एक प्रतिफलन है और इसलिए घरेलू उद्योग के लिए गंभीर क्षति होने के निर्धारण हेतु संगत है। चूंकि रक्षोपाय शुल्क बढ़े हुए आयात से घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति को दूर करने या रोकने के आशय से है इसलिए इक्विटी पूंजी पर उचित लाभ को ध्यान में रखते हुए घरेलू उत्पादकों द्वारा रक्षोपाय शुल्क की मांग करने में कुछ भी गलत नहीं है और यह रक्षोपाय शुल्क उन्हें होने वाली गंभीर क्षति को दूर करने या रोकने के लिए पर्याप्त होगा।

11. गंभीर क्षति

विभिन्न घटकों के विश्लेषण से पता चलता है कि घरेलू उत्पादकों को समग्र रूप से काफी क्षति पहुंची है जैसा कि नीचे बताया गया है:—

(क) **उत्पादन :** फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीअल का घरेलू उत्पादन जो 1994-95 के 5762 एम टी से बढ़कर 1995-96 में 6831 एम टी और 1996-97 में 7050 एम टी हो गया था, 1997-98 के प्रथम पांच महीनों में काफी नीचे गिरकर 1122 एम टी हो गया जिसे यथा अनुपात आधार पर 1996-97 की तुलना में उत्पादन में 61.8 प्रतिशत की गिरावट प्रदर्शित होती है।

(ख) **बिक्री :** फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीअल की घरेलू बिक्री, जो 1994-95 के 5937 एम टी, 1995-96 के 6500 एम टी से बढ़कर 1996-97 में 7133 एम टी के चरम पर थी,1997-98 के प्रथम पांच महीनों में नीचे गिरकर 657 एम टी हो गई अर्थात् यथा अनुपात आधार पर 1996-97 की बिक्री की तुलना में 1997-98 के प्रथम पांच महीनों में बिक्री 77.9 प्रतिशत नीचे गिर गई। घरेलू उत्पादकों ने प्रत्यक्ष खपत में अपना हिस्सा खो दिया अर्थात् उनका हिस्सा 1996-95 में 76.7 प्रतिशत, 1995-96 में 70.7 प्रतिशत, 1996-97 में 68.1 प्रतिशत और अप्रैल-अगस्त 1997 में केवल 14.6 प्रतिशत अर्थात् घरेलू उत्पादकों ने 1996-97 की तुलना में अपना बाजार हिस्सा 365.8 प्रतिशत खो दिया। आवेदक, घरेलू बाजार में इस घटे हिस्से को केवल उस घटे औसम बिक्री मूल्य पर बनाए रखने में समर्थ रहे हैं जो इसी अवधि में 81,331 रु. प्रति एम टी से गिरकर 74,800 रु. प्रति एम टी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहित) हो गया।

(ग) **स्टॉक :** उत्पादन के बहुत घटे स्तर पर भी स्टॉक अगस्त, 1997 के अंत में 846 एम टी इकट्ठा था जब कि यह मार्च 1997 के अंत में 373 एम टी था। अत: स्टॉक 1996-97 की तुलना में 226.8 प्रतिशत हो गया।

(घ) **क्षमता उपयोग**

उत्पादन की स्थिति की तरह घरेलू उत्पादकों का क्षमता उपयोग भी 1996-97 की तुलना में 1997-98 (अप्रैल-अगस्त) में बहुत नीचे गिर गया।

(ङ) **लाभ की हानि**

दोनों कंपनियों की औसत बिक्री प्राप्ति में औसत बिक्री कीमत में कमी आने के फलस्वरूप विगत वर्षों में कमी आई है। घरेलू उत्पादक बाजार खो देने के बाद भी आगे कीमतों को और घटाने में समर्थ नहीं है क्योंकि अधिकतम सीमा पर पहुंच चुके हैं और यदि बिक्री कीमतों में और कमी होती हैं तो उन्हें नकद हानि उठानी पड़ेगी। वे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति वित्तीय बाध्यताओं को पूरा करने में भी समर्थ नहीं हैं। वे बाजार और वित्तीय संस्थाओं से उधार लेकर उत्पादन को बनाए हुए हैं। एस ओ आर एल ने पहले ही बी आई एफ आर उपबंधों को लागू किया है।

(च) **उत्पादकता की हानि**

एम पी एल और एस ओ आर एल ने 1996-97 में 323 और 259 व्यक्तियों को नियोजित किया और प्रति व्यक्ति लगभग 12.1 एम टी प्रतिवर्ष का उत्पादन किया। 1997-98 (अप्रैल-अगस्त) में उत्पादकता गिरकर लगभग 4.87 एम टी प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति हो गई अर्थात् उन्हें 1996-97 की तुलना में 59.75 प्रतिशत उत्पादकता की हानि हुई।

(छ) **रोजगार की हानि**

एम पी एल और एस ओ एल दोनों में एक साथ कर्मचारियों की संख्या 1996-97 की 582 से घटकर 1997-98 (अप्रैल-अगस्त) में 553 हो गई अर्थात् 5 प्रतिशत की कमी आई।

(ज) **विदेश में स्थापित अतिरिक्त क्षमता**

घरेलू उत्पादक, भारत के निकट स्थापित भारी क्षमता वाले ऐसे संयंत्रों से स्वयं के लिए और भी गंभीर क्षति के खतरे का सामना कर रहे हैं जो भारत में अपेक्षाकृत बहुत निम्न कीमत पर कच्चे माल की आपूर्ति करने की पहुंच रखते हैं।

12. कारणात्मक संम्बंध

जैसी कि पहले चर्चा की गई है, घरेलू उद्योग ने समग्र रूप से काफी क्षति उठाई है। एफ एस पी के घरेलू उत्पादक घरेलू मांग पूरी करते हैं।

उन्होंने 1994-95 में 5937 एम टी और 1995-96 में 6500 एम टी, 1996-97 में 7133 एम टी और अप्रैल-अगस्त, 1997 में 657 एम टी की बिक्री की। इस अवधि के दौरान कुल प्रत्यक्ष खपत अर्थात् घरेलू उत्पादकों द्वारा बिक्री और आयात 1994-95 में 7737 एम टी था जो बढ़कर 1995-96 में 9200 एम टी हो गया और 1996-97 में 10483 एम टी हो गया। तथापि प्रत्यक्ष खपत में घरेलू उत्पादकों का हिस्सा जो 1994-95 में 76.7 प्रतिशत था, 1995-96 में गिरकर 70.7 प्रतिशत और 1996-97 में 68.1 प्रतिशत हो गया। 1997-98 में (अप्रैल-अगस्त) घरेलू उत्पादकों का हिस्सा 4507 एम टी की कुल प्रत्यक्ष खपत में केवल 657 एम टी था जो प्रतिशत केरूप में केवल 14.6 प्रतिशत है। अत: घरेलू उत्पादकों ने प्रत्यक्ष खपत में अपना हिस्सा खो दिया अर्थात् 1994-95 में 76.7 प्रतिशत से 1995-96 में 70.7 प्रतिशत, 1996-97 में 68 प्रतिशत और 1997-98 (अप्रैल-अगस्त) में 14.6 प्रतिशत हो गया। इसके साथ ही, 1994-95 में आयात 1800 एम टी से बढ़कर 1995-96 में 2700 एम टी, 1996-97 में 3350 एम टी और 1997-98 के प्रथम पांच महीनों में 3850 एम टी हो गया। प्रत्यक्ष खपत में आयात का हिस्सा 1994-95 के 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 1995-96 में 29.3 प्रतिशत 1996-97 में 32 प्रतिशत और 1997-98 (अप्रैल-अगस्त) में 85.4 प्रतिशत हो गया। तुलनात्मक दृष्टि से आयात ने अपने हिस्से में 1995-96 में 25.8 प्रतिशत, 1996-97 में 8.4 प्रतिशत और अप्रैल-अगस्त, 1997 में 166.9 प्रतिशत की वृद्धि कर ली।

1996-97 में कुल प्रत्यक्ष खपत (घरेलू व्यक्ति जमा आयात) 10483 एम टी थी जो 1997-98 के प्रथम पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त) में यथानुपात आधार पर 3.2 प्रतिशत तक बढ़ी। तथापि घरेलू बिक्री में भारी गिरावट आई। घरेलू उत्पादक जिनकी अप्रैल-अगस्त, 1997 में बिक्री (7133/12) ×103.2 प्रतिशत अर्थात् 3067 एम टी होनी चाहिए थी, केवल 657 एम टी की बिक्री ही कर सके अर्थात् उन्होंने 2410 एम टी की बिक्री गंवाई जिसका स्थान आयात ने ले लिया जिसने प्रत्यक्ष खपत में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए [3850- (3350/12) × 5 × 103.2 प्रतिशत] 2410 एम टी के अतिरिक्त बाजार पर कब्जा कर लिया।

इसी प्रकार घरेलू उत्पादन जो अप्रैल-अगस्त, 1997 में प्रत्यक्ष खपत में वृद्धि के अनुरूप 3.2 प्रतिशत तक बढ़कर (7050/12) × 5 × 103.2 प्रतिशत) 3032 एम टी होना चाहिए था, गिरकर 1122 एम टी हो गया अर्थात् घरेलू उत्पादकों ने 1920 एम टी का उत्पादन गंवाया जिसका स्थान आयातित एफ एस पी ने ले लिया जिसमें [3850- (3350/12)×5×103.2 प्रतिशत] 2410 एम टी की वृद्धि हुई इस बढ़ी हुई मात्रा ने घरेलू उद्योग द्वारा गंवाए गए 1920 एम टी उत्पादन का स्थान ही नहीं लिया बल्कि इसके परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादकों का स्टॉक भी लगभग (2410-1920) 490 एम टी हो गया जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि अप्रैल-अगस्त, 1997 के अंत में क्लोजिंग स्टॉक 473 एम टी (846-373) था जो 1996-97 के क्लोजिंग स्टॉक से अधिक था।

घरेलू उत्पादकों ने बताया है कि कुछ समय स्थिर रहने के पश्चात् पिछले तीन वर्षों से भारत में आयात निरंतर बढ़ रहा है। अंततोगत्वा घटे बाजार हिस्से को बनाए रखने के लिए उत्पादन की उच्चतर लागत पर भी एम पी एस और एस ओ आर एल ने अपनी कीमतें काफी गिरा दी जिसके अंतर्गत मुश्किल से परिवर्ती कीमत आती थी।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 1994-95 में एफ एस पी का आयात औसतन 42109 रू. पी एम टी सी आई एफ मूल्य और 69480 पी एम टी के आगत मूल्य अर्थात् सी आई एफ जमा आयात शुल्क (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की लागू दर पर वसूली गई अतिरिक्त सीमा शुल्क के बिना) पर किया गया था, 1995-96 में औसत सी आई एफ मूल्य बढ़कर 46107 रू. पी एम टी हो गया किन्तु आगत मूल्य कम होकर 60722 रू. पी एम टी हो गया, 1996-97 में औसत सी आई एफ मूल्य गिरकर 43373 रू. पी एम टी, आगत मूल्य 57252 रू. पी एम टी हो गया। 1997-98 के प्रथम पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त) में औसत सी आई एफ मूल्य भारी गिरावट के साथ 39905 रू. पी एम टी और आगत मूल्य 52674 रू. पी एम टी हो गया। 1995-96 में घरेलू उत्पादकों की औसत बिक्री वसूली 77177 रू. पी एम टी थी जबकि 1996-97 में यह गिरकर 67776 रू. पी एम टी और 1997-98 (अप्रैल-अगस्त) में औसत बिक्री वसूली और गिरकर 59840 रू. पी एम टी हो गई।

इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों में सी आई एफ आयात मूल्य और आगत मूल्यों में गिरावट आई है जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है:—

तालिका-2

	आयातित माल			घरेलू उत्पादित माल		
वर्ष	औसत सी आई एफ मूल्य रू./एम टी	आयात शुल्क (अतिरिक्त सीमा शुल्क रहित) प्रतिशत	आगत मूल्य रू./एम टी	औसत बिक्री मूल्य (के.उ.शु. सहित) रू./एमटी	के.उ. शुल्क की दर प्रतिशत	औसत बिक्री वसूली रू./ एम टी
1994-95	42109	65	69480	83018	30	63860
1995-96	46107	42	60722	92612	20	77177
1996-97	43373	32	57252	81331	20	67776
1997-98 अप्रैल-अगस्त	39905	32	52674	74800	25	59840

इस प्रकार आयातित एफ एस पी ने 1995-96 और उसके बाद से घरेलू एफ एस पी में कटौती शुरू कर दी और उसका प्रभाव घरेलू उत्पादन एवं बिक्री पर भी पड़ा। 1996-97 में उत्पादन में वृद्धि 1995-96 की तुलना में मात्र 3.2 प्रतिशत थी जबकि 1994-95 की तुलना में 1995-96 में 18.6 प्रतिशत थी। 1997-98 (अप्रैल-अगस्त) में उत्पादन भारी गिरावट के साथ 1122 एम टी हो गया अर्थात् 1996-97 की तुलना में यथानुपात आधार पर 61.8 प्रतिशत की गिरावट हुई और इसी दौरान स्टॉक बढ़कर 846 एम टी अर्थात् 1996-97 के क्लोजिंग स्टॉक का 226.8 प्रतिशत और इस अवधि के दौरान उत्पादन का 75.4 प्रतिशत हो गया।

कुछ पक्षकारों ने यह उल्लेख किया है कि ऐसा मूल्य के कारण नहीं हुआ कि आयात ने घरेलू उत्पादन और बिक्री का स्थान ले लिया किन्तु घरेलू उत्पादकों की गुणता, तकनीकी सेवा सहायता आदि जैसे कारकों से हुआ है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आयतित एफ एस पी का मूल्य एफ एस पी की आपूर्ति के स्रोत के चयन के क्रेताओं के निर्णय में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से है। कुछ फोम निर्माताओं ने कच्चे माल (एफ एस पी) के मूल्यों के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है क्योंकि एफ एस पी के मूल्य का प्रभाव उनके द्वारा विनिर्मित फोम के मूल्य तथा अन्य फोम के अन्य स्थानापन्नों के साथ उसकी प्रतिस्पर्द्धा पर भी पड़ा। कुछ अन्य पक्षकारों ने उल्लेख किया है कि 1991 से पहले वे पॉलीअल का आयात कर रहे थे किन्तु 1991 के पश्चात् जब एम पी एल और यू बी पी पी एल का उत्पादन प्रारंभ हुआ, उन्होंने नकद छूट, मात्रा छूट, ब्याज के बिना 90 दिन के लिए ऋण सुविधाओं आदि के साथ प्रतियोगी मूल्यों पर उनका माल खरीदना प्रारंभ कर दिया किन्तु 1995-96 से एम पी एल और एस ओ आर एल की इस संबंध में नीतियों में परिवर्तन के कारण उन्होंने आयातित माल की खरीद प्रारंभ कर दी।

कुछ निर्यातकों ने भारतीय रूपए के अवमूल्यन और सीमा शुल्क में वृद्धि तथा परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादकों की बिक्री में सुधार के कारण आयात के कम प्रतियोगी होने का भी उल्लेख किया है। इस सबसे यही सिद्ध होता है कि गुणता अथवा अन्य कारक बढ़े हुए आयात अथवा घरेलू उत्पादकों के लिए गंभीर क्षति का कारण नहीं है। बल्कि क्रेताओं के लिए एफ एस पी की आपूर्ति के उनके स्रोत के चयन के लिए एफ एस पी का मूल्य सबसे महत्वपूर्ण कारक था।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत में कम मूल्यों पर बड़ी मात्रा में एफ एस पी का आयात हो रहा है तथा बढ़े हुए आयात से घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है तथा और गंभीर क्षति का खतरा है।

13. परवर्ती परिवर्तनों का प्रभाव

विनिमय दर और एम आर एल द्वारा प्रोपीलीन के मूल्यों में गिरावट तथा रक्षोपाय जांच शुरू करने के पश्चात् सीमा शुल्क में वृद्धि का कुछ पक्षों द्वारा कुछ गतिविधियों के रूप में उल्लेख किया गया है जिससे रक्षोपाय शुल्क के रूप में घरेलू उद्योग के लिए कोई सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

डॉव ने इस संबंध में मई, 1997 से आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के प्रभाव की गणना प्रस्तुत की है और उनके अनुसार पॉलीअल लागत पर प्रोपीलीन मूल्य में कमी का प्रभाव 117/एम टी अमरीकी डालर, मई 1997 से सीमाशुल्क में वृद्धि का प्रभाव 94/एम टी अमरीकी डालर और अमरीकी डालर की तुलना में रुपए के अवमूल्यन का प्रभाव 256/एम टी अमरीकी डालर है। निष्कर्ष के तौर पर, मांगी गई रक्षोपाय शुल्क के संदर्भ में कुल मूल्य लाभ 497/एम टी अमरीकी डालर परिगणित किया है। दूसरी ओर घरेलू उत्पादकों ने डॉव की परिगणना को चुनौती दी है और परिवर्तन पश्चात् प्रभाव के बारे में अपनी परिगणना प्रस्तुत की है और उनके अनुसार प्रोपीलीन के मूल्य में परिवर्तन, सीमा शुल्क में वृद्धि और भारतीय रुपए के अवमूल्यन के संयुक्त प्रभाव को आयातित एफ एस पी के सी आई एफ मूल्य में गिरावट के संबंध में देखा जाना चाहिए जो जुलाई, 1997 में 1180/पी एम टी अमरीकी डालर से गिरकर मई, 1998 में 930/पी एम टी अमरीकी डालर के स्तर पर आ गया। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए डॉव द्वारा परिगणित 497/एम टी अमरीकी डालर के बजाए उन्होंने निवल प्रभाव 118/पी एम टी अमरीकी डालर बताया है।

जो भी हो, यहां मुख्य विचारणीय मुद्दा यह है कि गंभीर क्षति रक्षोपाय शुल्क की मात्रा के निर्धारण के संबंध में कोई निर्णय लेने से पहले यह ध्यान में रखा जाए कि ये परिवर्तन जांच शुरू होने के बाद की अवधि में अथवा सिफारिशें करने से पहले हुए।

यह सराहनीय है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण तभी किया जा सकता है कि जब "वर्द्धित आयात" से "गंभीर क्षति" हुई हो। इसका आशय यह है कि "वर्द्धित आयात" गंभीर क्षति के लिए एक पूर्व शर्त है अथवा सहअस्तित्व है। अत: जांच से यह पता लगाना आवश्यक है कि आयात बढ़ा है और उससे गंभीर क्षति हुई है। गंभीर क्षति का निर्णय विभिन्न मापदण्डों के वस्तुपरक विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए और इच्छुक पक्षकारों को अपना मामला पेश करने और अन्य पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण और तर्कों के खण्डन का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में पक्षकारों को जानकारी होनी चाहिए कि किन तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर जाँच शुरू की गई है और उन्हें क्या प्रमाणित करना है और क्या प्रमाणित नहीं करना है। यदि रूपरेखा निर्धारित नहीं की जाती है तो भ्रम पैदा हो सकता है और विभिन्न पक्षकार भिन्न अवधियों में जारी स्थितियों के बारे में बोल सकते हैं और बैठक निराधार हो सकती है। यद्यपि तथ्य और आंकड़े सही हैं किन्तु सरकारी नीतियों में परिवर्तन पर यह तर्क लागू नहीं हो सकता जो जांच के परिणाम पर बाध्यकारी होते हैं जैसे कि मध्यावधि में हुए आयात शुल्क की दरों में परिवर्तन।

अत: यह उचित होगा :—

(1) जांच आरंभ करने के विचारित डाटा संबंधी निष्कर्ष स्थापित करना और उन्हें प्रारंभिक दस्तावेजों में शामिल करके पक्षकारों द्वारा टिप्पणियां करने के लिए छोड़ दिया जाए।

(2) बाद में हुए नीतिगत परिवर्तनों को ध्यान में रखना।

इस मामले में जांच शुरू करते हुए अगस्त, 1997 की अवधि तक डाटा का उत्तर दिया गया। तदनुसार यह समझा जाता है कि अगस्त, 1997 के पश्चात् विनिमय दर और आयातित एफ एस पी के सी आई एफ मूल्य में परिवर्तन पर ध्यान नहीं देना है नीतिगत परिवर्तन होने के कारण एल पी जी मूल्य के विनियंत्रण के फलस्वरूप प्रॉपीलिन के मूल्य में परिवर्तन पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इसी प्रकार सीमा शुल्क के परिवर्तन पर भी।

14. घनात्मक समायोजन

घरेलू उत्पादकों ने वर्द्धित आयात से पेश आई प्रतिस्पर्द्धा की नई स्थिति का सामना करने के लिए घनात्मक समायोजन हेतु उनके द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है।

घरेलू उत्पादक कुड्डालूर पत्तन से पहले से ही प्रापीलिन का आयात

करते रहे हैं किन्तु इसके कारण उनके द्वारा आयातित प्रॉपीलिन की कीमत में लगभग 3 रु. प्रति किलोग्राम की अतिरिक्त लागत आती है। चेन्नई, मुम्बई और तूतीकोरिन स्थित महापत्तनों के पास प्रॉपीलिन के आयात की सुविधा नहीं है और न ही ऐसी सुविधा की स्थापना की इच्छा क्योंकि इससे वहां भीड़ भाड़ होगी और पत्तन क्षेत्र की खतरनाक कार्गो की शिपमेंट के लिए स्थान की कमी भी है। उनकी ग्रुप कंपनी "मैक वोरमन" नीदरलैंड के वोरमन का एक संयुक्त उद्यम, इन्नोर सेटेलाइट पत्तन में एक स्वतंत्र रसायन टर्मिनल की स्थापना कर रही है और इसका तेजी से निर्माण चल रहा है तथा सन् 2000 में इसके प्रचालन की संभावना है। इन्नोर सेटेलाइट पत्तन के चालू होने तक घरेलू उत्पादकों ने सिंगल बोया मूरिंग (एस बी एम) सुविधा, कुड्डालूर में भंडारण टर्मिनल को उन्नत बनाने का निर्णय लिया है। इससे वे मानसून के दौरान भी प्रचालन कर सकेंगे। फिलहाल उनकी 1000 एम टी की भंडारण क्षमता है और 500 एम टी की क्षमता सड़क टेंकरों आदि के रूप में है और इस प्रकार वे 1500 एम टी प्रापीलिन पार्सल हैंडल कर सकते हैं। अगले 2 वर्षों के दौरान उनका उद्देश्य भंडारण सुविधा को उन्नत बनाने का है ताकि 2000-2500 एम टी आकार के विशाल शिपमेंट हैंडल कर सकें, भाड़ा लागत कम कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के लिए प्रतियोगी मूल्यों पर प्रॉपीलिन उपलब्ध करा सकें।

एम पी एल और एस ओ आर एल अपनी आवश्यकता का 70 प्रतिशत प्रॉपीलिन एम आर एल से प्राप्त करते हैं तथा शेष 30 प्रतिशत का आयात किया जाता है। घरेलू उत्पादकों ने उल्लेख किया है कि मद्रास रिफाइनरीज लि. ने बेहतर मूल्य के साथ उनकी सहायता करने तथा प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र के जो 1-5-98 से प्रभावी है, चरणबद्ध विखंडन का उपयोग करने की आवश्यकता महसूस की है। वे सन 2000 तक अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के बराबर मूल्य पर फीड-स्टाक उपलब्ध कराने पर भी विचार कर रहे हैं। वे कुड्डालूर में प्रस्तावित पेन्नार रिफाइनरीज से भी प्रॉपीलिन प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें पूर्ण क्षमता पर अपने संयंत्र के संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय एफ ओ बी मूल्य स्तर पर प्रापीलिन मिलने की संभावना है। पेन्नार रिफाइनरीज का एक जेटी के निर्माण का प्रस्ताव है जहां पोत आ सकें और एल पी जी एवं प्रापीलिन सहित तरल कार्गो उतार सकें। इससे कुड्डालूर में उनकी सुविधा के एकीकरण/विस्तार की संभावना बढ़ जाती है।

घरेलू उत्पादकों ने यह भी उल्लेख किया है कि उन्होंने ऊर्जा के स्तर में कमी की है और इस तरह उत्पादन लागत कम की है। यदि कंपनी को उच्चतर संयंत्र भार कारक पर संयंत्र के संचालन का अवसर दिया जाए तो अपने कारोबार अनुपात के लिए आकर्षक निवेश के साथ मामूली निवेश से थोड़े समय में अपनी उत्पादन क्षमताएं बढ़ा सकते हैं।

प्रतियोगी मूल्यों पर प्रापीलिन प्राप्त करने की बढ़ती संभावनाओं से कच्चे माल की ऊंची लागत के कारण उत्पादन की ऊंची लागत की समस्या का पूर्णतः समाधान हो जाने तथा बाजार की निरन्तर उपलब्धता की संभावना है जिससे उच्च क्षमता उपयोग पर संयंत्र का संचालन किया जा सकेगा और इससे वे उत्पादन लागत और कम कर सकेंगे तथा उन्हे अनुकूल पूंजी कारोबार अनुपात का उपयोग करने के लिए संयंत्र का विस्तार करने में मदद मिलेगी।

उपर्युक्त के मद्देनजर यह समझा जाता है कि आयात प्रतिस्पर्द्धा के लिए घनात्मक समायोजन हेतु घरेलू उद्योग को लगभग 18 माह का समय चाहिए।

15. निर्यातक देशों का हिस्सा

प्राप्त सूचना के आधार पर भारत में एफ एस पी के आयात में निर्यातक देशों का हिस्सा इस प्रकार है:—

देश	प्रतिशत हिस्सा
जर्मनी	.3
जापान	.1
नीदरलैंड	13.6
सिंगापुर	16.7
सं.रा. अमेरिका	69.1

निष्कर्ष और सिफारिश

उपर्युक्त परिणामों के मद्देनजर यह निष्कर्ष निकला है कि भारत में एफ एस पी के बढ़े हुए आयात से एफ एस पी के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है तथा और क्षति होने का खतरा है और भारत में एफ एस पी के आयात पर 18 माह की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण सार्वजनिक हित में होगा।

घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति से बचाने लिए पर्याप्त रक्षोपाय शुल्क राशि निर्धारित करने और घनात्मक समायोजन सुसंगसत बनाने के लिए समग्र 1997-98 के डाटा के आधार पर अप्रैल-अगस्त, 1997 की अवधि के लिए एम पी एल और एस ओ आर एल दोनों की औसत भार उत्पादन लागत को ध्यान में रखा गया है क्योंकि समग्र 1997-98 के लिए डाटा एक अधिक आदर्श डाटा है और समग्र 1997-98 की उत्पादन लागत अप्रैल-अगस्त, 1997 की उत्पादन लागत से कम है। एफ एस पी के विनिर्माण के लिए प्रमुख कच्चे माल प्रापीलिन के मूल्य के कमी के लिए भी समायोजन किया गया है। घरेलू उत्पादकों ने लाभ की निश्चित राशि (गोपनीय) का दावा किया है जो अधिक समझी जाती है इसलिए लाभ की कम राशि की अनुमति दी गई है जो उपयुक्त समझी जाती है। इसी प्रकार एफ एस पी के लिए सी आई एफ आयात मूल्य अप्रैल-अगस्त, 1997 की अवधि के लिए औसत भार आधार माने गए हैं। ऋण शर्तों के लिए और औसत आधार पर हैंडलिंग प्रभारों के लिए सी आई एफ आयात मूल्य में समायोजन किया गया है। घरेलू उत्पादित प्रापीलिन पर अदा किए गए बिक्री कर के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है क्योंकि अभी हाल के बजट में आयात में विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क अधिरोपित किया गया है जो स्थानीय तौर पर उत्पादित माल पर बिक्री कर आदि के भार पर विचार करता है। आयातित एफ एस पी के आगत मूल्य की गणना में सीमा शुल्क की लागू दर में परिवर्तन को ध्यान में रखा गया है।

घरेलू उद्योग द्वारा घनात्मक समायोजन आसान बनाने के प्रयोजन से रक्षोपाय शुल्क को प्रगामी रूप से उदार बनाने की आवश्यकता पर विचार करते हुए यह सिफारिश की जाती है कि निम्नवत 18 माह की अवधि के लिए यथा मूल्य आधार पर निम्नलिखित विनिर्दिष्ट दरों पर स्लेब स्टॉक फोम और पॉलीयूरेथेन फोम मैटेरेज के विनिर्माण मे प्रयुक्त 3000-4000 अनुभार के फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पालिअल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित की जाए जो एस पी के बढ़े हुए आयात से हुई गंभीर क्षति और खतरे से घरेलू उद्योग की सुरक्षा की न्यूनतम आवश्यकता है :—

अवधि	अनुशासित सुरक्षा स्तर प्रतिशत	सुरक्षा विद्यमान स्तर प्रतिशत	अनुशासित रक्षोपाय शुल्क (2) - (3) प्रतिशत
प्रथम 12 माह	55	35	20
अगले 6 माह	40	35	5

[फा. सं. एस जी/आई एन वी /4/97]

आर. के गुप्ता, महानिदेशक (रक्षोपाय)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL (Safeguards)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 1998

Subject : Safeguard investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000-4000 used in the manufacture of Slabstock Foams and Polyurethane Foam mattresses—Final Findings

G.S.R. 613 (E).— Having regard to the Customs Tariff Act' 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 thereof.

(I) PROCEDURE :-

(i) The Notice of Initiation of Safeguard Investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000-4000 used in the manufacture of Slabstock foams and Polyurethane foam mattresses (hereinafter referred to as FSP) into India was issued on 26.2.1998 and was published in the Gazette of India, Extraordinary on 3.3.1998. A copy of the Notice was also sent to all known interested parties as under :-

Domestic Producers

1. M/s Manali Petrochemicals Ltd. (MPL), Chennai
2. M/s Spic Organics Ltd. (SORL), Chennai.

Importers

1. Aagosh Polyfoam Pvt. Ltd.,Chandigarh.
2. Arvind International Ltd., Calcutta.
3. Banmore Foam Pvt. Ltd., Morena, M.P.
4. Cozy Foams Pvt. Ltd., Palghar, Thana.
5. D.P. Foam Pvt. Ltd., Pondicherry
6. Dura Foam Inds. Pvt. Ltd. Dadra Nagar Haveli.
7. Diana Foams Pvt. Ltd.,Orissa
8. Devi Polyurethane Pvt. Ltd., Distt. Nasik.
9. Enkay Foam Pvt. Ltd., Meerut,
10. Feather Foam Enterprises Pvt. Ltd., Noida.
11. Foam Home India Pvt. Ltd., Midc Taloja.
12. Feather Foam Enterprises Pvt. Ltd., Silvassa.
13. Joy Foam Pvt. Ltd., Ranipet.
14. Juhi Foam Pvt.,Ltd., Punjab
15. Kurlon Ltd., Bhubhaneshwar,
16. Kamal Foam, Pondicherry
17. M.R. Foams, Hyderabad.

18. Multiwyn Foams Pvt. Ltd., Calcutta.
19. Modern Foam Udyog, Ludhiana,
20. NU Foams Inds., Ahmedabad.
21. Natson Foam Mfg. Pvt. Ltd., Distt. Mehsana
22. Panama Polyproducts Pvt. Ltd. Bulandashahar.
23. Pallavi Foam Inds. Pvt. Ltd., Noida Dadri Road, UP
24. Poly Foam, Chintupuda.
25. Prabhat Polyurethane Pvt. Ltd., Pondicherry.
26. Pratap Polyurethane Pvt. Ltd., Calcutta
27. P.U. Foam Pvt. Ltd., Calcutta
28. Raj Leather Cloth Inds. Pvt. Ltd., Sonepat,
29. Sheela Foam Pvt. Ltd., Sahibabad,
30. Tirupati Foam Ltd., Mehsana.
31. Tirupati Foam Ltd., Taluk Kalol.

Exporters

1. Arco Chemical (Singapore) Pte. Ltd., Singapore
2. M/s Arco Chemicals, USA
3. Asahi Denka Kogyo K.K., Japan.
4. Asahi Glass Company Ltd., Singapore
5. Dow Chemical Pacific(Singapore) Pte. Ltd., Singapore
6. Helm AG, Germany.
7. Shell Chemicals, and Shell Eastern Petroleum (Pte.) Ltd., Singapore
8. M/s Yokong Ltd., Seoul,

ii) A copy of the notice was also sent to the governments of exporting countries through their embassies in New Delhi.

iii) Questionnaires were also sent on the same day to all known domestic producers, importers and exporters and they were asked to submit their response by 13th April, 1998. Request for extension of time to submit their replies were made by the following parties :-

- M/s Shell Eastern Petroleum Pte. Ltd., Singapore
- M/s Dow Chemical Pacific(Singapore) Pte. Ltd., Singapore
- M/s Asahi Glass Co. Ltd., Japan

Keeping their request in mind and the need to complete the investigation expeditiously extension upto 24th April, 1998 was allowed and the parties concerned were accordingly informed.

iv) M/s Sealed Air (S) Pte. Ltd., Singapore and M/s Bayer AG Germany requested to be considered as an interested party which was acceded to.

v) Replies to the Notice dated 26th February, 1998 and questionnaires have been received from the following parties :-

(a) Domestic Producers

1. M/s Manali Petrochemicals Ltd.
2. M/s Spic Organics Ltd.

(b) Importers

1. M/s Banmore Foam (P) Ltd., New Delhi.
2. M/s Bharat Foam Udyog Pvt. Ltd., Faridabad.
3. M/s D.P. Foam Pvt. Ltd., Pondicherry.
4. M/s Joy Foam Pvt. Ltd., Chennai.
5. M/s Kurlon Ltd., Bangalore.
6. M/s Madras Polymoulds, Chennai.
7. M/s Polyurethane Association of India, Chennai.
8. M/s Sheela Foam Pvt. Ltd., Ghaziabad.
9. M/s Soft Foam Industries Pvt. Ltd., Andhra Pradesh.
10. M/s U-Foam Pvt. Ltd., Hyderabad.

(c) Exporters

1. M/s Arco Chemical (Singapore) Pte. Ltd., Singapore.
2. M/s Asahi Glass Co. Ltd., Japan (Singapore Branch).
3. M/s Dow Chemical Pacific (Singapore) Ltd., Singapore.
4. M/s Sealed Air (S) Pte. Ltd., Singapore.
5. M/s Shell Eastern Petroleum (Pte.) Ltd., Singapore.

vi) Verification of the information considered necessary for the investigation was done and to this end a team of officers visited the premises of M/s. Manali Petrochemicals Ltd, Chennai, M/s. Spic Organics Ltd., Chennai and M/s. Sheela Foam Pvt. Ltd., Ghaziabad and M/s Bharat Foam Udyog Pvt. Ltd., Faridabad. The outcome of the verification was conveyed to the concerned parties.

vii) A public hearing was also held on 6.8.98 notice for which was sent to all interested parties on 6.7.98. The parties were asked to submit in writing the information presented by them in the public hearing so as to reach the office of DG by 13th August, 98 and to collect the copies of written submission made by other parties from the office of DG on 14th August, 98. Rebuttals, if any, were asked to be submitted in the office of DG by 26th August 1998.

(II) VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

The domestic producers have made the following main points :-

1. Both MPL and SORL are ISO 9001 and 9002 accredited companies respectively with the R&D center approved by the Deptt. of Science and Technology of the Govt. of India.
2. The products conform to international standards set for their category.
3. They regularly collect from their customers feedback about the superiority and services as perceived by them.
4. Multinationals and even small customers have appreciated the quality of their products and services rendered by them.
5. They manufactured Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000 which is substitutable with similar FSP of molecular weight between 3000 and 4000. Internationally products of 3000, 3500 and 4000 molecular weight are available for more or less similar applications.

6. Multinational operators have appointed dealers in different cities and products available from them and the domestic products conform to the same specification and molecular weight.

7. Injury is because of high raw material cost, low levels of customs duty, increased imports, low interest from exporters and sales tax and octroi on indigenous products.

8. They manufacture both homopolyol and hetropolyol and the product hetropolyol has been made available to all customers.

9. Polyol plants were shut down in the beginning of the financial year 1997-98 due to very low levels of sale, high level of stocks and higher level of locked up working capital.

10. They had never faced problem of this nature ever since the commissioning of the projects in 1990. Most of their customers know in their hearts of heart the services rendered by the company directly and indirectly to the PU industry in lifting it up off the ground.

11. Both (Manali Petrochemicals and Spic Organics Ltd. belong to SPIC Group of Companies. MPL was set up with the technology of Atochem, who were operating similar plants at Lavera, France and basic engineering was done by Technip of France and detailed engineering was executed by Engineers India Ltd. SORL was incorporated based on the technology of Enichem of Italy. The detailed engineering was carried out by Uhde, India. The contract for import of Polyol technology was entered into in the year 1983 and after the advent of ARCO into the scene, upgradation of the technology took place. Based on this first plant was built in Texas in 1984. Subsequent plants were built up with the same technology in Indonesia, Korea and France. The size of the reactors transfer system and instrumentation are similar to the plants built in Korea except that MPL plant is a 2 train Polyol plant whereas the plant in Korea has 3 trains.

12. The commissioning of the plants and guarantee test runs were completed in the year 1990. The capacity of PO plants shown in their application for Safeguard duty (SGD) was as per capacities mentioned in their Annual Reports. MPL plant was designed for capacity of 7500 MTpa even though they had licensed capacity of 6000 MTpa. When the minimum economic capacity was increased subsequently and also the requirement for licence was withdrawn, they had registered the plant for capacity of 25000 MTpa each. During guarantee test run, even under standard conditions of operation, the plants have achieved 136% i.e. more than 7500 MTpa. Subsequent to the first year of operation they had further stepped up the capacity of the plants by removing the bottlenecks and on stream efficiency of the plant indicates that the capacity of the plants are around 10000 PA at MPL and 8500 MTPA at SORL. The PO plant capacity as per the design and as verified in the guarantee performance test is 15000 MTPA each. The supporting utility plants are of much higher capacity and can support another PO plant comfortably. The capacity utilisation of PO plant is at 8900-10000 MTPA only and production can easily be stepped up to capacity of 15000 MTPA if only sufficient markets are available to cater to. It can also be stepped up further in a short span of time with marginal investment to meet the demand of the country.

13. When FSP was introduced by the end of the year 1990, MPL and SORL had sent their commercial and technical officers for field trials and the product was

accepted by most of the customers without much problem. Because of the advice given by collaborates and very tight availability situation of Ethylene Oxide, both the companies first introduced homopolyol. In 1992, hetropolyol was also introduced. On an average production of hetropolyol was 35% of the total production of polyols. They sold hetro grades only to customers who wanted only this particular grade continuously.

14. Their technical staff fine tuned the formulations at the customers' places and thereafter visited them whenever specific help was sought. They had attended to most of the issues whenever it was referred to them. They have technical support service personnel stationed at Delhi and Mumbai who attend to the customers request instantaneously and whenever special efforts were required, their scientists, involved in the development of the product were flown on the same day to attend to their problems.

15. They had more than 50 small and medium customers in these areas who were totally dependent on them for the product as well as technical support service as their requirement was in small quantities and the total consumption was between 100 kg per month to 5 M.T per month. Most of the multinational companies were not interested in catering to their requirement because the time and effort spent to develop and cater to these kind of small customers were manifold compared to straight easy market of FSP in which they had been relegated to a non-entity.

16. The increasing quantity of FSP used by their customers progressively from 1991-92 year-wise is an ample testimony of their acceptance of the product and the support provided by the companies to the PU industry. They had a market share close to 100% since 1990-91 which has declined to current level of less than 40%. The market share with some of the large foamers declined progressively from 100% (1995-96) to 70% (1996-97) to 25% (1997-98) to current level of only 7% (1998-June 98) in the last 4 years. These large foamers make up for more than 70% of the market.

17. The foamers had been using indigenous FSP since 1991. Since 1996-97 they have gone away from the indigenous FSP to imported FSP which is definitely not because of the perceived quality of hetro or homopolyols or problems of availability since the companies had sold much larger quantities before, but it could perhaps be price and price related issues.

18. The production scenario became acute since December 1996, when the indigenous propylene price started showing unprecedented rise by almost 33% and at the same time customs duty on polyols fell to 30%.

19. The increase in cost of production starting from November 1996 till April, 1997 prevented the company from dropping the price below the level of input cost and cheaper imports virtually took over the entire market.

20. MPL has entered into a 10 year long term contract with MRL for supply of propylene. The contract is based on the price of LPG and only notional processing cost is added to arrive at the price of propylene. Govt. of India decided the price of LPG month wise since September 1993 and as this price varied, price of propylene also varied month wise. The fire accident in MRL in 1993 forced them to conceive a make shift propylene importation terminal at port of Cuddalore. The major ports at Chennai, Mumbai and Tuticorin do not have facility to import propylene and they were also not interested in creating one because of congestion and lack of space within the port area to

accommodate the hazardous cargo shipment. They have now 1500 MT storage capacity of propylene. MRL can easily supply 70% of the requirement of the companies at full production level and the balance 30% is to be imported. The landed cost of propylene through Cuddalore terminal was roughly Rs. 3/- per kg more than that at a full fledged terminal due to method of handling. They had decided to further upgrade the system with the SBM facility with the view to bridge the gap and reduce the cost.

21. Technip alongwith MPL have proposed now to set up plants in China. Thailand and Taiwan with MPL as the model.

22. All the quality parameters of indigenous FSP and imported FSP were same. FSP though prepared batch wise goes to a storage tank. Technology to manufacture PO foam was same in small and big plants.

23. Though the cost of production of FSP was high at the time of making application, they had no objection if for the purpose of SGD, the audited cost of production of FSP for the entire year 1997-98 was taken into consideration as this was the actual cost of production for the entire year.

24. The import figures shown in the application were not complete as the import figures of ICD Delhi and Kandla were not included.

25. Though they had demanded different SGD for MPL and SORL because of different equity levels to take care the interest of shareholders weighted average SGD may be recommended which will simplify the operation.

26. The industry grew at a phenomenal rate inspite of high cost of chemicals, high customs tariff and high excise duty on PU products during the period 1993-97. The growth was substantial during the years 1994-95 and 1995-96 inspite of very high international prices of Polyol i.e., US $ 1850 PMT (Rs. 81 per kg in India) and TDI at the rate of USD 2800 PMT. Currently Polyol is selling at the rate of USD 980 PMT (Rs. 61 per kg in India) and TDI at the rate of USD 1700 PMT (Rs. 100 per kg in India). If PU industry can grow at such a hectic pace with such high costs and heavy tax and duty structure, why the industry is not able to grow today.

27. Earlier the price of PU foam was Rs. 250/- per kg which has come down to the level of Rs. 150/- per kg. The prices are coming down because of excess production and probably competition among various foamers to expand the market and not because the market is not able to absorb the already low cost. The industry and market did absorb much higher cost of inputs before.

28. The production of Polyols was disrupted during April 1993 because of fire accident in MRL. Hence MPL implemented import facility for Propylene at Cuddalore. Since then Polyol was not in short supply from the company at any point of time and supply tap was never closed and that too to M/s Sheela group.

29. As regards foamers observation of the processability of Polyols, it is true that Hetro Polyols are easy to process as compared to Homo Polyols earlier used by the foamers because of Ethylene Oxide (EO) content and slightly less requirement of certain catalysts. They were selling Hetro Polyols since 1992 and 35% of the quantity produced was of Hetro grade.

30. For foamers price was the key issue and a precursor for their purchase decision because when the price of indigenous Polyol was about 5- 6 rupees more from December 96 onwards the marked tapered off completely. The quantity off take by various business groups came down dramatically and imports grew up

in leaps and bounds. Even discussions in June 1997 offering very special prices did not increase the off take.

31. The issues regarding Propylene prices reduction and 4% Special Additional Duty are in the period subsequent to filing of application. 4% SAD is of no real help to MPL/SORL since most of the Polyols are currently imported under the DEPB scheme. Moreover, imports can be made through a trader who is based at a place like Daman or Pondicherry where sales tax is either low or not attracted at all.

32. They have produced enough documents in support of the capacity of the plants and they have adequate capacity of P0 plant and Polyol plant to meet the entire demand of the country.

33. The minimum economic capacity for this industry prior to 1989 was 12000 MT PO/Polyol plants and there was no specific mention for the Polyol plant alone. After ease of the licensing procedure, they were now registered for a capacity of 25000 MT of PO, 12000 MT of PG and 25000 MT of Polyol. However, capacity available with them now are as under :-

	MPL (MT)	SORT (MT)
Propylene Oxide	15000	15000
Propylene Glycol	7815	7500
Polyol	10000	8000

34. Regarding allegation of monopoly, wrong market practice and distortion of prices, they submitted that inspite of both MPL and SORL belonging to the same group, they had completely lost the market and their market share came down to 40%. Large buyers had reduced their market share from 100% to 7%. If they could manipulate the price and distort the market, they should have made profit instead of incurring cash losses.

35. Regarding the observations that if the plants set up in Taiwan, Thailand and China on MPL/SORL technology can be competitive in a less tariff environment, why not in India? MPL/SORL have submitted that Propylene prices, cost of liabilities, local taxes and duties were much higher in India than those countries. Moreover, plants at those places are operated as part of a larger petrochemical complex and receive utilities and raw materials at only conversion rates.

36. Shell has pointed out that products from Singapore can land in Mumbai within 10days and in Delhi within 15 days which contradicts the claim made by M/s DOW that the voyage time is 45 days.

37. The users may be asked to produce evidence regarding their refusal to accept the credit period or taking a Dollar cover.

III VIEWS OF USERS/IMPORTERS

The importers/users of FSP have made the following main points :-

1. Quality of FSP manufactured by MPL and SORL was not upto the international standards.

2. After purchase of UB Petro by SPIC group and renaming as SORL, both MPL and SORL have come under the same umbrella and have adopted a monopolistic attitude. Their terms and conditions were arbitrarily changed and

they had withdrawn the trade discounts which were earlier offered. The prices were also changed without assigning any reason.

3. Polyurethane foam manufacturers have suffered serious losses due to defective Polyol supplied by domestic producers who have behaved in a most irresponsible way in rejecting the quality complaints and demanded the bill amounts with threat of cutting off supplies altogether from both the enterprises. Domestic producers have been totally disregarding quality complaints and refuse to meet the complaints technically or otherwise. An established enterprise cannot face the situation where the two domestic manufacturers, who are now held by the same group, refuse to supply materials and hold the industry to ransom. Therefore, polyurethane manufacturers had to establish sources from foreign suppliers even though the prices of imported material is slightly more expensive than the indigenous price. They have chosen to import some quantities of FSP on better terms and assured quality supply.

4. The domestic producers could not even depreciate their plants during the last 8 years of their coming into existence how they would be able to turn around the operations in short period of two years of demanded SGD. Both the units being managed by the same group, different SGD have been demanded which reflects on the management efficiency of the units.

5. The international producers provide excellent services and latest technology to the industry. Interest rates offered by them were in line with Libor rates monitored by the RBI. The credit of 90/120 days was in vogue for the last over 15/20 years even before MPL and SORL started production.

6. One major area of constraint was the uncertain supplies from the domestic producers which affected their production. They did not have any problem of that kind in case of imported Polyol inspite of cumbersome import formalities involved. Because of better quality of imported FSP, the quality of polyurethane foam manufactured was superior.

7. The Polyol manufactured by the domestic producers was Homo-Polyol, requiring far greater quantities of catalyst levels for foam production which are expensive. Browning of the center of the foam blocks takes place due to inappropriate level of anti-scorching agents provided in the local Polyol. The two companies, though owned by the same group utilise different technologies for manufacturing Polyol which require changes in the formulation. As the marketing set up is the same when they placed an order, they had no control over which material would be supplied.

8. Price was not the consideration for imports since even today the prices of imported Polyol were higher than the indigenous Polyol. The Polyol manufacturers all over the world provided adequate technical assistance for polyurethane foam industry. In case of difficulties in manufacturing, they could refer to the information and experience available with the raw material manufacturers. Frequently highly qualified technical representatives visited their production units to guide them out of difficulties. No such technical assistance was available from domestic manufacturers. Nor they had any adequate R & D facilities to correctly evaluate the product or even to do test production.

9. The production capacity figures given by the domestic producers appear to be incorrect and misleading. This is probably for all types of Polyols and not for

FSP alone. The present capacity is totally inadequate to meet the present requirement in the Indian market.

10. The reason for higher prices of indigenous Polyol is because of high price of their raw material i.e. propylene which is monopoly of Public Sector Refineries. The domestic producers have failed in their planning to procure cheap raw material from international manufacturers by creating facilities in the ports.

11. Specialty Polyols are not available with domestic producers.

12. The cost of production of the domestic producers is higher than the international producers because of the size of the units.

13. Polyurethane industry is facing a very tough competition from the rubberised coir manufacturers and several small scale rubber foam manufacturers who are enjoying both excise exemption as well as sales tax exemption in many states. Imposition of SGD on FSP would be detrimental to the industry.

14. They were totally wedded to the idea of consuming local inputs rather than importing and were even prepared to pay a couple of rupees to avoid import hassles. This was possible provided the quality and supplies were assured.

15. In addition some of the users/importers have made the following additional points :-

(a) M/s. Sheela Foam Pvt. Ltd.

(i) Imposition of SGD on FSP would cause serious injury to PU Foam Industry as it would increase the cost of production and lead to a monopolistic pattern which will be harmful not only to PU industry but also to MPL/SORL.

(ii) Consumption of PU foam was very low in India as compared to other like products i.e. coir foam and and rubber foam because of high taxes and duties livable on PU Foam compared to nations like China, India consumes only $1/20^{th}$ level of PU foam on a per capita basis.

(iii) Selling prices of PU Foam were below the cost prices. Like any other consumer durable, the prices of PU Foam and its products have fallen in the last couple of years.

(iv) In the Budget for the year 1998-99, 5% Central Excise duty was imposed on coir foam which was withdrawn after a short period.

(v) There is no need of any SGD since prices of propylene have declined from Rs. 24000/- PMT to Rs. 15000/- PMT, 4% SAD has been imposed on imports and exchange rate of USD has gone up from Rs. 37/- per USD to Rs. 43/- per USD.

(vi) It is in their interest that a local supplier is present as the problems of import and currency fluctuations are reduced greatly. There was no guarantee of supplies of FSP from MPL/SORL and they shall also continue to import.

(vii) Processing of local FSP was a difficult job as compared to standard imported FSP.

(b) M/s. G.J. Foam

(i) There is difference in the quality of domestic FSP and imported FSP.

(ii) Different quality of foam is produced from different batches of indigenous FSP. Quality of indigenous FSP is not consistent.

(iii) They felt difficulties in processing indigenous FSP, more so in bigger plants.

(iv) PU foam is importable but not virtually imported.

(v) Now prices of propylene have gone down.

(c) M/s. U Foam Pvt. Ltd.

(i) They have suffered incalculable losses due to bad quality of Polyol supplied by UB Petro with no control for internal scorch and irregular balancing of catalyst which is normally available for any standard Polyol supplier.

(ii) MPL/SORL have very large outstanding from the market and that too from a handful of inter related companies who have managed to run up huge outstandings and are still being favoured with supplies and special credit facilities on supplies.

(iii) Import of polyols from international companies must continue and the local companies have to fight the competition with better efficiency and cash management and not burden the industry with additional levies.

(d) M/s Tirupati Foam Ltd.

(i) Increase in raw material price will affect prices of finished product and PU Foam will become uncompetitive to like products because of high duties and taxes leviable on PU Foam.

(ii) There had been considerable growth of Foam industry during the last 4-5 years. Increase in prices of raw material would be harmful for this growth.

(iii) They purchased 90% of their requirement of FSP from MPL/SORL. They experienced batch to batch variation in the Polyol quality which affects the production of continuous machine.

(iv) Imports have increased because of reduction in duties.

(v) MPL/SORL are already receiving several advantages such as competitive raw material prices, increased duty protection etc.

(e) M/s. Bharat Foam Udyog Pvt. Ltd.

(i) P.U. Foam industry should not be subjected to duty on raw material

(f) M/s. M H Polymers

(i) PU foam is reserved for SSI sector and increase in prices cannot be afforded.

(ii) SSI exemption is not applicable to PU foam under Central Excise Act.

(iii) They encounter several problems in processing the local Polyol as quality was not upto international standard.

(iv) Imposition of SGD will increase cost of PU Foam and because of being uncompetitive they shall be forced to curtail production resulting in unemployment and loss of revenue to Govt.

(v) Both the applicants are under one management and are monopoly producers.

(g) M/s. Jain & Jayna Foams Pvt. Ltd.

(i) Prior to 1991 when MPL and UB Petro started manufacturing Polyols, they were importing Polyol. After 1991 they started purchasing the material from both the companies on competitive prices since both being under different managements offered attractive schemes i.e. quantity discount, cash discount, annual target discount and credit facility for 90 days. This practice continued till 95-96 inspite of poor quality material supplied by both the companies.

(ii) MPL and SORL are not able to supply Hetro polyols and their plea that they supplied hetropolyol to those customers who want continuous supply of the same is wrong.

(iii) Indigenous industry was made viable on record only because of higher rates of import duty.

(iv) After the purchase of UB Petro by MPL, they started dictating policies, changed/withdrew all benefits and their sales promotion schemes because of monopolist attitude. Imports started only from the last one and a half year.

(h) Polyurethane Association of India

(i) Polyurethane Association of India (PUAI) is registered as a Society to look after various interests of Polyurethane Industries. Polyurethane production in India has made substantial progress and present production is in excess of 50,000 MT per annum.

(ii) PU / Slabstock Foam in India is reserved for small-scale sector by the Government of India. However, general exemption No: (1) (SSI Exemption) is not applicable under the Excise Act.

(iii) The Slab Stock Industry production levels were virtually stagnant from 1985 to 1992 at levels of 9,000 to 10,000 MT per annum.

(iv) PU Foam competes with Cotton, Rubber and Rubberised Coir in large segments of the market.

(v) PU Foam was classified as a luxury item and both the raw materials as well as foam were subjected to very heavy duties.

(vi) The usage of PU Foam in Mattresses and Pillows released scarce cotton for the export sector.

(vii) PU Industry has been fighting an uneven battle against products like Rubberized Coir Foam which enjoys total exemption from excise duty.

(viii) There is stiff competition within the Industry and also substitute products and there is an urgent need to maintain price of PU Foam to sustain the growth.

(ix) Imposition of Safeguard Duty will be detrimental to the Industry and will only help the monopoly producer in the country, who would exploit a captive market.

(x) The applicants have failed to prove serious injury to the domestic industry.

(xi) The applicants are already enjoying benefits of 35% customs duty.

(xii) The post application developments like

a) Reduction in Propylene prices

b) Imposition of 4% Special Additional Duty

c) Appreciation of US$ by 18% against the Indian Rupee has given applicants additional competitive edge and further diluted their case for imposition of duty.

IV) VIEWS OF EXPORTERS /EXPORTING GOVERMENTS

The exporters of FSP have made the following main points :-

(a) M/s Sealed Air (S) Pte. Ltd., Singapore

1. They were an interested party in the proceedings.

2. They were producing ahd exporting to India Instapak Chemical B which has the same HS Tariff category as Slabstock Polyol produced by domestic producers, but which is neither like nor directly competitive with FSP.

3. Although both substances contain Polyol, Instapak Chemical B differs from FSP in the following ways :-
   i) Different molecular weight of Polyol.
   ii) Different chemical additives.
   iii) Unique reactivity with Instapak Chemical A.
4. Instapak Chemical B and FSP are not directly competitive articles because it has a unique end use. It is used only to produce protective foam in-house to package items such as defence electronics, avionics, computer peripherals, aircraft parts etc. and not for mattresses or flexible slabstock.
5. There is no causal link between exports of Instapak Chemical B to India and any serious injury or threat thereof to Indian producers of FSP.
6. Instapak Chemical B exported to India be excluded from the scope of safeguard measures.

(b) Asahi Glass Co. Ltd., Singapore

1. The CIF prices of FSP are as under :-

Year	Quantity (MT)	CIF price ($ per MT)
1995	151	1474
1996	302	1307
1997	1192	1141

2. Increase of import duty or implementation of SGD may not help domestic producers because of the following reasons :-
   (i) The installed capacity and actual output of domestic producers is not enough to meet the growing demand.
   (ii) The installed capacity and actual output is not big enough for economic scale of operation resulting in high operating cost.
   (iii) Quality and inconsistency in supply.
   (iv) Inability to provide better credit terms/facilities to customers as compared to that of foreign suppliers.

(c) Shell Companies in Singapore

1. Their capacity is 78000 MT per annum. They service markets in all the Asia Pacific countries and in the Middle East, Africa, Europe and America. Their sales into India in 1997 represented only 2.7% of total FSP plant capacity i.e., they exported only 2100 MT of FSP to India.
2. Total consumption of Polyol in India was 25000 MT against a capacity of 13500 MT. Import of FSP was, therefore, necessitated by domestic demand exceeding domestic supply.
3. Interest rates and credit periods offered by them were generally in accordance with US prime rates and on 90 days credit basis.
4. Their sale policy was to offer the product to customers at prices consistent with local market pricing levels and conditions. Shell India Pvt. Ltd. was a registered Indian company which provided Shell with marketing assistance only. The allegation that Shell was desperate to sell in India and had started dropping the prices heavily in India was incorrect.
5. Their exports of FSP from Shell form only small portion of Indian FSP market which is increasing with consumption growth.
6. Import duty in India was the highest. Local producers in other countries where import duties were much lower were nonetheless able to sustain themselves in

the face of larger import volumes of FSP. Per capita consumption of FSP in India was lowest and high import duty did not facilitate consumption growth.

7. Due to appreciation of 12% of US $ against Indian Rupee in 1997, imports have become dearer inspite of duty reduction.

8. The total capacity of Polyols at MPL and SORL is 13,500 MTpa .The production at 80% level is 10,800 MTpa. All India demand of Polyols is around 33,000 MTpa, out of which a demand of FSP is 12,000 MTpa. It is evident that imports of Polyols are necessitated by a shortfall in domestic production.

9. The domestic consumption of Polyols in India is raising by an average of 10 % per annum. MPL/SORL having 30 persons in their R&D are working with Mitsui of Japan and several other companies to develop PU systems and other Polyol grades and in the process neglected the flexible slab/foam business.

10. MPL/SORL have supplied only 35 % of the FSP as Hetro-Polyols. This supply from their end is constrained and they cannot meet the market demand. Shell Chemicals has supplied only hetropolyol .

11. Supplies from Shell commenced only from middle of 1996 and they sold only hetro grade of Polyols, which find application in flexible slab stock foam production.

12. MPL and SORL are a part of the same business group. The levy of Safe Guard duty would be contrary to the MRTP Act, 1969 as it would tantamount to encouraging a monopolist who would then exploits his dominant position in the market to the detriment of customers who would be at their mercy to pay substantially high price for the product.

13. MPL and SORL can supply goods at short notice, where as in the case of imports, even with a relative close imports source like Singapore, it takes about 45 to 60 days to complete the sales.

14. Imposition of Safeguard duty on FSP will force various foamers in to unhappy situation because of their difficulty to compete against other substitutes.

15. Any imposition of duty will be passed on to the foamers and MPL/SORL will sell their entire capacity to the foamers at completely one sided terms.

16. MPL/SORL have admitted that they took over UB Petrochemicals (renamed as SORL) to prevent "Price undercutting" and to stabilize in other words to prevent competition and to monopolise.

17. The Safeguard duty provisions are not meant as a cover for improper cost management.

18. MPL/SORL have failed to ensure contractual raw material arrangements to enable themselves to be competitive so far availability of Propylene is concerned.

19 It seems that MPL/SORL even at present do not have any plans for expansion of the existing units and import of 1,500 tons of Propylene was too large for them. Their plans to import large quantities of Propylene at competitive terms do not seem to be feasible, as globally such quantities are considered very small to supply. They should resolve their supply issues with MRL rather than trying to look for Propylene imports.

20. It has been learnt that this problem has now been sorted out and MPL/SORL will receive substantial portion of their Propylene requirements from MRL at internationally competitive prices. The main stated cause of their request for Safeguard duty has thus disappeared.

21. Since October 1997 import duties have increased by about 9.5 % and there has been a net drop of 19 % in the Indian Rupee value, which has made the imports expensive by about 30 % when compared to the period mentioned by MPL/SORL. Thus redress sought through Safeguard duty is no longer valid.

22. Protection afforded to MPL/SORL in India is far higher than anyone else in Asia Pacific region.

23. Demand of two different Safeguard duties by MPL/SORL is contrary to the Provisions of WTO agreement, Section 8B of the Customs Tariff Act of 1975 and the provisions of the Safeguard duty Rules of 1997. The Rules provide for a uniform Safeguard duty on a non-discriminatory basis. Safeguard duty is not meant for guaranteed returns to the share holders.

24. No public interest will be served by levy of Safeguard duty, which is an essential requirement under WTO agreement on Safeguards.

25. All the Polyols supplied by Shell was on interest-bearing credit. The interest in each and every case was the prevailing US Prime Rate (in accordance with RBI regulations) which averages to around 8% per annum. Credits start from the date of Bill of Lading, i.e. the date when the material leaves the load Port. However, this appearance of cheap credit as objected to by MPL / SORL is deceptive because of the following two factors:

a) Approximately 65% of the CIF Value (customs duty plus CVD)of the good is paid for at the time of customs clearance. In case of our material, this is within 15 days of shipment.

b) For the CIF payment, to the supplier, there is always exchange rate risk for the importer, i.e. by the time of CIF payment is due the rupee / dollar rate may have changed. Importers either take the risk or take "forward cover" from the Banks. The cost varies but an interest of 8% p.a. would mean that the net cost of credit for the CIF portion is close to 16%.

Shell Chemicals exports have been largely against Letters of Credit which have their own costs of processing and more important locking up of margin money (which varies between 25 and 100% of CIF value) at the time of opening of the L/C. Given the time taken for amendments and supply lead times, this margin money can get locked for an average period of 45 days. Needless to say this is additional working capital burden for the customers.

26. The problems of MPL/SORL are permanent in nature as their size is uneconomical .

(d) Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte. Ltd.

1. They have only one agent in India namely Dow Chemical International Ltd., Mumbai and no additional agents, sub-agents or distributors have been appointed for sale of FSP in India.

2. MPL and SORL are owned by the same group who are the sole domestic suppliers of FSP. They enjoy monopoly which enables them to dictate and manipulate the terms in the market at the expense of the users. The decline in sales of FSP as claimed by MPL/SORL is not as a result of unfair competition from imported Polyol but rather through their product and market management practices and non-competitive manufacturing capability.

3. Even in FSP, other than manufacturing Polyols of different molecular weights, depending upon the use of Propylene Oxide (PO) or a combination of the same

with Ethylene Oxide (EO), it is possible to make Homo Polyols (only PO) or Hetro Polyols (combination of EO/PO). It is pertinent to note that majority of Polyols being imported is Hetro Polyol, while majority of that being produced by MPL/SORL is Homo Polyol. Flexible slabstock foamers generally prefer Hetro Polyols as it provides better machine processability and optimum catalyst requirements as compared to Homo Polyols. 95% of their sales are of Hetro Polyols.

4. The sales of FSP for 1994-95 is shown as 4518 MT for MPL and 4072 MT for SORL which is factually incorrect and represent the total Polyether Polyol sales. The actual sales of FSP for the year 1994-95 are 3328 MT for MPL and 2609 MT for SORL as mentioned in the summary statement.

5. Lowering of duties from 65% in 1994-95 to 32% in 1996-97 has made imported Hetro Polyols more affordable. There is no quantum jump in imports but a gradual increase in imports based on increase in local demand which is increasing @ 10% to 12% per year as well as some shift to Hetro Polyol technology at the expense of Homo Polyol technology promoted by MPL/SORL.

6. Major Polyol producers continuously improve product performance through investment in Research & Development.

7. Increased sales of Polyols of MPL/SORL during the period July-Nov., 1997 indicate that MPL/SORL have already been substantially advantaged by the depreciation of the Rupee by 10% and the increase in import duty by 3%.

8. Total demand of Polyols in India is 25000 MT per year out of which 11500 MT is required by Flexible slabstock foamers i.e., for FSP. The domestic capacity of 13500 MT for all Polyols is not adequate.

9. They have estimated import of 3850 MT for the year 1997-98 (April-August) as against 2514 MT by the applicants.

10. Reduction in import duty and increase in imports have not impacted the sales of FSP of MPL/SORL till 1996-97.

11. Interest rates and credit period being offered to Indian customers are at US prime rate of interest. Credit period offered by Dow for FSP is 90 days from the date of Bill of Lading out of which 40-45 days are lost in transit and clearing. The domestic suppliers also offer 30-45 days credit. Moreover credit offered to buyers is only for C.I.F and not for other expenses like duties and handling charges etc.

12. It is absurd for MPL/SORL to claim helplessness in procuring raw materials at competitive prices as access to global markets is easily available.

13. Units set up by MPL/SORL are too small to fight plants of global size because small units with high raw material cost have production cost nearly two fold higher than world scale facilities.

14. Capacity utilisation figures provided by the applicant under Annexure VIII are confusing and inconsistent with their published data and, therefore, needs a careful scrutiny.

15. The pricing trend of FSP in India has consistently been at par or higher than prices prevailing in Pacific area. Hence allegation of dumping is baseless. Also the landed cost of Polyols has generally been higher than domestically produced Polyols and customers have preferred to pay a premium for imported Polyol to avail of the superior product and services.

16. Dow have also made some legal submissions that no serious injury is caused to the domestic industry. There is no causal link between increased imports and injury and that levy of SGD will encourage monopoly.

17. Subsequent to the filing of their response, very significant changes had occurred both with regard to the price of Propylene paid by the applicants to MRL as the Govt. of India has decontrolled the prices of most petroleum products sold by the refineries, decline in imports on account of depreciation of rupee by about 18% vis-à-vis US dollar and imposition of special additional duty of customs by Finance (No:2) Bill, 1998 with effect from 1 6 98. The long outstanding dispute between the applicants and MRL about Propylene prices has been satisfactorily resolved in favour of the applicants.

18. Because of the changes mentioned above applicants have benefited by about US Dollar 497/pmt of FSP as against the SGD of US Dollar 569 and US Dollar 233 sought by them. All these three changes go to the very root and basis of the application made by the applicants. Since all the grievances of the applicants have already been taken care of due to the policy changes initiated by the Govt. and also on account of macro economic factors, the application has become infractuous and deserves to be rejected.

19. There is no quantum jump, but a gradual increase in the imports over a period of time.

20. Rate of import duty in India on Polyols is the highest in the entire Asia-Pacific Region and hence the applicants already have adequate duty protection.

21. The applicants be directed to produce documentary evidence to substantiate their claims that their plants are designed for much higher capacity than what is disclosed by them.

22. Two different amounts of SGD sought by the applicants for two different legal entities (MPL & SORL) on the basis of different amounts of equity capital employed in the two Units is grossly erroneous and contrary to the Provisions of SGD Rules 1997.

23. SGD Rules 1997, provide that these are emergency measures to be used sparingly in rare cases, where there is a great danger and irreparable injury due to massive increase in Imports which may lead to over all impairment of the domestic industry. In the present case, none of the three pre-conditions spelt out in the SGD rules for invoking these emergency measures have been satisfied.

24. Applicants have failed to provide any objective evidence of the causal link between increased imports and the alleged injury to the applicants.

25. Both the applicants are under the common ownership and are the monopoly producers of the product in question. It would be against the provisions of MRTP Act, 1969 and Directive Principles of State Policy enshrined in Article 39 of the Constitution if Govt. of India levies a SGD as it would eliminate competition from the market.

26. SGD sought by the applicants in US Dollars is not in consonance with the Provisions of Section 8 B read with Rule 12 of the SGD Rule, 1997 and would also be contrary to the Provisions of Foreign Exchange Regulations Act, 1973.

(e) M/s ARCO Chemical (Singapore) Pte. Ltd.

1. Prices offered to India are in line with the prices offered in Asia region and no special prices are being offered to India.

2. The 35% import duty in India is one of the highest in the region.
3. India is one of the lowest FSP consumption country in the region. Indian market is large to accommodate imported FSP and there is high potential to grow which would benefit both the domestic producers and exporters provided the import tax is comparable to the other countries.
4. Global players like ARCO Chemical will provide latest product and technology to Indian market provided the import duties are comparable to other countries.
5. Imposition of Safe Guard Duty will reduce the purchasing options available to the Indian customers, since the applicants are the sole producers in India.
6. The applicants are already enjoying the benefits of duties exceeding 40% level and depreciating Rupee against US Dollars.
7. Imposition of Safeguard Duty would go against principle of maximum good to the maximum people and hence should not be imposed .

f) Bayer AG

1. The product exported by them are entirely different to the product under investigation and they have not exported FSP during the period under investigation from Germany to India.

i) Embassy of Japan

The safeguard measure serves an emergency measure for exceptional circumstances which can only be implemented under strict requirements. This is also evident from the fact that only 15 safeguards investigations have been initiated among all the WTO Members over the last three years since the establishment of the WTO. Japan is gravely concerned about the situation in which the Government of India has initiated as many as 5 safeguard investigations within 5 months.

(V) FINDINGS OF THE DIRECTOR GENERAL

1. I have carefully gone through the case records and the replies filed by the domestic producers, users/importers, exporters and exporting governments Submission made by various parties and the issues arising therefrom are dealt with at appropriate places in the findings below.

2. Product under investigation

The product under investigation is Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000-4000 (FSP) used in the manufacture of Slabstock Foams and Polyurethane Foam Mattresses..

FSP chemically is Polyether Polyol, a viscous, colourless liquid, manufactured through propaxylation ethoxylation of polyhydric alcohol (starters) using liquid catalyst. When a triol like glycerin is used as starter and molecular weight is built upto 3000-4000, the resultant product is a slabstock flexible grade Polyol. Flexible Polyol is reacted with Toluene Di-Isocyanate (TDI) to produce flexible slabstock polyurethane foam. Small quantities of catalysts and surfactants are used in the reaction mixture to form the polyurethane and to control the foam properties. Foam of

varying densities between 10 and 40 Kg./cu.M can be produced for use in varieties of applications like:-

(a) Seat cushions
(b) Polyurethane bedding
(c) Carpet underlay
(d) Garments
(e) Miscellaneous applications for various coverings, acoustics etc.

FSP is manufactured as homopolyol and hetropolyol. Propylene Oxide (PO) based polyols are referred to as homopolyols and those containing Ethylene Oxide mix are known as hetropolyols. Both homopolyols and hetropolyols are used inter changeably by the foamers.

It has been claimed by some parties that some specialty polyols like Instapak Chemical B and Polyether Polyols for use in the manufacture of Rigid Foams for Refrigerator and Thermoware Insulation, Structure Applications, Sprays etc. and for Flexible Moulded Foam for Automotive and Motorcycle seating and Elastomers for footwear are not like or directly competing with flexible slabstock polyols. The main distinguishing feature is the molecular weight. The present investigation, however, covers only Flexible Slabstock Polyols having molecular weight between 3000 and 4000 and not others. Specialty Polyols are, therefore, not covered in the present investigation. For ease of identification the list of competitive products of some of the known manufactures/exporters is given below:-

Manufacturer	Grades	
MPL	EMPEYOL	F 3000/3002
SORL	SORL	F 3000/3010
BAYER	DESMOPHEN	7186B
DOW	VOROCOL	3010
ARCO		5613/5603

The above list is only indicative and in no way exhaustive or binding on the scope of the present investigation.

FSP is classified under sub-heading No.3907.20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, and under 39072000 of the Indian Trade Classification based on the Harmonised Commodity Description. The above classification is indicated only for the purpose of convenience and in no way restricts the scope of the coverage of the product under investigation i.e. Flexible Slabstock Polyol of molecular weight between 3000-4000.

3. **Domestic Industry**:

The application has been filed by Manali Petrochemicals Ltd., Chennai and SPIC Organics Ltd., Chennai who are the only domestic producers of Flexible Slabstock Polyol accounting for the total domestic production of Flexible Slabstock Polyol. It is, therefore, considered that the application has been made by the domestic industry.

4. **Increased Imports**

FSP is imported into India from Germany, Japan, the Netherlands, Singapore, Thailand and the USA. FSP attracted import duty of 65% in 1994-95, 40% in 1995-96, 32% in 1996-97 and 1997-98 upto September and 35% from Oct. 1997. The domestic producers have stated that the imports of FSP during this period were 103 MT in 1994-95, 502 MT in 1995-96, 1020 MT in 1996-97 and 2515 MT during the period April-August 1997.

The applicants have claimed the import figures to be part data only as data of imports through Kandla and ICD Delhi are not available in public domain. The actual imports, therefore, can be more. The Director General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS) has compiled data of 'Other Polyethers' under number 39072000 which includes import data of all Polyols. The DGCIS import data under number 39072000 are 1994-95 - 3613 MT, 1995-96 - 5120 MT, 1996-97 - 7124 MT and 1997-98 (April-August) 4998 MT. Shell have stated that in 1996-97 they exported 2100 MT of FSP to India. Dow have estimated that the total imports into India were 1800 MT in 1994-95, 2700 MT in 1995-96, 3350 MT in 1996-97 and 3850 MT in April-August 1997. The estimate of Dow appears to be more reliable and these findings are, therefore, based on import figures furnished by Dow.

The imports increased by 50% in 1995-96 as compared to 1994-95, by 20% in 1996-97 as compared to 1995-96 and by 175.8% in April-August, 1997 as compared to 1996-97 on a pro-rata basis. As compared to 1994-95, the imports have increased by 413.3% on a pro-rata basis in April-August, 1997. The domestic production of FSP during this period was 5762 MT in 1994-95, 6831 MT in 1995-96, 7050 MT in 1996-97 and 1122 MT in April-August, 1997. In comparative terms the imports were 31.2%, 39.5%, 47.5% and 343.1% of the domestic production in 1994-95, 1995-96, 1996-97 and 1997-98 (April-August). Table 1 below gives the domestic production and import figures during the above period in absolute and comparative terms:-

Table - 1

Year	Domestic Production MT	Imports MT	Imports as %age of Domestic Production
1994-95	5762	1800	31.2
1995-96	6831	2700	39.5
1996-97	7050	3350	47.5
1997-98 (April-August)	1122	3850	343.1

The imports have thus increased both absolutely as well as compared to domestic production.

5. **Gap in Domestic Demand and Supply**

It has been claimed that the domestic market of FSP is growing at the rate of 10-12% and that the domestic demand of FSP is about 11500 MTpa and that of Rigid/Moulded/Semi Rigid Polyols 13,500 MT. The total Polyol demand thus is 25000 MT pa whereas the domestic producers can cater to only about 13500 MT pa and there is a gap between domestic demand and supply which the domestic producers can not meet. Imports to meet this gap are necessary.

In this regard, it is observed that the apparent domestic consumption (domestic sales + imports) of FSP during the last three years was 7737 MT in 1994-95, 9200 MT in 1995-96 and 10483 MT in 1996-97. In 1997-98 (April-August), the apparent consumption was 4507 MT which on pro-rata basis works out to about 10817 MT pa for 1997-98. The domestic production during 1994-95, 1995-96 and 1996-97 was 5762 MT, 6831 MT and 7050 MT. In 1997-98 (April-August) the production, however, fell down to 1122 MT.

In their application, the domestic producers mentioned their installed capacity as 6000 MT pa for MPL and 7500 MT pa for SORL and the total installed capacity as 13,500 MT pa. With this installed capacity, the domestic producers had sufficient production capacity to cater to the entire domestic demand of FSP which has grown from 7737 MT in 1994-95 to about 10483 MT in 1996-97 and about 10813 MT for the entire 1997-98(worked out on a pro-rata basis). It may also be mentioned here that the domestic producers have stated that they produce all grades of Polyols i.e. FSP, Rigid Polyols etc. and that their current level of production of all grades taken together was about 8000 MT pa. Out of about 8000 MT pa, as mentioned above, FSP production was about 7000 MT. The production of other Polyols was, therefore, about 1000 MT or about 12.5% of the total Polyol production. The major proportion of domestic capacity was thus, being utilised for the production of FSP. Out of 13,500 MT pa capacity, therefore, they can devote about 11,500 MT, the estimated demand, for FSP.

The domestic producers have, however, claimed that they have a combined capacity of 18000 MT pa, 10000 MT pa for MPL and 8000 MT pa for SORL. This claim of the domestic producers has been challenged by some parties and they have requested for examination of documentary evidence in this regard. The domestic producers have explained that the plant when built in 1989-90 was designed to produce 7500 MT pa in MPL even though the licensed capacity was 6000 MT pa. They have produced documentary evidence in this regard on confidential basis. The MPL plant during the guarantee run recorded a production of 136% i.e. more than 7500 MT pa. They have further stated that subsequent to the first year of operation, they have stepped up the plant capacity by removing the bottlenecks and the on-stream efficiency of the plants indicates that the capacity of the plants are around 10000 MT pa at MPL and 8500 MT pa at SORL. They have estimated that their share in rigid system and cold cure systems are not expected to be beyond 4000 MT in the next two years, which leaves them with comfortable production levels to meet the demand of FSP. The domestic producers have also stated that the PO plant capacity as per the design and as verified in the guarantee performance test is 15000 MT pa each. The

supporting utility plants like boiler, nitrogen, cooling tower, raw and finished product storage, waste water treatment plant and the expensive cross-country pipe line to pump the effluent into the Sea 6 to 7 Kms. away, are of much higher capacity and can support another PO plant comfortably. The capacity utilisation of the PO plant presently is at 8900-10,000 MT pa only and production can easily be stepped-up to guaranteed capacity of 15000 MT pa if only sufficient markets are available to cater to. It can also be stepped up further in a short span of time with marginal investment with attractive investment to turn over ratio, if the opportunity is afforded for the company to expand and run the plant at higher plant load factor and meet the demand for the country.

They have also stated that the application was made on the original registered capacity as per the SIA documents and as appearing in the Balance Sheets but the capacities of the plants are much higher as per the design and as per the guarantee test runs conducted.

It is important to mention here that in 1995-96, the domestic producers carried on an inventory of 402 MT and in 1996-97 the inventory level was 373 MT. In the first five months of 1997-98 (April-August), however, they were saddled with an inventory of 846 MT i.e. about 75% of the quantity of 1122 MT produced by them with a capacity utilisation of about 19.9%.

It is observed that the domestic producers manufacture both 'homopolyols' and 'hetropolyols' and they are supplying hetropolyols to their customers. Grade F-3002 in the case of MPL and grade F-3010 in the case of SORL are hetropolyols. The companies had, however, first introduced homopolyols which is based only on Propylene Oxide, based on the advice of their collaborators and also partly due to the very tight availability situation of Ethylene Oxide. In 1992, they introduced hetropolyol. However, with a view to conserve EO for strategically important cold cure products, they sold hetropolyols to those customers alone who wanted only this particular grade and supplied homopolyols to customers who wanted continuous repeat supply of any one grade consistently without change. The domestic producers have, submitted that hetropolyols are easy to process because of Ethylene Oxide content and require certain catalysts slightly less. Ethylene Oxide now is not in short supply after 1993 and they are meeting with the ordered quantity of hetropolyols. 35% of the quantity produced by them is hetropolyols. Currently they have the capacity and capability to meet the entire demand, if the buyers so desired.

No ground, therefore, exists to hold that the domestic producers did not have capacity adequate to meet the domestic demand of FSP or to hold that the imports were necessitated because the domestic producers were not in a position to cater to the domestic demand of FSP.

6. **Inefficiency of Domestic Producers.**

It has been stated that domestic producers failed to enter into long term binding with MRL for supply of Propylene and they are attempting to penalise the Indian customers for their own mistakes. Further, it is no great wisdom that for any business and particularly for petrochemical plants, it devolves on the management and

directors of the company to ensure that they have contractual raw material arrangements in place which enables them to be competitive. MPL/SORL have failed to do this. They decided to go ahead with investment of MPL willing to take a gamble. Not only that, MPL went one step further when they took over UB Petrochemicals (SORL) even after the liberalisation process had started.

In this regard, it is observed that the domestic producers obtain propylene, the principal raw material used in the manufacture of FSP, mainly from the Madras Refineries Ltd. (MRL) and some quantities are imported. Both MPL and SORL have entered into 10 year long term contract for supply of Propylene with MRL and they have produced copy of the agreements entered into by them with MRL on a confidential basis. Propylene is separated from LPG. The contract is based on the price of LPG with addition of notional processing cost to make up the price of Propylene. LPG prices were controlled by the Government of India and decided month-wise since September 1993 and the prices of Propylene followed the LPG price trend.

In this context it is also observed that at the material time the import duty on propylene was quite high making it difficult for any one to conceive the project on the basis of imported propylene. The import duty on propylene was brought down in March 1993. At the same time a fire accident in MRL in 1993 forced the domestic producers to conceive a make shift propylene importation terminal at the port of Cuddalore as the major ports at Chennai, Mumbai and Tuticorin did not have facility and interest in creating one because of the congestion and lack of space within the port area to accommodate the hazardous cargo shipment.

It is, therefore, not correct to say that the domestic producers failed to enter into long term binding with MRL for supply of propylene or that they are attempting to penalise the Indian customers for their own mistakes.

Another issue that has been highlighted in the context of inefficiency of the domestic producers is the size of their Propylene Oxide (PO) manufacturing capacity which allegedly did not allow production of PO at economically viable rate and the high prices of raw materials which has increased their cost of production.

In this regard it is observed that the PO plant capacity as per the design and as verified in the guarantee performance test is 15000 MT pa each whereas the capacity utilisation of the PO plants is around 8900-10000 MT pa only. It can not be expected that the domestic producers should have set-up plant capacities far in excess of what is necessary to meet the demand. The domestic producers have also submitted that because of the high cost of investment in POSM route and POTBA route, the technology adopted by them is ideally suited for medium capacity plants and Technip alongwith MPL have proposed now to construct plants in China, Thailand and Taiwan with MPL as the model. The Chinese plant will also include Polyol plant based on the design of SORL. A team from Taiwan and China has visited them twice last year and once this year to finalise the design specifications.

Besides, it needs, to be appreciated that the basic objective of imposition of Safeguard Duty is to allow time to domestic industry to make positive adjustment to

meet with the new situation of competition offered by the increased imports. If the domestic industry was fully efficient and competitive, perhaps it needed no safeguard measures for protection. The question that needs to be answered in the context of desirability of imposing Safeguard Duty is whether there is a reasonable possibility of domestic industry making positive adjustment and to become competitive. If the answer is in the affirmative the domestic industry needs to be protected.

7. **Quality and Technical Support**:

Some of the parties have stated that the quality of domestic FSP was not upto the mark and that the imported FSP was of better quality and the overseas suppliers were providing them with excellent services and latest technology. Besides the Polyol manufactured by the domestic producers was homopolyol, requiring far greater quantities of catalyst levels for foam production which are expensive. Browning of the center of foam blocks takes place due to inappropriate level of anti-scorching agents provided in the domestic Polyol. The two companies, though owned by the same group utilise different technologies for manufacturing Polyol which require changes in the formulation. As the marketing set up is the same when they placed an order, they had no control over which material would be supplied.

In this regard it is observed that both MPL and SORL are ISO 9001 and ISO 9002 accredited companies respectively. They have claimed that their product conforms to international standards set for its category. They have also submitted that as a part of ISO accredition they regularly collect feedback from their customers. A copy of characteristics of MPL and imported product has also been produced by the applicants on confidential basis which shows that their product is fully comparable with the imported FSP. The domestic producers have stated that they follow statistical quality control procedures to monitor the major quality parameters and records reveal conformity to design norms as achieved by other international producers. They have a full fledged application laboratory and quality control facility recognised by the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR) under the Ministry of Science and Technology. They also have laboratory facilities of their sister company Tamilnadu Petroproducts Ltd. (TPL) and also the sophisticated laboratory of SPIC Science Foundation in Chennai. The quality of the product, the basic parameters of molecular weight distribution, colour, hydroxyl number and other major parameters are tested there as per the standard test methods. Excepting for certain special tests recommended by their collaborators, rest of the tests are as per ASTM standards. They have also submitted documentary evidence in this regard.

The domestic producers have further stated that they have completed development of CFC free formulations and have already commenced commercial production, which has been approved by almost all major manufactures. The Polyether Polyols developed by them for use in flexible market and specialty Polyols developed to strengthen and open the cells of the foam have been appreciated by a Japanese team from Mitsui, which has contributed to the Indian PU industry much more than was done by others before. They have also stated that they carry out collaborative studies and joint Programmes with other international laboratories and product developed in their laboratory fared better and received approval in comparison to other international products.

The domestic producers have further stated that their technical staff fine-tuned the formulations when the products were introduced in the market at the customers' places and thereafter visited the customers' places whenever specific help was sought.

As per ISO 9000 procedures, they keep on receiving feed back from customers and ensure total customer satisfaction and continuously improve upon them. They have also submitted documentary evidence in this regard. They have further submitted that they have more than 50 small and medium customers of FSP who are totally dependent upon them for the product as well as the technical support service, as their requirement is in small quantities of about 100 Kg to 5 MT per month. Most of the multinational companies are not interested in catering to their requirements.

It is also observed that the foam production process is an intricate process and the quality of foam produced depends upon various parameters, quality of FSP is one of them. Primarily, however, it depends upon the quality of machine used by the foamers. Some of the users have referred to quality complaints made by them during 1995 and 1996 or earlier. They have also submitted copies of correspondence entered into by them claiming compensation for poor quality of material. It is, however, observed that these complaints are pertaining to 1995-96 or earlier period and not for the current period. The domestic producers have in this regard stated that after the companies came under the same group, foam producers lost their leverage to put one company against the other and extricate the maximum concessions. They, therefore, used the quality problems as the tool to meet this end. Almost all these complaints were dubious.

The domestic producers have submitted that in certain cases when analysed the problems could perhaps be isolated to temperature of the chemicals at which it has to be stored during foaming, wrong formulations, bad machinery or other problem which is not attributable to quality of MPL/SORL product. They, however, in view of the continuous business relationship and with a view to preserve and nurture the customer relationship, accepted certain of the claims, with the full knowledge that the claims were not tenable on any grounds.

As regards the variation of batch to batch quality, the domestic producers have stated that Polyol produced from the plant is pumped into a 225 MT capacity storage tank in MPL and 80 MT tank in SORL and then it is homogenised before packing in drums. Hence it is unlikely that drum to drum variations or batch to batch variations can ever be noted.

In this regard, it is pertinent to observe that some of the buyers of MPL and SORL who were subjected to verification by the team of officers had outstanding amounts to pay to MPL/SORL and they did not have any evidence to show that they had rejected or returned any material to MPL/SORL. Similarly the Central Excise records of MPL and SORL did not show that they had received any material back from their buyers except 1.35 MT of FSP by SORL in the last three years. Besides, even the major foam producers did not have FSP testing facilities at their premises. Sheela Foam and Bharat Foam who alongwith their sister concerns held about 45% of

market share of Slabstock Foam and PU Foam mattresses did not have such testing facilities. On demand, no correspondence/evidence was produced by them regarding rejection of FSP procured by them from MPL/SORL.

In view of the foregoing discussion, it is considered that the quality and technical support service provided by MPL/SORL were not the cause of increased imports.

8. **Monopoly Status of Domestic Producers**

Some of the parties have argued that both the applicants i.e. MPL and SORL are under common ownership and are the monopoly producers. Imposition of Safeguard Duty would, therefore, be against the provisions of MRTP Act, 1969 and the Directive Principals of State Policy as enshrined in Article 39 of the Constitution, which contemplate that the operation of the economic system should not result in the concentration of economic power to the common detriment.

In this regard, it is observed that the MRTP Act, 1969 is based on the principle of abuse and not prohibition. In other words, the Act does not declare any monopoly to be illegal *ipso facto* but it endeavors to strike a balance between the injury caused as a result of monopolistic or restrictive trade practices and the reasonableness thereof in the context of benefits accruing thereby.

MPL and SORL started their production in around 1990. Both the companies belong to SPIC group having common management and operating Propylene Oxide, Propylene Glycol and Polyol plants. 'TIDCO' the Tamilnadu State Government Industrial Development Corporation is the Joint promoter of SORL. Although both MPL and SORL belong to the same group of companies, they are two individual legal entities. UBPPL was taken over by the SPIC group in around August, 1994 and renamed SORL. The applicants have claimed that after take over of UBPPL, they have maintained a consistent and transparent pricing policy making available the product at almost the same price to all the buyers in India.

The domestic user industry has grown with MPL and SORL who have catered to the domestic market for the last 7-8 years. The exporters/importers have in no way provided any evidence of injury caused to the domestic users of FSP by MPL and SORL. They have done nothing else except stating that MPL and SORL together control a major share of domestic market. On the contrary as admitted by the Polyurethane Association of India, the slabstock Industry production was virtually stagnant at the level of 9000-10000 MT pa during 1985-1992, which has now grown to more than 50,000 MT pa i.e. after the advent of MPL and take over of SORL by the SPIC group the domestic industry made appreciable growth.

The domestic producers have categorically stated that they have maintained a consistent and transparent pricing policy. Between 1991 and 1994 both MPL and SORL had outstanding amounts in excess of four months from the market and they were suffering to stabilise the price because of over production and a smaller market in the country during that period. Credit periods ballooned when the companies tried to enlarge their market share. In July-October, 1995 when the prices of petroleum

products were ruling high and imported FSP landed at a price of over Rs.100 per Kg., they did not raise the price indiscriminately and leveled it once it reached the satisfactory level of about Rs.78 per Kg. The price of the product was known to all customers in the market and no special discounts were offered for quantity uplifted and all the customers were more or less treated at par and that they never resorted to any manipulation or bias at the market place. They, however, offered a prompt payment discount of Rs.2.5 per Kg. if the payment was made on the 45th day without delay.

It is appropriate here to observe that the domestic producers have a total capacity of about 18000 MT of FSP as compared to substantially larger capacities of exporters. The imports of FSP are allowed into India without any restrictions. Any one who so desired could import FSP or meet his requirement domestically. In the light of unrestricted imports, it is not correct to presume that the domestic producers enjoyed any monopoly - specially in view of the fact that the imports of FSP into India have increased during the period 1994-95 to 1997-98 (April-August)drastically accounting for about 25-30% of the apparent consumption. The law also does not require the interests of a single producer or of two companies belonging to the same group, not to be protected on that ground alone even if they deserved to be rightfully protected.

It is observed that Safeguard Duty is aimed not at encouraging monopolistic practices. It is specifically targeted at protecting the interest of domestic producers if increased imports cause or threaten to cause serious injury to them so as to allow them time to make positive adjustment to meet with the new situation of competition offered by the increased imports. Safeguard duty is a temporary measure imposed only to the extent adequate to remove the injury. Besides, the Customs Tariff Act, 1975 which empowers the Central Government to impose Safeguard Duty is an Act of the Parliament having the same force of law as the MRTP Act, 1969. Imposition of Safeguard Duty in cases meeting with the requirements set forth in this regard is, therefore, not in violation of the provisions of the MRTP Act, 1969 or the Directive Principle of the State Policy as enshrined in the Constitution of India.

9. **Public Interest**

Some of the parties have argued that imposition of Safeguard Duty would not serve any public interest. On the contrary imposition of safeguard duty would severely prejudice the public interest as a number of end user industry may close down.

In this regard it is observed that the domestic producers have specifically stated that they have made sincere efforts to ensure that the end-user industry grows. They cofounded the Polyurethane Association of India and have submitted a list of tiny and small buyers who were serviced mainly by them and whose requirements of FSP were only about 100Kg. To 5 MT per month.

It is further observed that the expression 'public interest' does not cover in its ambit consumer interest alone. It is a much wider term which covers in its ambit the general social welfare taking into account the larger community interest. While the

imposition of Safeguard Duty may result in increased cost of imported FSP in the hands of buyers and, therefore, it may also effect the end products manufactured therefrom, it is important to keep in mind the objective of imposition of Safeguard Duty. The purpose of imposition of Safeguard Duty is to provide time to the domestic industry to make positive adjustment to meet with the new situation of competition offered by the increased imports. The imposition of Safeguard Duty, for the period and to the extent just adequate, would, therefore, not only minimise the adverse effect, if any, for the customers but also allow them a wider choice to source their requirements, and at competitive prices. The domestic producers who have set up plants with huge public investments provide employment to a large number of people and make valuable contribution to the national economy. Safeguard Duty which would enable the domestic producers to survive in the face of competition offered by the increased imports will, therefore, be in the long term interest of the buyers of FSP as well as of the buyers of products manufactured therefrom. It is, therefore, considered that imposition of Safeguard Duty on FSP will be in public interest

10. **Other Issues**:

It has been argued by some of the parties that import duty on FSP in India is the highest in the region. This argument, however, is considered to be irrelevant in the context of safeguard duty as the level of import duty on a particular product depends upon various factors some of which are level of import duties on comparable and competitive products and on inputs, the need to raise revenue and the disadvantages suffered by the domestic producers vis-a-vis international producers etc. Each country, therefore, decides the level of import duties according to its needs, which cannot be viewed as a reference point for others.

It has also been submitted that safeguard measure serves an emergency measures for exceptional circumstances which can only be implemented under strict requirements and that India has initiated 5 investigations within 5 months out of 15 investigations initiated during the last three years.

In this regard it is observed that the present safeguard investigation has been initiated in accordance with the domestic Safeguard law which reflects the WTO provisions on the subject. Article XIX of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) deals with Emergency Action on Imports of Particular Products and the Agreement on Safeguard (AOS) clarifies and reinforces the disciplines of GATT 1994 and specially those of its Article XIX. Article 2 of AOS deals with conditions necessary for imposition of safeguard measures and stipulates that if increased imports, absolute or relative to domestic production, cause or threaten to cause serious injury to domestic producers that produces like or directly competitive products, a safeguard measure can be applied. Since the investigation in the present case has been initiated in accordance with the provisions of the Indian Safeguard law which reflect the relevant WTO provisions, it is considered that the requirements in this regard have been fully met with.

It has also been submitted that the domestic producers have claimed different amounts of safeguard duty for the two units and that the safeguard duty can not be imposed to ensure guaranteed returns on equity capital.

In this regard it is observed that the domestic producers had initially requested for two different amounts of safeguard duty for the two companies based on their calculation of a fair sales realisation for the two companies separately. They have, however, subsequently requested for a uniform safeguard duty worked out on weighted average basis for the two companies, who are the only producers of the product.

As far as return on equity capital is concerned, it is observed that under rule 8 of the Customs Tariff (identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, profits and losses of domestic industry is one of the factors which is required specifically to be evaluated to determine whether increased imports have caused or threatened to cause serious injury to the domestic industry. Return on equity capital is one of the reflections of the profits or losses made by the companies and, therefore, relevant for the determination of existence of serious injury to the domestic industry. Since the safeguard duty is intended to redress or prevent the serious injury caused to the domestic industry by increased imports, there appears to be nothing wrong in the domestic producers taking into consideration a reasonable return on the equity capital while seeking the amount of safeguard duty that would be adequate to remove or prevent the serious injury to them.

11. **Serious Injury**:

An analysis of various factors indicates that the domestic industry has suffered a significant overall impairment as discussed below:

(a) **Production**: The domestic production of Flexible Slabstock Polyol which increased from 5762 MT in 1994-95 to 6831 MT in 1995-96 and 7050 MT in 1996-97 has drastically fallen down to 1122 MT in the first five months of 1997-98 showing a decline of 61.8% in production as compared to 1996-97 on pro-rata basis.

(b) **Sales**: The domestic Sales of Flexible Slabstock Polyol which reached a peak of 7133 MT in 1996-97 from 5937 MT in 1994-95 and 6500 MT in 1995-96 have gone down to 657 MT in the first five months of 1997-98 i.e. sales have fallen by 77.9% in the first five months of 1997-98 as compared to the sales of 1996-97 on pro-rata basis. The domestic producers lost their share in apparent consumption from 76.7% in 1994-95 to 70.7 in 1995-96, 68.1% in 1996-97 and to mere 14.6% in April-August 1997 i.e. the domestic producers lost their market share by 365.8% as compared to 1996-97. The applicants have been able to maintain this reduced share in the domestic market only at a reduced average selling price which has fallen down from Rs.81,331 per MT to Rs.74,800 per MT ((inclusive of Central Excise duty) in the corresponding period.

(c) **Stocks:** Even at drastically reduced level of production, the stocks have accumulated to 846 MT at the end of August, 1997 as compared to 373 MT at the end of March, 1997. The stocks thus have piled up to 226.8% of the stocks in 1996-97.

(d) **Capacity utilisation**: Keeping in line with the production, the capacity utilisation by the domestic producers has also come down drastically in 1997-98 (April-August) as compared to 1996-97.

(e) **Loss of profit**: The average sales realisation of both the companies has declined over the years as a result of reduction in the average sales price. The domestic producers are unable to reduce the price further, even as they lost the market as they have reached the limits and will incur cash losses if sales prices declined further. They are also not able to meet their financial obligations to banks and financial institutions. They are maintaining production by borrowing from the market and financial institutions. SORL has already attracted the BIFR provisions.

(f) **Loss of productivity**: MPL and SORL employed 323 and 259 persons in 1996-97 and accounted for a production of about 12.1 MTpa per person. The productivity in 1997-98 (April-August) has declined to about 4.87 MT pa per person i.e. they have suffered a loss in productivity of 59.75% as compared to 1996-97.

(g) **Loss of employment**: The number of employees in MPL and SORL together has reduced from 582 in 1996-97 to 553 1997-98 (April-August) i.e. by about 5%.

(h) **Surplus capacity set up abroad**: The domestic producers are also facing a threat of further serious injury to them from large capacity plants set-up closer to India who have access to raw materials at prices much lower than in India.

12. **Causal link**:

As discussed above, the domestic industry has suffered a significant overall impairment. The domestic producers of FSP catered to the domestic demand. They sold 5937 MT in 1994-95, 6500 MT in 1995-96, 7133 MT in 1996-97 and 657 MT in April-August, 1997. The total apparent consumption during this period i.e. sales by domestic producers and imports was 7737 MT in 1994-95 which increased to 9200 MT in 1995-96 and to 10483 MT in 1996-97. The share of domestic producers in the apparent consumption which was 76.7% in 1994-95 however, fell down to 70.7% in 1995-96 and 68.1% in 1996-97. In 1997-98 (April-August), the share of the domestic producers was only 657 MT in the total apparent consumption of 4507 MT representing in percentage terms a share of only 14.6%. The domestic producers thus lost their share in apparent consumption from 76.7% in 1994-95 to 70.7% in 1995-96, 68% in 1996-97 and 14.6% in April-August, 1997-98. At the same time the imports increased from 1800 MT in 1994-95 to 2700 MT in 1995-96, 3350 MT in 1996-97 and to 3850 MT in the first five months of 1997-98. The share of imports in the apparent consumption increased from 23.3% in 1994-95 to 29.3% in 1995-96, 32% in 1996-97 and to 85.4% in 1997-98 (April-August). In comparative terms the imports increased their share by 25.8% in 1995-96, 8.4% in 1996-97 and by 166.9% in April-August 1997.

The total apparent consumption (domestic sales + imports) in 1996-97 stood at 10483 MT which on a pro-rata basis increased by 3.2% to 4507 MT in the first five months (April-August) of 1997-98. The domestic sales, however, lost drastically. The domestic producers who should have registered a sale of (7133/12)x5x103.2% i.e. 3067 MT in April-August 1997 could achieve a sale of only 657 MT i.e. they lost sales of 2410 MT which were taken over by the imports which captured an additional market of {3850-(3350/12)x5x103.2%} 2410 MT taking into account the growth of 3.2% in the apparent consumption.

Similarly, the domestic production in April-August 1997, which should have increased by 3.2%, keeping in line with the growth in apparent consumption, to {(7050/12)x5x103.2%} 3032 MT, declined to 1122 MT i.e. the domestic producers lost a production of 1920 MT, which was taken over by the imported FSP which increased by {3850-(3350/12)x5x103.2%} 2410 MT. This increased quantity not only substituted the production of 1920 MT lost by the domestic industry but also resulted in the inventory built up of the domestic producers by about (2410-1920) 490 MT which is evident from the fact that the closing stock at the end of April-August, 1997 was 473 MT(846-373) more than the 1996-97 closing stock.

The domestic producers have stated that imports into India are steadily increasing for the last three years after being stagnant for some time. Driven to the wall, even at higher cost of production in order to maintain the reduced market share MPL and SORL dropped their prices substantially which barely covered the variable cost.

It is observed that while in 1994-95 FSP was imported at an average CIF price of Rs.42109 PMT and landed price i.e. CIF price plus import duty(excluding Additional Duty of Customs levied at the applicable rate of Central Excise duty) of Rs.69480 PMT, in 1995-96 the average CIF price increased to Rs.46107 PMT but the landed price declined to Rs.60722 PMT, in 1996-97 the average CIF price declined to Rs.43373 PMT and landed price to Rs.57252 PMT. In the first five months (April-August) 1997-98, the average CIF prices declined drastically to Rs.39905 PMT with landed price declining to Rs.52674 PMT. While in 1995-96, the average sales realisation of domestic producers was 77177 PMT, in 1996-97 it declined to Rs.67776 PMT and in 1997-98 (April-August) the average sales realisation further declined to Rs.59840 PMT.

Thus, the CIF import prices as well as the landed prices have been declining over the years as indicated in the table below:

Table-2

Year	Imported goods			Domestically produced goods		
	Avg. CIF price Rs./MT	Import duty (excluding additional duty of customs) %	Landed price Rs./MT	Avg. selling price (inclusive of C Ex duty) Rs./MT	Rate of C Ex duty %	Avg. sales realisation Rs./MT
1994-95	42109	65	69480	83018	30	63860
1995-96	46107	42	60722	92612	20	77177
1996-97	43373	32	57252	81331	20	67776
1997-98(April-August)	39905	32	52674	74800	25	59840

The imported FSP thus started undercutting domestic FSP in 1995-96 and onwards which had its impact on the domestic production and sales. The growth in production in 1996-97 was only 3.2% over 1995-96 as compared to 18.6% in 1995-96 over 1994-95. In 1997-98 (April-August), the production has drastically declined to 1122 MT i.e. by 61.8% on a pro-rata basis as compared to 1996-97 and at the same time the inventory built upto 846 MT i.e. 226.8% of 1996-97 closing stock and 75.4% of the production during this period.

It has been stated by some of the parties that it was not on account of prices that the imports have displaced domestic production and sales but on account of factors such as quality, technical service support etc. of the domestic producers. In this regard it is observed that price of imported FSP was one of the most important factors in the decision of the buyers to choose their source of supply of FSP. Some of the Foam makers have expressed their concern over prices of raw material (FSP) as the price of FSP had its impact on the price of foam manufactured by them and on its competitiveness with other foam substitutes. Some others have mentioned that they were importing Polyol prior to 1991 but after 1991 when the production of MPL and UBPPL came into existence they started purchasing their material at competitive prices with cash discount, quantity discount, credit facilities for 90 days without interest etc. but since 1995-96 with the change in MPL/SORL policies in this regard, they switched over to imported material.

Some of the exporters have also mentioned of imports becoming less competitive because of depreciation of Indian Rupee and increase in customs duty and consequent improvement in the sales of domestic producers. All these go to prove that it was not quality or other factors which were the cause of increased imports or serious injury to the domestic producers but the price of FSP which was the most important factor for the buyers to select their source of supply of FSP.

In view of the above, it is observed that the imports of FSP have been entering into India in increasing quantities at declining prices and the increased imports have caused serious injury and threat of further serious injury to the domestic produces of FSP.

13. **Impact of Subsequent Changes**

The drop in exchange rate and propylene prices by MRL and increase in customs duty after the initiation of safeguard investigation have been stated as some of the developments by some of the parties which have taken away the need to provide any protection to the domestic industry by way of safeguard duty.

Dow in this regard have submitted calculations on impact of changes in economic situation since May 1997 and according to them the impact of reduction in propylene price on Polyol cost is US$ 147/MT, impact of increase in customs duty since May 1997 is US$ 94/MT and impact of depreciation of Rupee vis-a-vis US$ is US $ 256/MT. In conclusion they have calculated the total price advantage in terms of safeguard duty sought as US $ 497/MT. On the other hand, the domestic producers have challenged Dow's calculations and have submitted their version of the impact of post initiation changes and according to them the combined effect of change in propylene price, increase of customs duty and depreciation of Indian Rupee has to be viewed in the light of drop in the CIF price of imported FSP which has come down to a level of US $ 930/MT in May, 1998 from US$ 1180/PMT in July 1997. They have, taking into account all these factors, worked out the net effect as US $ 118/MT instead of US$ 497/MT worked out by Dow.

Be it as it may. The main issue to be considered here is whether the changes in the period after initiation of an investigation and before the recommendations are made should be taken into account in arriving at a decision regarding the finding of the serious injury or the quantum of the safeguard duty.

It must be appreciated that safeguard duty can be imposed only if increased imports have caused 'serious injury'. This implies that 'increased imports' is a condition precedent to or coexisting with the occurrence of 'serious injury'. The investigation, therefore, must show that imports have increased and they have caused serious injury. The finding of serious injury needs to be based on an objective analysis of various parameters and the interested parties need to be given fullest opportunity to present their case and to rebut evidence and arguments submitted by others. It is in this context that the parties need to know the facts and figures on the basis of which the investigation has been initiated and which they have to prove or disprove. If this framework of reference is not fixed, it may lead to a confusion where various parties may speak of situations prevailing in different periods and there may be no meeting ground. While this is true of facts and figures, the same logic may not apply for the changes in governmental policies which have a bearing on the outcome of the investigation such as changes in the rates of import duties which might have taken place in the intervening period.

It is, therefore, observed that it will be appropriate:

(i) to base the findings on the data considered for initiation of investigation and which was thrown open for the parties to comment upon by incorporating them in the initiation documents, and

(ii) to take into account policy changes which have taken place subsequently.

In the present case while initiating the investigation, data upto the period August 1997 has been relied upon. Accordingly, it is considered that changes in exchange rate and CIF value of imported FSP after August 97 are not to be taken into account. Change in price of propylene as a result of decontrol of LPG price being a policy change would need to be taken into account, so also the change in customs duty.

14. **Positive Adjustment:**

The domestic producers have submitted details of efforts being made by them for making a positive adjustment to meet with the new situation of competition offered by the increased imports.

The domestic producers have been already importing propylene from Cuddalore port but this results in an additional cost of about Rs.3 per Kg. in the cost of propylene imported by them. The major parts at Chennai, Mumbai and Tuticorin do not have facility to import propylene, nor are they interested in creating one because of the congestion and lack of space within the port area to accommodate the hazardous cargo shipment. An independent chemical terminal is being set up at Ennore Satellite Port by their group company MAC - VORMAN, a joint venture of VORMAN of Netherlands, which is coming up rapidly and is likely to be operational in the year 2000. Till the time Ennore Satellite Terminal becomes operative, the domestic producers have decided to upgrade with the Single Buoy Mooring, (SBM) facility the storage terminal at Cuddalore. This will also enable them to operate during monsoon period. They are currently having 1000 MT storage capacity and another 500 MT capacity by way of road tankers etc. and thus they can handle about 1500 MT propylene parcels. During the next two years they intend to upgrade the storage facility so as to handle larger shipments of 2000-2500 MT size, reducing the freight cost and making propylene available at prices comparative to international prices.

MPL and SORL receive about 70% of their propylene requirements from MRL and the balance 30% is imported. The domestic producers have stated that Madras Refineries Ltd. have also realised the need to support them with better price and making use of phased dismantling of the administered pricing mechanism, which is already effective from 1.4.98. They are contemplating to make available the Feedstock close to international price by the year 2000. They can also obtain propylene from the proposed Pennar Refineries coming up at Cuddalore. They are likely to get propylene to run their plant at full load at international FOB price levels. Pennar Refineries are also proposing to construct a jetty where ships can come alongside and discharge liquid cargo including LPG and propylene. This enhances possibility of integrating/enhancing their facility at Cuddalore.

The domestic producers have further stated that they have brought down the energy levels and thus cut down the cost of production. They can step-up their production capacities in a short span of time with marginal investment with attractive investment to turn over ratio, if the opportunity is offered for the company to run the plant at higher plant load factors.

With the enhanced possibilities of getting propylene at competitive prices, the problems of high cost of production due to high raw material cost is likely to be totally addressed and continuous availability of markets, which will enable the plant to run at high capacity utilisation, will enable them to cut the production cost further and also enable them to expand the plant to make use of the favourable capital turn over ratio.

In view of the above, it is considered that the domestic industry would need a period of about eighteen months to make positive adjustment to the import competition.

15. **Share of Exporting Countries**

On the basis of information available, share of exporting countries in India's imports of FSP was as under:

Country	Share in %
Germany	.3
Japan	.1
The Netherlands	13.6
Singapore	16.7
USA	69.1

VI. **Conclusions and Recommendation** :

In view of the findings above, it is concluded that increased imports of Flexible Slabstock Polyol into India have caused and further threatened to cause serious injury to the domestic producers of Flexible Slabstock Polyol and it will be in public interest to impose safeguard duty for a period of eighteen months on imports of Flexible Slabstock Polyol into India.

In arriving at the amount of safeguard duty that would be adequate to prevent serious injury to domestic industry and to facilitate positive adjustment, weighted average cost of production for both MPL and SORL has been taken into account for the period April-August, 1997 on the basis of the data for the whole of 1997-98 as the data for the entire 1997-98 is a more representative data and the cost of production for the whole of 1997-98 is lesser than that for April-August, 1997. Adjustment has also been made for the reduction in price of propylene, the principal raw material for the manufacture of Flexible Slabstock Polyol. The domestic producers have claimed a certain amount of profit (confidential) which is considered to be on the higher side and, therefore, a lower amount of profit considered to be appropriate has been allowed. Similarly, the CIF import prices of Flexible Slabstock Polyol also have been

considered on weighted average basis for the period April-August, 1997. Adjustment in the CIF import price have been made for credit terms and handling charges on an average basis. No adjustment for sales tax paid on domestically produced Propylene Glycol has been made as Special Additional Duty of customs has been imposed in the recent Budget on imports which takes into account the incidence of sales tax etc. on locally produced goods. Change in the applicable rate of customs duty has been taken into account in working out the landed price of imported Flexible Slabstock Polyol.

Considering the need to progressively liberalise the Safeguard duty in order to facilitate positive adjustment by the domestic industry, it is recommended that safeguard duty be imposed on imports of Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000-4000 used in the manufacture of Slabstock Foam and Polyurethane Foam Mattresses at the rates specified below on *ad-valorem* basis for a period of eighteen months as under being the minimum necessary for the protection of the domestic industry from the serious injury caused and threatened to be caused by the increased imports of Flexible Slabstock Polyol :-

Period	Level of protection recommended %	Existing Level of protection %	Safeguard duty recommended (2)-(3) %
(1)	(2)	(3)	(4)
First twelve months	55	35	20
Next six months	40	35	5

[F. No. SG/INV/4/97]

R. K. GUPTA, Director General (Safeguards)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.